छत्तीसगढ़ विधान सभा
की
अशोधित कार्यवाही

(अधिकृत विवरण)

पंचम विधान सभा चतुर्थ सत्र

बुधवार, दिनांक 27 नवम्बर, 2019
(अग्रहायण 06, शक सम्वत् 1941)

[अंक 03]

कार्यालय प्रति

छत्तीसगढ़ विधान सभा

बुधवार, दिनांक 27 नवम्बर, 2019

(अग्रहायण 6, शक् सम्वत् 1941)

विधान सभा पूर्वाह्न 11.00 बजे समवेत् हुई.

(अध्यक्ष महोदय (डॉ. चरणदास महंत) पीठासीन हुए)

खाद्य मंत्री (श्री अमरजीत भगत) :- माननीय अध्यक्ष महोदय, आज पहला बेंच एकदम नदारद है।

अध्यक्ष महोदय :- प्रश्नोत्तर काल के पहले अध्यक्षीय व्यवस्था है ।

<u>अध्यक्षीय व्यवस्था</u>

अध्यक्ष महोदय :- प्राय: यह देखा गया है कि माननीय सदस्यगण चर्चा के दौरान एक-दूसरे सदस्यों के प्रति न केवल जाति-सूचक शब्दों का प्रयोग करते हैं, वरन् उनकी भाषा, व्यवहार एवं आचरण भी शालीन नहीं रहता है।

इस संबंध में पूर्व में भी कई बार अनुरोध किया गया है कि माननीय सदस्यगण सदन में एक-दूसरे के प्रति सम्मानजनक शब्दों का प्रयोग करें। किन्तु देखा यह गया है कि बार-बार निर्देशित करने के बावजूद दिनांक 25.11.2019 को एक माननीय सदस्य ने एक अन्य माननीय सदस्य के प्रति जाति-सूचक शब्द का प्रयोग किया जिसके कारण सदन की कार्यवाही में अनावश्यक व्यवधान हुआ और सदन के सुचारू संचालन में बाधा उत्पन्न हुई तथा कल दिनांक 26.11.2019 को भी माननीय सदस्यगण की भाव-भंगिमा को लेकर कार्यवाही में व्यवधान हुआ।

छत्तीसगढ़ विधान सभा की अपनी उच्च परम्परायें हैं, जिसमें माननीय सदस्यों का एक-दूसरे के प्रति सद्भाव एवं सामन्जस्य भी उच्च स्तर का होने के कारण सदन की कार्यवाही सुचारू रूप से संचालित होती रही है।

अत: मेरा सभी माननीय सदस्यों से अनुरोध है कि कृपया भविष्य में किसी भी माननीय सदस्य के प्रति जाति-सूचक शब्द का प्रयोग न करें एवं अपना व्यवहार, आचरण एवं भाव-भंगिमा भी सदन की गरिमा के अनुरूप बनाये रखें एवं किसी माननीय सदस्य के भाषण के बीच अनावश्यक टीका-टिप्पणी भी न करें। (मेजों की थपथपाहट)

अशोधित/प्रकाशन के लिये नहीं

सभी माननीय सदस्यों से पुन: यह अनुरोध है कि न केवल अपने वरन् सदन की भी गरिमा बनाये रखें।

श्री अजीत जोगी :- माननीय अध्यक्ष महोदय, धन्यवाद्। मैं आपकी कही हुई बात को पूरा समर्थन देकर, सभी माननीय सदस्यों से अनुरोध करूंगा कि अध्यक्ष जी ने बहुत अच्छी बात कही है। हमारी बहुत अच्छी परम्परा है यह वह विधान सभा है जिसने पहली बार यह तय किया कि अगर वेल में कोई जाएगा तो ऑटोमेटिकली सस्पेंट हो जाएगा और इसका पालन आज पूरे राष्ट्र में हो रहा है। हम लोगों ने परम्पराएं बनायी हैं । मैं माननीय सदस्यों को, विशेषकर नये माननीय सदस्यों से आग्रह करूंगा कि छत्तीसगढ़ की विधान सभा एक मॉडल के रूप में, एक आदर्श के रूप में चली है उसी रास्ते पर हमको ले चलना है आदरणीय अध्यक्ष जी ने जो निर्देश दिये हैं, उसकी हम सौगंध खा लें कि शिरोधार्य करेंगे।

अध्यक्ष महोदय :- धन्यवाद्। श्री संतराम नेताम।

श्री शिवरतन शर्मा :- माननीय अध्यक्ष महोदय, कल 26 नवम्बर की रात्रि को लगभग..।

अध्यक्ष महोदय :- ये तो नहीं आता। इसको प्रश्नकाल के बाद..।

श्री शिवरतन शर्मा :- माननीय अध्यक्ष महोदय, मेरी बात सुन लीजिए। जब प्रश्नकर्त्ता सदस्य ही सुरक्षित नहीं रहेगा, उसका जीवन सुरक्षित नहीं रहेगा तो प्रश्नकाल कराने का औचित्य क्या है?

अध्यक्ष महोदय :- मैं देता हूँ। आप इसे शून्यकाल में उठाईये।

श्री शिवरतन शर्मा :- माननीय अध्यक्ष महोदय, कल घटना हुई।

अध्यक्ष महोदय :- आप इसे शून्यकाल में उठा लीजिए।

श्री शिवरतन शर्मा :- माननीय अध्यक्ष महोदय, सदन की वरिष्ठ सदस्य अजय चन्द्राकर जी को जान से मारने की धमकी दी गई।

अध्यक्ष महोदय :- मुझे पता है मेरे से बात हो गई है।

श्री शिवरतन शर्मा :- माननीय अध्यक्ष महोदय, माननीय अजय चन्द्राकर जी ने मुख्यमंत्री को, आपको, संसदीय कार्यमंत्री को पुलिस विभाग के उच्च अधिकारियों को सारी जानकारी दी और जानकारी देने के बाद, धमकी देने वाला व्यक्ति अब तक गिरफ्तार नहीं हुआ है। सदन के सदस्य की जीवन की सुरक्षा का मामला है।

श्री नारायण चंदेल :- माननीय अध्यक्ष महोदय, बहुत गंभीर विषय है।

श्री शिवरतन शर्मा :- माननीय अध्यक्ष महोदय, और प्रश्नकर्त्ता अगर सुरक्षित नहीं रहेगा तो प्रश्नकाल का औचित्य क्या रह जायेगा?

नगरीय प्रशासन मंत्री (डॉ. शिवकुमार डहरिया) :- उनको कौन मारेगा?

श्री नारायण चंदेल :- माननीय अध्यक्ष महोदय, नहीं। ये वास्तव में बहुत गंभीर विषय है।

अशोधित/प्रकाशन के लिए नहीं

श्री शिवरतन शर्मा :- माननीय अध्यक्ष महोदय, इतना गंभीर विषय है कि दूरभाष पर धमकी दी गई।

श्री नारायण चंदेल :- माननीय अध्यक्ष महोदय, ये हमारे विशेषाधिकार का हनन है।

श्री शिवरतन शर्मा :- माननीय अध्यक्ष महोदय, विषय जो है वह विधान सभा से जुड़ा हुआ मामला है। (व्यवधान) ऐसा व्यक्ति धमकी दे।

श्री संतराम नेताम :- वे इतने शक्तिशाली हैं उनको कौन धमकी देगा?

श्री नारायण चंदेल :- माननीय अध्यक्ष महोदय, आसंदी से शासन को निर्देशित हो ना चाहिए।

अध्यक्ष महोदय :- बिल्कुल।

श्री अमरजीत भगत :- माननीय अध्यक्ष महोदय, एक मिनट।

अध्यक्ष महोदय :- यह गंभीर विषय है। माननीय संसदीय कार्य मंत्री जी, यह बहुत ही चिन्ता का विषय है कि सदन के वरिष्ठ माननीय सदस्य को उनके द्वारा जनहित से संबंधित विषयों को उठाने के लिए अज्ञात व्यक्तियों द्वारा दूरभाष पर धमकी दी गई। यह निश्चित रूप से बहुत ही चिन्ता का विषय है। इसलिए मैं चाहूंगा कि इस संबंध में आप तत्काल जांच कराकर वक्तव्य सदन में दें और सभी सदस्यों की सुरक्षा सुनिश्चित करने हेतु समुचित निर्देश संबंधितों को जारी करें।

नेता प्रतिपक्ष (श्री धरमलाल कौशिक) :- माननीय अध्यक्ष महोदय, माननीय संसदीय कार्यमंत्री जी इस संदर्भ में अपनी बात रखेंगे। इसके पूर्व आपको मालूम है कि पिछले सत्र में जब गांधी जयंती के अवसर पर दो दिन का सत्र लगा और इस विधान सभा के परिसर में ऐसे असामाजिक तत्वों के द्वारा जो विधान सभा का सदस्य नहीं है और यहां पर आकर नारेबाजी करें, परिसर के अंदर में और उसके बाद में उसका हमने नारा लगाते हुए मोबाईल की क्लिपिंग दी, क्लिपिंग में सब चेहरा पहचाने गये कि किसके द्वारा उसको लाया गया, आखिर वह परिसर में कैसे घुसे, उस संदर्भ में भी उसमें आज तक कार्यवाही नहीं हुई है। दूसरी घटना कल रात को हुई, अजय चन्द्राकर जी का जो फोन आया, मुझे लगता है कि छत्तीसगढ़ राज्य बनने के बाद और मध्यप्रदेश में भी हम लोग विधायक रहे हैं। पहली घटना है कि विधायक को अपने अधिकारों से वंचित किया जाये कि वह जनहित के मुद्दे को सदन के अंदर न उठा सकें। आखिर प्रदेश किस दिशा में जा रहा है? यह बहुत चिंता का विषय है। मैंने उस दिन भी कहा था कि कितने प्रकार के माफिया यहॉ काम करने लगे हैं, उनको संरक्षण है और यह संरक्षण के कारण में ये हालात बन रहे हैं। माननीय अध्यक्ष महोदय, निश्चित रूप से आपने संसदीय कार्यमंत्री जी को आदेशित किया है, यहां पर अपनी बात रखेंगे। मैं समझता हूं कि आज के बाद में ऐसी स्थिति निर्मित न हो। आपके संरक्षण में विधानसभा की कार्यवाही हमारी संसदीय परंपराओं के अनुसार चले और निर्भय मुक्त हो करके सदस्य अपनी बात जनहित में रख सकें। यदि ऐसी भी व्यवस्था हम नहीं कर पायेंगे तो आखिर यह हमारा प्रजातंत्र और लोकतंत्र कहां जायेगा ।

अशोधित/प्रकाशन के लिये नहीं

संसदीय कार्य मंत्री (श्री रविन्द्र चौबे) :- माननीय अध्यक्ष जी, माननीय अजय चन्द्राकर जी ने कल अध्यक्ष जी आपको, माननीय मुख्यमंत्री जी को, मुझे भी फोन से सूचित किया कि ऐसा किसी अज्ञात फोन से उनको धमकी दी जा रही है। आपने मुझे तत्काल बुला करके कल निर्देश दिया था। जैसा आसंदी की भावना है और सदन की भावना है, सभी माननीय विधायकों की सुरक्षा की जिम्मेदारी सरकार की है और निरद्वन्द हो करके माननीय विधानसभा के सदस्य अपना कार्य कर सकें, संसदीय कार्यों का निर्वहन कर सकें, इस ओर हम लोग पूरी सार्थक पहल करेंगे। माननीय अध्यक्ष जी, वह चाहे अजय चन्द्राकर जी हों, अजय चन्द्राकर जी तो इस सदन के बेहद वरिष्ठ सदस्य हैं, अगर कोई नये सदस्य भी हैं, संसदीय कार्य करने के लिए अगर कोई उनको बाधा डालने का, धमकी देने का और जैसा माननीय अजय जी ने कहा कि जान से मारने की धमकी दे रहा है। ये तो बेहद गंभीर मामला है। सरकार सचेत है। जिस फोन नंबर से ये फोन आया था, उसको ट्रेस किया गया, उसकी गिरफ्तारी की गई, उसके खिलाफ कार्यवाही की जा रही है। लेकिन जिन परिस्थितियों में सारी बातें हुईं, एक तो सरकार की ओर से सभी माननीय सदस्यों की सुरक्षा के संदर्भ में विभाग को निर्देश दिया जायेगा। लेकिन आपने जैसा कहा, आपके निर्देश पर माननीय गृहमंत्री जी जैसे ही प्रश्नकाल समाप्त होगा, इस संदर्भ में एक स्टेटमेन्ट भी देंगे, की कार्यवाही से सदन को सूचित करेंगे। लेकिन माननीय नेता प्रतिपक्ष जी ने सारी बातों का जिक्र किया, मैं समझता हूं कि उसका जिक्र अभी नहीं करना चाहता, उस मामले को अब डायलूट नहीं करना है। माननीय अजय जी को जो धमकी मिली, वह मामला गंभीर है और माननीय सदस्यों की सुरक्षा के लिए सरकार पूरी तरह सजग है।

अध्यक्ष महोदय :- माननीय मंत्री जी, धन्यवाद। श्री संतराम नेताम।

श्री शिवरतन शर्मा :- माननीय अध्यक्ष जी।

अध्यक्ष महोदय :- आप डायलूट कर रहे हैं।

श्री शिवरतन शर्मा :- माननीय अध्यक्ष महोदय, विधानसभा के अंदर नारेबाजी हो, हमारे विधायकों के कानों के सामने जाकर लोग नारे लगायें, अगर सदन के अंदर सदस्य सुरक्षित नहीं रहेगा और माननीय संसदीय कार्य मंत्री कह रहे हैं कि मामले को डायलूट न करें। इतने गंभीर विषय में माननीय संसदीय कार्य मंत्री हल्के से ले रहे हैं। विधानसभा के परिसर के अंदर नारेबाजी हुई है।

श्री रविन्द्र चौबे :- डायलूट का आशय यह है कि एक मामला आपने आज ही उठाया और सरकार कार्यवाही कर रही है, सारे मामले जोड़ करके एक साथ लेने की कोशिश क्यों कर रहे हैं ?

श्री शिवरतन शर्मा :- यह मामला 2 महीने पहले उठाया गया है।

श्री रविन्द्र चौबे :- माननीय अजय चन्द्राकर जी की और सारे विधायकों की सुरक्षा की आपसे ज्यादा चिंता सरकार को है। आप सारे मामले एक साथ क्यों जोड़ रहे हैं ?

अशोधित/प्रकाशन के लिए नहीं

श्री शिवरतन शर्मा :- आप कितना चिन्तित हैं, दो महीने में क्या कार्यवाही हुई, वह आपकी चिंता को बता रहा है।

अध्यक्ष महोदय :- माननीय संतराम नेताम जी।

समय :

11:10 बजे

अध्यक्षीय दीर्घा में अतिथि

मिस्टर राबर्ट पाउलसन हाऊजर, अमेरिकी दूतावास मुम्बई के राजनीतिक मामलों के वाइस कौंसल

अध्यक्ष महोदय :- आज अध्यक्षीय दीर्घा में अमेरिकी दूतावास मुम्बई के राजनीतिक मामलों के वाइस कौंसल मिस्टर राबर्ट पाउलसन हाऊजर उपस्थित हैं । (मेजों की थपथपाहट)

तारांकित प्रश्नों के मौखिक उत्तर

एन. एच.-30 बेड़मा से कांकेर मार्ग का निर्माण

1. (*क्र. 75) श्री संतराम नेताम : क्या गृह मंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि (क) एन.एच.-30 बेड़मा से कांकेर मार्ग का निर्माण कार्य अनुबंध अनुसार कब तक पूर्ण किया जाना था ? मार्ग के निर्माण हेतु कितनी राशि की स्वीकृति प्रदान कर संबंधित फर्म को कितनी-कितनी राशि का भुगतान किया गया है ? वर्तमान में कौन से फर्म के द्वारा निर्माण कार्य कराया जा रहा है तथा उक्त मार्ग कब तक पूर्ण होगा ? (ख) पूर्ण अनुबंध ठेकेदार के विरूद्ध विभाग के द्वारा क्या कार्यवाही की गई है, अवगत करावें ?

गृह मंत्री (श्री ताम्रध्वज साहू) : (क) एवं (ख) जानकारी †[1] संलग्न परिशिष्ट में दी गयी है.

श्री संतराम नेताम :- माननीय अध्यक्ष महोदय, मैं माननीय मंत्री जी से यह जानना चाह रहा हूं कि कांकेर से बेड़मा मार्ग के पूर्ण होने की तिथि जो कि दिनांक 07.08.2018 बतायी गयी है । करीब 15 महीने हो चुके हैं, करीब डेढ़ साल होने जा रहे हैं जबकि वहां पर कोई नक्सली समस्या भी नहीं है उसके बाद भी विलंब होने का क्या कारण है ?

श्री ताम्रध्वज साहू :- माननीय अध्यक्ष महोदय, इसके विलंब होने के दो कारण रहे हैं एक तो कांकेर बायपास में भूमि अधिग्रहण का एक मामला और दूसरा ठेकेदार द्वारा कार्य की धीमी गति यह दो मूल कारण थे जिसके कारण विलंब हुआ और चूंकि एन.एच. का है तो जो ठेकेदार काम नहीं कर पा रहा था उसको निरस्त करने के लिये दिल्ली पत्र लिखा गया था अब सबलेट कर दिया गया है और काम तत्काल चालू कर दिया जायेगा ।

---

†[1] परिशिष्ट "एक"

अशोधित/प्रकाशन के लिए नहीं

श्री संतराम नेताम :- माननीय अध्यक्ष महोदय, चूंकि मामला गंभीर है और एन.एच. का मामला है । अभी आप सभी माननीय मंत्री जी और हमारे सारे सदस्य बस्तर की तरफ गये थे । एक किलोमीटर के लिये लगभग 10-15 मिनट लगते हैं जबकि कांकेर से जो बेड़मा मार्ग है वह 40 से 45 किलोमीटर का मामला है । यह टू लेन मात्र शोल्डर और चौड़ीकरण का था, मैं आपसे जानना चाह रहा हूं कि यह जो चौड़ीकरण हो रहा है इसमें कितना समय लग सकता है ?

श्री ताम्रध्वज साहू :- माननीय अध्यक्ष महोदय, मैं पूरी डिटेल माननीय सदस्य को बता देता हूं । इस सड़क की लंबाई 52 किलोमीटर की है और जिसमें कांकेर बायपास 10 किलोमीटर है उसका 5 किलोमीटर निर्माण हो चुका है और जो शेष बचा है उसमें 8 किलोमीटर बना है, 39 किलोमीटर अभी बचा है उस 39 किलोमीटर में 11 किलोमीटर जो केशकाल का बायपास है उसको छोड़कर शेष काम चूंकि जैसा मैंने बताया कि ठेकेदार ने काम नहीं किया और इसलिये उसको लिखा गया, चीफ इंजीनियर द्वारा उसको दिनांक 29.06.2017 को नोटिस दिया गया । उसके बाद चीफ इंजीनियर द्वारा दिनांक 27.09 और दिनांक 13.11 को भारत सरकार को चिट्ठी लिखी गयी कि यह ठेकेदार काम नहीं कर रहा है इसको निरस्त करने की अनुमति प्रदान करें उसके बाद भी भारत सरकार से अनुमति नहीं आयी तो राज्य सरकार के द्वारा दिनांक 26.12 को पत्र लिखा गया फिर दिनांक 08.11 को दिल्ली में मीटिंग हुई तब यह तय हुआ कि आप सबलेट कर सकते हो तो सबलेट करने की अनुमति अब आ गयी है और श्रीराम कंस्ट्रक्शन चैन्नई को सबलेट कर दिया गया है, काम शुरू हो रहा है और उम्मीद है कि दिनांक 20 जून तक केशकाल बायपास को छोड़कर मुख्यमार्ग जितना है उसका काम संपन्न हो जाएगा ।

श्री संतराम नेताम :- माननीय अध्यक्ष महोदय, माननीय मंत्री जी ने अभी अपने जवाब में कहा कि कार्य बहुत धीमा है । मैं यह जानना चाह रहा हूं कि जो 40 से 45 किलोमीटर की दूरी है उसमें लगभग मात्र दो महीने लग सकते थे जिसमें डेढ़ वर्ष लग चुके हैं । इसके धीमे होने का कारण यह नहीं है, यह मैसर्स बलेचा इंजीनियर लिमिटेड मुंबई फर्म को दिया गया था अत: मैं आपसे जानना चाह रहा हूं कि क्या कार्य आदेश समय की दूसरे फर्म को भी दिया जा सकता है या उस कार्य को अभी कौन कर रहा था और इसके पहले किसने किया ?

श्री ताम्रध्वज साहू :- माननीय अध्यक्ष महोदय, इस कार्य के ठेकेदार का नाम बलेचा इंजीनियरिंग मुंबई है । यह काम ही नहीं कर रहा था इसलिये बार-बार तत्कालीन सरकार ने भारत सरकार को चिट्ठी लिखी और उनसे अनुमति नहीं मिली थी और जब अनुमति मिली तो सबलेट करने का अधिकार है और इसलिये अनुमति के आधार पर श्रीराम कंस्ट्रक्शन चैन्नई को सबलेट किया गया है और उसको 70 परसेंट काम करने का और इनके बीच पैसे का जो भी विवाद रहा होगा तो अब मीटिंग में यह तय हुआ है कि जिसको सबलेट किया जा रहा है उसको 70 परसेंट राशि डॉयरेक्ट पेमेंट किया जा सकता है ।

अशोधित/प्रकाशन के लिये नहीं

पहले जो ठेकेदार है वह सबलेट करता था तो पेमेंट नहीं देता था लेकिन अब यह तय हो गया है कि वह जो काम करेगा तो 70 परसेंट पेमेंट सबलेट वाले को डॉयरेक्ट देंगे तो वह आराम से काम करेगा ।

श्री संतराम नेताम :- अध्यक्ष महोदय, चूंकि मामला बहुत गंभीर है । मैं आपको बताना चाहूंगा कि यह जो वलेचा कंपनी ने जिस समय काम लिया, कार्यादेश के बाद काम शुरू किया है, उस समय उन्होंने श्रीराम कंपनी को दिया । श्रीराम कंपनी ने पेटी पर आर.के.सी. कंपनी को बेचा । आर्.के.सी. कंपनी के द्वारा काम कराया गया । वहां जो हमारे जो जेसीबी मालिक हैं, टूटेन मालिक हैं, उनको पैसा नहीं दे रहा था । आज भी डेढ़ साल के बाद आर.के.सी. कंपनी काम छोड़कर भाग गई । वहां जेसीबी और टूटेन के जो मालिक हैं उनका भुगतान बाकी है । उनका भुगतान आप कराएंगे क्या ?

श्री ताम्रध्वज साहू :- सम्माननीय अध्यक्ष जी, नियमानुसार हमारे जो ठेकेदार हैं, हम उनको भुगतान करते हैं । वे किनसे गाड़ी लेते हैं, किनसे काम लेते हैं, यह सीधे हमारे अंडर नहीं होता, इसलिए हम उनको भुगतान करने के लिए नहीं कह सकते कि हम भुगतान कराएंगे ।

श्री संतराम नेताम :- अध्यक्ष महोदय, मंत्री जी ने कहा कि 27.09.2017,13.11.2017 और 26.12.2017 को पत्र लिखे गए हैं । मैं यह जानना चाहता हूं कि अनुबंध निरस्त कराएंगे क्या ?

श्री ताम्रध्वज साहू :- अध्यक्ष जी, हम अनुबंध करते नहीं हैं । यह दिल्ली परिवहन विभाग एन.एच. का, वह करता है ।

अध्यक्ष महोदय :- अजय चन्द्राकर ।

श्री संतराम नेताम :- अध्यक्ष महोदय, एक अंतिम प्रश्न । कभी कभार तो मेरा प्रश्न लगता है । वह भी एन.एच. का मामला है, उसमें भी आप आगे बढ़ जाएंगे ।

अध्यक्ष महोदय :- जल्दी करिये ।

श्री संतराम नेताम :- मंत्री जी, पत्र लिखने से क्या होगा ? आपने 3 पत्र लिख दिया, वह तो फॉरमेलिटी है, हम भी लिख सकते हैं, कोई भी लिख सकता है । लेकिन दिल्ली, भारत सरकार, परिवहन विभाग ने क्या कार्रवाई की ? आपके पत्रों के जवाब में वहां से कोई पत्र आया क्या ?

श्री ताम्रध्वज साहू :- अध्यक्ष जी, मैंने पहले ही बताया कि उसके बाद दिल्ली में मीटिंग हुई और मीटिंग में सबलेट करने का तय हुआ । परिवहन विभाग, भारत सरकार ने ही अधिकृत किया है । 8.11 को अभी मीटिंग हुई, उसमें तय हुआ फिर सबलेट किया गया । उन्हीं की निगरानी में होता है, हमारा काम सुपरविजन करने का है ।

अध्यक्ष महोदय :- चलिए, नेताम जी खुश हैं आप ।

श्री संतराम नेताम :- सर, एन.एच. का मामला है । एक किलोमीटर चलने में एक घंटा लगता है । मंत्री जी कहते हैं कि जवाब आएगा, जवाब आएगा, कब तक जवाब आएगा ? अध्यक्ष महोदय, हमें तो काम से मतलब है । उधर से एक ही सड़क है ।

अशोधित/प्रकाशन के लिए नहीं

श्री अजीत जोगी :- जवाब आ गया । सबलेट कर दिया, अब बनेगा ।

<u>मुंगेली जेल ब्रेक घटना से फरार कैदी</u>

2. (*क्र. 87) श्री अजय चन्द्राकर : क्या गृह मंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि (क) उप जेल जिला-मुंगेली में कितने कैदी रखने की क्षमता है ? (ख) मुंगेली जेल ब्रेक घटना के दौरान कितने कैदी रखे गये थे ? तथा इस घटना में कितने कैदी फरार हुये ? तथा इस घटना के कारण क्या हैं ? और इसके जिम्मेदार कौन हैं ? तथा शासन द्वारा क्या कार्यवाही की गई ?

गृह मंत्री (श्री ताम्रध्वज साहू) : (क) उप जेल मुंगेली में कुल 250 बंदी रखने की क्षमता है. गृह मंत्री (श्री ताम्रध्वज साहू) : (क) उप जेल मुंगेली में कुल 250 बंदी रखने की क्षमता है. (ख) मुंगेली जेल ब्रेक घटना के दौरान कुल 134 बंदी पृथक-पृथक बैरकों में रखे गये थे. इस घटना में 04 बंदी फरार हुए. बंदियों के फरारी का कारण ड्यूटीरत प्रहरियों का अपने कर्तव्य के दौरान निर्धारित बैरकों का पर्यवेक्षण पूर्ण रूप से नहीं करने तथा कर्तव्यों के प्रति सजग व सतर्क नहीं रहना है. साथ ही सहायक जेल अधीक्षक का अपने अधीनस्थ जेल कर्मियों पर नियंत्रण नहीं कर पाना है. इसके जिम्मेदार सुरक्षा के लिए ड्यूटीरत 02 प्रहरी एवं 01 सहायक जेल अधीक्षक हैं. घटना स्थल पर कार्यरत दो प्रहरी, एक सहायक जेल अधीक्षक को कर्तव्य के प्रति बरती गई लापरवाही के लिए तत्काल प्रभाव से निलंबित कर इनके विरूद्ध विभागीय जांच संस्थित की गई है. साथ ही घटना की दण्डाधिकारी जांच भी कराई गई है.

श्री अजय चन्द्राकर :- अध्यक्ष महोदय, मुंगेली में जेल ब्रेक की घटना हुई। उममें आपने उत्तर दिया है कि दंडाधिकारी जांच भी कराई गई । जेल ब्रेक की घटना में आपने किन-किन बिंदुओं पर दंडाधिकारी जांच कराई ? किसके द्वारा कराई ? कितनी अवधि में उन्होंने रिपोर्ट दी और उसके कितने अंशों को आपने लागू किया ?

श्री ताम्रध्वज साहू :- सम्माननीय अध्यक्ष महोदय, मुंगेली की जो जेल ब्रेक की घटना हुई उसके बाद जो जांच कराई गई है, उसमें दंडाधिकारी जांच के बाद जो रिपोर्ट दी गई है । उसके बाद विभाग उसका परीक्षण करके उसको लागू करता है ।

श्री अजय चन्द्राकर :- मैंने बहुत छोटी सी बात पूछी है । आपने दंडाधिकारी जांच किन-किन बिंदुओं पर कराई, कब कराई, दंडाधिकारी जांचकर्ता कौन था ? उसकी अनुशंसाएं क्या थीं और उनकी किन-किन अनुशंसाओं को विभाग ने लागू किया, ताकि ऐसी घटना की पुनरावृत्ति न हो । दंडाधिकारी जांच की पूरी जानकारी तो आपके पास होगी ?

श्री ताम्रध्वज साहू :- अध्यक्ष महोदय, दंडाधिकारी जांच में क्या-क्या बिंदु आएं हैं । जब फरार हुए तो दंडाधिकारी जांच का जब आदेश दिया गया तो किन परिस्थितियों में फरार हुए, कितने बजे फरार

अशोधित/प्रकाशन के लिये नहीं

हुए, किसकी गलती है, क्या कमियां थीं, ये सारे बिंदु उसमें शामिल रहते हैं । उन बिंदुओं के अनुसार उसमें दण्डाधिकारी जांच होता है और जब वे जानकारी दे देते हैं कि इसमें ये-ये गलतियां पाई गई हैं..।

श्री अजय चन्द्राकर :- मैं फिर से अपना प्रश्न दोहरा देता हूं। आपसे आग्रह है कि मैं बहुत छोटा प्रश्न पूछ रहा हूं कि दण्डाधिकारी जांच कब संस्थित की गई ? कितने दिन में रिपोर्ट दी ? दण्डाधिकारी जांच के बिन्दु क्या-क्या थे ? उसकी कितनी अनुशंसाओं को शासन ने मान्य किया ? दण्डाधिकारी जांच किसने की, आप यह भी नहीं बता रहे हैं। इसमें कोई भी अप्रत्याशित आरोप-प्रत्यारोप नहीं है। मुझे उसके बिंदुवार उत्तर दे दें, मैं इतना ही कह रहा हूं।

श्री ताम्रध्वज साहू :- 25 तारीख को ही जिला दण्डाधिकारी जिला मुंगेली के द्वारा अनुविभागीय दण्डाधिकारी मुंगेली को मजिस्ट्रेयिल जांच के लिए जांच अधिकारी नियुक्त किया गया।

श्री अजय चन्द्राकर :- बिंदु क्या-क्या थे ? क्या रिपोर्ट दी गई ? किन-किन बिंदुओं पर जांच संस्थित की गई ? रिपार्ट कब दी ? उस रिपोर्ट में क्या थे और उसकी कितनी अनुशंसाओं को शासन ने लागू किया ? मैं पहला ही प्रश्न पूछ रहा हूं।

श्री ताम्रध्वज साहू :- जो बिंदु दिये गये थे, मैं उसकी जानकारी उपलब्ध करा दूंगा और जो जांच के निर्देश उन्होंने दिये हैं, उसके लिए मैंने ही कहा है कि विभागीय तौर पर उसका परीक्षण किया जाता है, फिर उस पर कार्रवाई होती है। यह तत्काल निलंबित करने की कार्रवाई थी। जो जेल प्रहरी और सहायक जेल प्रहरी हैं, उनको निलंबित कर दिया गया है।

श्री अजय चन्द्राकर :- मैंने अभी कार्रवाई के बारे में नहीं पूछा है। मेरा आशय है कि पूरा सदन और पूरा प्रदेश इसे जाने। जेल ब्रेक की घटना कोई छोटी-मोटी घटना नहीं होती, जिसकी जानकारी मैं बाद में लूं। मैं तो यह चाहता हूं कि सब जाने। इतना छोटा सा मेरा प्रश्न है कि जेल में जांच संस्थित कब हुई ? उसके बिंदु क्या-क्या थे कि आपको इन-इन बिंदुओं की जांच करनी है। कितने दिन में रिपोर्ट करनी है ? उसके बाद उस रिपोर्ट को लागू किया गया या नहीं किया गया। आप इसे हां या नहीं में बिना दें। ये बिंदु थे, रिपोर्ट प्राप्त हो गई है और हम लागू करेंगे या नहीं करेंगे, यह हां या नहीं में बता दें, यदि आप डिटेल में नहीं बताते हैं तो।

श्री अजीत जोगी :- It is a specific question. Let a specific answer come. अब अधिकारी दीर्घा से आ गया, उसे पढ़ तो दीजिए।

श्री ताम्रध्वज साहू :- अधिकारी दीर्घा से जो आया है, वह मेरे पास है।

श्री अजीत जोगी :- अभी अधिकारी दीर्घा से आ गया है, उसे पढ़ दीजिए। ये-ये उसके बिंदु थे। ये उसकी सिफारिश थी और यह कार्रवाई हुई। यह वे 4 बार पूछ चुके हैं।

श्री ताम्रध्वज साहू :- यह अधिकारी वाला मैं बिना देखे भी बता देता हूं। दिनांक 26/10/2019 को डी.जी. जेल के द्वारा ए.आई.जी. जेल को उपजेल मुंगेली से 4 विचाराधीन बंदियों के फरार होने की

अशोधित/प्रकाशन के लिए नहीं

घटना के संबंध में घटना की विस्तृत एवं सूक्ष्म जांच कर जांच प्रतिवेदन प्रस्तुत करने हेतु निर्देशित किया गया। उसके पहले इन्हीं बिंदुओं पर अनुविभागीय अधिकारी को जुडिशियल मजिस्ट्रेट के लिए कहा गया था, यह मैं पहले ही बता रहा हूं।

श्री अजय चन्द्राकर :- देखिए, साहब मेरा उत्तर नहीं आया। एक भी उत्तर नहीं आया, मैं उसे आपके ऊपर छोड़ता हूं। सब सुन रहे हैं।

अध्यक्ष महोदय :- चलिए, दूसरा प्रश्न कीजिए।

श्री अजय चन्द्राकर :- मैं दूसरा प्रश्न कर लेता हूं। माननीय अध्यक्ष महोदय पूरे प्रदेश में जेल की स्थिति बदहाल है। जेल ब्रेक की घटना को शासन इतने हल्के में ले रही है और उसका उत्तर इतने हल्के से आया, जिसकी मुझे अपेक्षा नहीं थी। मैं उसे आपके ऊपर छोड़ता हूं। मुख्य बात यह है, जोकि मैं जानना चाहता हूं कि पिछले 3 वर्षों में पी.एस.सी. से सिलेक्ट हुए जो सहायक जेलर प्रशिक्षित हुए, उनमें कितने लोगों ने नौकरी छोड़ी और उसके कारण क्या थे? कितने लोगों ने नौकरी छोड़ी? उसके कारण क्या थे? उसे रोकने के लिए शासन कोई कार्रवाई कर रही है क्या? जोकि जेल की बदहाली का असली कारण है। जितने सहायक जेलर जेल में होने चाहिए, वे जेल में नहीं हैं। वे क्या ड्यूटी करेंगे? तो मुझे बता दें कि इन तीन सालों में कितने सहायक जेलर प्रशिक्षित होने के बाद नौकरी से इस्तीफा देकर गये? उसके कारण क्या हैं? नहीं गये तो नहीं गये।

अध्यक्ष महोदय :- मेरे ख्याल से यह प्रश्न से उद्भूत नहीं हो रहा है।

श्री ताम्रध्वज साहू :- माननीय अध्यक्ष जी, यह प्रश्न उद्भूत होता ही नहीं है।

श्री अजय चन्द्राकर :- उद्भूत होगा।

श्री ताम्रध्वज साहू :- नहीं-नहीं उद्भूत नहीं होता।

श्री अजीत जोगी :- यह उद्भूत नहीं होता है। केवल मुंगेली का पूछिए।

अध्यक्ष महोदय :- चलिए, नारायण चंदेल जी।

<u>जांजगीर-चांपा जिले में राष्ट्रीय राज्य मार्ग क्र. 49 की निर्माण लागत</u>

3. (*क्र. 198) श्री नारायण चंदेल : क्या गृह मंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि (क) जांजगीर-नगर, चांपा नगर से होते हुए सक्ती, मसनिया तक जाने वाले राष्ट्रीय राजमार्ग क्र. 49 की निर्माण एजेंसी कौन है ? इस सड़क की निर्माण लागत क्या है तथा इसके निर्माण कार्य पूर्ण होने की अवधि क्या है ? (ख) उक्त राष्ट्रीय राजमार्ग क्र. 49 पर कितने पुल पुलियों का निर्माण किया गया है ? सड़क की कुल लंबाई व चौड़ाई कितनी है ? (ग) उक्त मार्ग में बारादवार नगर एक सक्ती नगर में जिन

अशोधित/प्रकाशन के लिए नहीं

नागरिकों की जमीन राष्ट्रीय राजमार्ग क्र. 49 के लिये अधिकृत की गई क्या उनका मुआवजा शासन द्वारा प्राप्त हो चुका है ? मुआवजा की राशि कितने लोगों को कब प्राप्त हुई है ? कृपया बतायें ?

गृह मंत्री (श्री ताम्रध्वज साहू) : (क) एवं (ख) जानकारी †† [2] संलग्न प्रपत्र "अ" में दी गयी है. (ग) जानकारी †† संलग्न प्रपत्र "ब" में दी गयी है.

श्री नारायण चंदेल :- माननीय अध्यक्ष महोदय, मेरे प्रश्न के उत्तर में माननीय मंत्री जी ने परिशिष्ट-दो में जानकारी दी है। मैं माननीय मंत्री जी से जानना चाहता हूँ कि अकलतरा से लेकर आपके क्षेत्र मसनियाकला सक्ती तक जो एन0एच0-49 का निर्माण किया जा रहा है। उस एन0एच0 का काम 20.09.2018 तक काम पूर्ण करने का टेण्डर में प्रावधान है। लेकिन अभी एक साल और बीत गया, अभी नवम्बर, 2019 तक का वह काम पूरा नहीं हो पाया है। अभी 50 प्रतिशत काम भी पूरा नहीं हुआ है। मैं माननीय मंत्री जी से जानना चाहता हूँ कि देर से, विलम्ब से काम करने के लिए ठेकेदार, जो निर्माणाधीन एजेंसी है, उसको कितनी पेनाल्टी करने का उसके अनुबंध में प्रावधान है। दूसरा, जो हसदेव नदी का पुल तथा अन्य पुल-पुलिया कब तक पूर्ण हो जायेंगे ? पहले आप इस प्रश्न का उत्तर बता दीजिये फिर बाद में दूसरा प्रश्न करूंगा ।

श्री ताम्रध्वज साहू :- माननीय अध्यक्ष महोदय, माननीय सदस्य ने जो जानकारी चाही थी कि एजेंसी कौन है, मैंने उसकी जानकारी दी है। मैंने निर्माण लागत की जानकारी दी है। कार्य पूर्ण होने की अवधि की जानकारी दी है। पुल-पुलियों का निर्माण 49 में कितना किया गया है, मैं उसके विषय में बता देता हूँ।

श्री नारायण चंदेल :- वह तो परिशिष्ट में हैं।

श्री ताम्रध्वज साहू :- 7 नग पुल और 119 पुलियों का निर्माण पूर्ण कर लिया गया है, जो जानकारी चाह रहे हैं।

श्री नारायण चंदेल :- माननीय अध्यक्ष महोदय, वह तो ठीक है। मैंने यह पूछा कि देर से, विलंब से काम करने के लिए आपके निविदा में पेनाल्टी का प्रावधान होगा। कितनी पेनाल्टी ठेकेदार के ऊपर होनी चाहिए, यह आपके अनुबंध में होगा। दूसरा प्रश्न यह था कि ठेकेदार को अब तक कितनी राशि का भुगतान किया गया है, कृपया यह बता दें ?

श्री ताम्रध्वज साहू :- सम्माननीय अध्यक्ष महोदय, ठेकेदार को जो राशि का भुगतान किया गया है, मैं उसकी जानकारी दे दूंगा, परन्तु अभी पेनाल्टी नहीं लगाई गई है। क्योंकि विलंब का जो कारण रहा है, आप जानते हैं। बाराद्वार का प्रश्न था कि किन-किन को मुआवजा दिया और किन-किन को नहीं दिया। बाराद्वार और सक्ती की जानकारी दे दिए हैं। मूल रूप से बारद्वार का 80 फीट सड़क की चौड़ाई

[2] परिशिष्ट "दो"

अशोधित/प्रकाशन के लिए नहीं

के लिए रूका हुआ है। इसलिए उनके ऊपर अभी पेनाल्टी नहीं लगाई गई है। विलंब भूमि अधिग्रहण के कारण जो हुआ है, उसके कारण है।

श्री नारायण चंदेल :- माननीय अध्यक्ष महोदय, शासन के नियमों या उनकी निविदा में एक ठेकेदार को उस काम के लिए कितनी बार काम के लिए अवधि बढाने का प्रावधान शासन या निविदा में प्रावधानित है ? कृपया यह बता दें। दूसरा विषय मुआवजे से संबंधित है, जिसका आपने जिक्र किया। पिछले सत्र में ध्यान आकर्षण सूचना क्रमांक-230, मेरे ही ध्यानाकर्षण में , इन्हीं के हस्ताक्षर से मुझे जवाब मिला है। उसमें यह लिखा है कि 19 लोगों की भूमि अधिग्रहित की है, उसका मुआजवा हम शीघ्र देंगे। अभी इन्होंने उत्तर दिया है कि बाराद्वार शहर में किसी प्रकार की भूमि का अधिग्रहण नहीं किया है। इन दोनों में फर्क है और उत्तर इसी विधान सभा का है और माननीय मंत्री जी का है। तो मैं माननीय मंत्री जी से यह जानना चाहता हूँ कि इन दोनों जवाबों में अंतर कैसे है ? आप उत्तर बनाने वाले अधिकारी को प्रताड़ित करिये। इस तरह से सदन को गुमराह करना, इसकी संपूर्ण जांच कि ठेकेदार लापरवाही कर रहा है, काफी महत्वपूर्ण सड़क है। उसने समय में काम पूरा नहीं किया, आपने उसके ऊपर पेनाल्टी नहीं ठोका। जो दूसरा पुराना एन0एच0 है, न उसकी मरम्मत की जा रही है, उसका भी मरम्मत करने का प्रावधान आपके टेण्डर में है, निविदा में है। लेकिन वह भी काम नहीं किया जा रहा है। लोगों को आने-जाने में भारी परेशानी हो रही है। रोज दुर्घटनाएं घटित हो रही है। तो मेरे इन दोनों प्रश्नों का जवाब कि बाराद्वार के 19 लोग कौन थे ? उनको कब भू अर्जन की राशि दी गई है ? कितनी राशि दी गई है ? कब दी गई है ? यह बता दें। आपने कहा है कि इसमें भू-अर्जन नहीं किया गया है। इन दोनों में अंतर है।

अध्यक्ष महोदय :- माननीय मंत्री जी इसका लिखित उत्तर दे देंगे, बहुत लंबा प्रश्न है । माननीय जोगी जी ।

श्री अजीत जोगी :- चंदेल जी, आप के ही प्रश्न में पूछ रहा हूं ।

श्री नारायण चंदेल :- माननीय अध्यक्ष महोदय, मेरा यह विषय था कि जांच की घोषणा कर दें या सदन की कमेटी बनाकर जांच करा लें ।

अध्यक्ष महोदय :- किसकी जांच कराएंगे ? भूमि अधिग्रहण की ?

श्री नारायण चंदेल :- माननीय अध्यक्ष महोदय, इन दोनों में विरोधाभाष है । एक ध्यानाकर्षण में उन्होंने कहा है कि भू अर्जन किया गया है, हमने 19 लोगों की जमीन अधिग्रहित की है, भू स्वामी को हम शीघ्र भुगतान कर देंगे और अभी कहते हैं कि बाराद्वार नगर क्षेत्र में किसी प्रकार का भू अर्जन नहीं किया गया है । एक तो इसकी जांच करा दें ।

अध्यक्ष महोदय :- मेरे ख्याल से उन्होंने ऐसा नहीं कहा है कि नहीं किया गया है । उन्होंने कहा कि भूमि के अधिग्रहण में समय लगा, उसके कारण देरी हुई, जिसके कारण सड़क बनने में विलंब हुआ ।

अशोधित/प्रकाशन के लिए नहीं

श्री नारायण चंदेल :- माननीय अध्यक्ष महोदय, वह साफ लिखा है ।

श्री धर्मजीत सिंह :- माननीय अध्यक्ष महोदय, प्रश्न यह नहीं है कि समय लगा या नहीं लगा, यह बात हम नहीं कह रहे हैं । हमारा कहने का आशय यह है कि अगर सरकार की ओर से कोई भी प्रोजेक्ट लागू होता है तो उसकी सारी औपचारिकताओं को पहले पूर्ण कर लेना चाहिए । जैसे अभी कुछ दिनों पहले माननीय मुख्यमंत्री जी ने 11 या 13 सड़कों का माननीय लोक निर्माण मंत्री के साथ शिलान्यास किया । मुझे मालूम है कि उसमें बहुत सी सड़कों में भू अर्जन नहीं हुआ है । भू अर्जन की प्रक्रिया जटिल है, उसके कारण जो टाईम लिमिट है, वह लेट होता है और दो साल का काम पांच साल में भी नहीं होता है और इसी दौरान ठेकेदार को भ्रष्टाचार करने का मौका मिलता है और उसको यहां प्रशासनिक स्तर पर संरक्षण मिलता है । हमारा कहने का आशय यह है कि जो भी प्रोजेक्ट है, वह टाईम में लागू हो और पूरा हो और जब उसको शुरू करे, उसके पहले वहां का पाईप लाईन हटाना है, सिर्फ भू अर्जन नहीं है, झाड़ की समस्या है, लाईन हटाना है, खम्भा हटाना है, मकान तोड़ना है, बेजा कब्जा तोड़ना है । ये सब काम नहीं होते । कलेक्टर को बोल देते हैं कि वे देखेंगे, कलेक्टर बोलता है कि एस.डी.एम. देखेंगे, एस.डी.एम. बोलता है कि सरकार देखेगी तो इस तरीके से काम नहीं होगा । इससे प्रोग्रेस ही नहीं हो सकता ।

श्री अजय चन्द्राकर :- धर्मजीत जी, अभी पूरी सरकार अवैध धान पकड़ रही है, दूसरा काम नहीं होगा । किसानों का धान पकड़ रही है ।

श्री रामकुमार यादव :- अवैध धान तो पकड़ाही न भई, अवैध धान काबर नहीं पकड़ाही ।

श्री धर्मजीत सिंह :- माननीय अध्यक्ष महोदय, यह गंभीर मसला इसलिए है कि हमारे यहां प्रोजेक्ट लागू है, उसका फायदा ही हम नहीं ले पा रहे हैं । फायदा कैसे मिलेगा । आप उच्च स्तरीय बैठक करिए ।

श्री अजय चन्द्राकर :- अभी दूसरा मुद्दा यह है कि ये रकबा कम करने में लगे हैं ।

श्री धर्मजीत सिंह :- वह तो ऑन लाईन, आफ लाईन हो रहा है । अध्यक्ष जी, आप एक निर्देश जारी करें कि जिस क्षेत्र के विधायक हैं, उनके साथ अधिकारी और जो भी संबंधित लोग हैं, वे बैठकर चर्चा करें । हम चाहते हैं कि प्रोग्रेस हो । हमको इससे मतलब नहीं है कि कौन ठेकेदार है, कौन नहीं है।

अध्यक्ष महोदय :- आप अंतिम प्रश्न कर लीजिए ।

श्री नारायण चंदेल :- माननीय अध्यक्ष महोदय, सड़कों का घटिया निर्माण किया जा रहा है ।

श्री अजय चन्द्राकर :- अध्यक्ष महोदय, मेरा यह कहना है कि उत्तर आ जाए, इसलिए प्रश्नकाल है । इसमें आपका संरक्षण मिलना चाहिए । किसी प्रश्न का उत्तर आ जाए ।

अध्यक्ष महोदय :- मैं दे रहा हूं न ।

अशोधित/प्रकाशन के लिए नहीं

श्री नारायण चंदेल :- माननीय अध्यक्ष महोदय, मैंने यह निवेदन किया है कि एक तो सड़क की घटिया निर्माण की जा रही है । मैं आपको बताऊंगा, वे मेरी उपस्थिति में जांच करा लें । करीब 100 स्थानों पर जो सड़क का निर्माण है, उसका पैनल फट गया है, उसकी कोई मरम्मत नहीं की गयी है और जितने पुल-पुलिया का निर्माण कार्य किया जा रहा है, उसको करीब दो साल लगेंगे तो एक साल तो वैसे ही समयावधि बढ़ गई । घटिया निर्माण किया जा रहा है, ठेकदार का पता नहीं है, वहां पर निरीक्षण करने के लिए कोई टेक्निकल हैण्ड नहीं है । आप इन सारी चीजों की जांच कराएंगे क्या ?

श्री ताम्रध्वज साहू :- माननीय अध्यक्ष महोदय, न तो अभी जांच कराने की जरूरत है और न ही कोई समिति गठित करने की जरूरत है । काम चल रहा है, काम पूरा होगा और कहीं पर भी कोई गलती पायी जाएगी तो निश्चित तौर पर जांच कराएंगे, उसमें कहीं पीछे नहीं रहेंगे, नम्बर-एक । नम्बर-दो, माननीय सदस्य ने मुआवजा की बात कही तो आपके इस सड़क में बाराद्वार और सक्ती, दो जगह है और मैंने पूरी सूची लगाकर जानकारी दे दी है । सक्ती में हमने 34 कृषकों को भुगतान कर दिया है, 4 कृषक बचे हुए हैं, अलग-अलग गांव में फिर पोरथा गांव में फिर उसके बाद आप नीचे में देखेंगे तो नवापारा खुर्द में दो कृषकों को भुगतान किया गया, डोड़की में 20 कृषकों को भुगतान किया गया, दो कृषकों को भुगतान करना शेष है । अनुपूरक सूची में दिया गया है, उसमें एक कृषक को भुगतान किया गया । हरेठी गांव में 10 कृषकों को भुगतान किया गया, 1 कृषक को भुगतान करना शेष है ।

श्री नारायण चंदेल :- माननीय अध्यक्ष महोदय, मैंने हरेठी का पूछा ही नहीं है ।

श्री ताम्रध्वज साहू :- अध्यक्ष महोदय, बगबुड़वा में 8 कृषकों को भुगतान किया गया, एक कृषक को भुगतान करना शेष है तो इस प्रकार से पूरी सूची लगी हुई है और बाराद्वार के भूमि अर्जन का प्रश्न है, उसको माननीय विधायक जी अच्छी तरह जानते हैं । पूर्व में भी जानकारी दे दी गई थी कि पहले भू-अर्जन की कार्यवाही के लिए कहा गया । कलेक्टर ने नोटिस दिया, उसके बाद भू-अर्जन के लिए नाम शुरू हुआ, पी.डब्लू.डी. के नक्शे में आलरेडी 80 फीट चौड़ा रोड दर्ज था । इसलिए भू-अर्जन की कार्यवाही हुई नहीं, उस 80 कि.मी. पर हमारा सड़क बनाने का क्रम चला । अध्यक्ष जी, यह मूल बात है । इसलिए हम वहां भू-अर्जन नहीं किये और न मुआवजा दिये ।

श्री नारायण चंदेल :- माननीय अध्यक्ष महोदय, यह भारत सरकार के राजपत्र में प्रकाशित है । यह सदन के पटल पर रख देता हूँ । इन्होंने स्वीकार किया है कि 19 लोगों का भूमि को हम लोगों ने अधिग्रहित किया है और उसके भू-अर्जन की कार्यवाही की जा रही है । अब मंत्री जी बोल रहे हैं, इन्होंने ध्यानाकर्षण में दूसरा बताया है । अब ये प्रश्न के उत्तर में दूसरी बात कर रहे हैं कि वहां पर हमें आवश्यकता नहीं पड़ी, जबकि सड़क बना लिये हैं ।

श्री ताम्रध्वज साहू :- अध्यक्ष जी, मुझको यह सूची दे दें, मैं जांच करा लूंगा।

अशोधित/प्रकाशन के लिए नहीं

श्री अजय चन्द्राकर :- माननीय अध्यक्ष महोदय, यह आपत्तिजनक है । सरकार के पास सूची नहीं है, यह स्वीकार करें । हम देंगे सूची । (व्यवधान)

श्री ताम्रध्वज साहू :- कैसे लेकर बैठेंगे । ध्यानाकर्षण की बात कर रहे हैं, वह मैं थोड़ी लेकर बैठूंगा । (व्यवधान)

श्री नारायण चंदेल :- माननीय अध्यक्ष महोदय, भूमि का जो अधिग्रहण है, वह तो राजस्व विभाग करता है तो राजस्व विभाग जानकारी दे । मैं इसीलिए तो सारी चीजों की जांच कराने की मांग करा रहा हूँ । जो मामला उलझा हुआ है, जो अधूरी जानकारी दिये हैं, उसी की तो मैं जांच कराने की मांग कर रहा हूँ ।

श्री अमरजीत भगत :- माननीय अध्यक्ष महोदय, अंगुली करके उन्होंने खड़ा किये हैं । आप ही के समय के अधिकारियों का तो किया हुआ है ।

श्री धर्मजीत सिंह :- अध्यक्ष महोदय, सवाल यहां पर प्रश्न और उत्तर का नहीं है । यह मसला गंभीर इसलिए है, एक बहुत बड़ी आबादी, छत्तीसगढ़ का ¼ हिस्सा यह सड़क के नहीं बनने से पूरे राजधानी से कटऑफ है । आप सरकार को निर्देश करिये कि उस क्षेत्र के जनप्रतिनिधियों के साथ अधिकारी अगर बैठ जायेंगे तो छोटे हो जायेंगे । अध्यक्ष महोदय, आप निर्देश करिये ना । इन सारे मुद्दों पर हाई लेवल बैठक लें ।

अध्यक्ष महोदय :- जो बात करनी है, निर्देश देनी है, मैं बिल्कुल दूंगा । आगे बढ़ने दीजिए, जोगी जी को बोलने दीजिए ।

श्री नारायण चंदेल :- सर, आधे घण्टे की चर्चा स्वीकृत कर लीजिए ।

अध्यक्ष महोदय :- आप लिखित में दीजिए, मैं कर दूंगा ।

श्री अमरजीत भगत :- माननीय अध्यक्ष महोदय, एक प्रश्न में कितना समय लगायेंगे । उत्तर हो चुका है ।

अध्यक्ष महोदय:- जोगी जी ।

श्री अजीत जोगी :- मोर नाम पुकारे गे हे, तैं कैसे बोलथस ?

डॉ.शिवकुमार डहरिया :- माननीय अध्यक्ष जी, नारायण चंदेल जी को आपका बहुत संरक्षण मिलता है ।

श्री बृजमोहन अग्रवाल :- ये तो मंत्री जी आपके लिए आरोप लगा रहे हैं ।

श्री अजीत जोगी :- आदरणीय अध्यक्ष जी, एन.एच. 49 जो संयोग से आपके गृह क्षेत्र की बहुत महत्वपूर्ण सड़क है । इसमें सच में बड़ा लम्बा विलम्ब हुआ है । मैं वर्तमान सरकार को इसलिए कुछ नहीं कह सकता क्योंकि बहुत ज्यादा लम्बा जो विलम्ब हुआ, उस समय ये लोग सत्तारूढ़ नहीं थे । पर मैं दो बातें आपसे पूछना चाहता हूँ, भू-अर्जन में हर सड़क में बहुत समय लगता है । उसका मुख्य कारण

अशोधित/प्रकाशन के लिए नहीं

यह है कि भू-अर्जन का अधिकारी राजस्व विभाग का होता है और उसकी प्राथमिकतायें में बहुत सी दूसरी चीजें हैं । वह भू-अर्जन नहीं कर पाता । मेंरा प्रश्न यह है कि क्या आप भू-राजस्व संहिता 1959 में संशोधन करके सड़क के लिए भू-अर्जन का अधिकार एस.डी.ओ. पी.डब्लू.डी. या ई.ई. पी.डब्लू. डी. को दिला देंगे, जिससे वह यह न बहाना बना सके कि राजस्व वाले भू-अर्जन नहीं कर रहे हैं । इसलिए हम सड़क नहीं बना रहे हैं । आप Please ammend the act. उसको संशोधित करिये और एस.डी.ओ. और ई.ई. पी.डब्लू.डी. को अधिकृत कर दीजिए । दूसरी बात, विलम्ब में आप जुर्माना क्यों नहीं लगाते हैं ? इस सड़क में इतना विलम्ब हुआ है और एक बार भी जुर्माना नहीं लगा । इसलिए रद्द करने के लिए आपको केन्द्र सरकार से पूछना पड़ेगा । पर जुर्माना तो आप खुद लगा सकते हैं । इतने साल अध्यक्ष जी के इलाके की सड़क, चंदेल जी के इलाके की सड़क, धर्मजीत जी बोले प्रदेश का ¼ हिस्सा इसके कारण कट गया है । यह बहुत महत्वपूर्ण सड़क है । इसमें जुर्माना लगाईये, नहीं लगा था तो भू-अर्जन का अधिकार आप अपने विभाग में ले लीजिए । इन प्रश्नों का आप क्या ऐसा संशोधन करेंगे, कृपया जवाब दें ।

श्री ताम्रध्वज साहू :- माननीय अध्यक्ष महोदय, भू-अर्जन का अधिकार पी.डब्ल्यू.डी. के एस.डी.ओ. को दिया जाए, माननीय विद्वान सदस्य हैं, मुख्यमंत्री रहे हैं ये तो मेरे अधिकार में नहीं है, ये राजस्व की बात है।

श्री अजीत जोगी :- आप प्रस्ताव भेजिए ना। इसको मंत्रिमंडल में उठाईये।

श्री ताम्रध्वज साहू :- माननीय अध्यक्ष महोदय, सुझाव के तौर पर ये बात आयेगी तो वह निर्णय कर लेंगे। रहा सवाल पेनाल्टी वाली बात तो नियमानुसार उसमें अगर ठेकेदार की गलती आती जाती है तो पेनाल्टी भी लगाते हैं, इस प्रकरण में जैसा आयेगा करेंगे। अभी मूल रूप से इसलिए रूका है कि 3-4 लोग इसमें कोर्ट में याचिका लगा दिये हैं और उस याचिका का जब निराकरण हो जायेगा तो फिर हम आगे कोर्ट के आदेश के अनुसार आगे बढ़ेंगे। मैं एक बात आश्वस्त कर सकता हूं कि हमारी ओर से किसी भी प्रकार सड़क निर्माण में विलंब करने का उद्देश्य नहीं है। जरूरत पड़ी तो माननीय चंदेल जी ने जो सड़क कहा है उसे देखने मैं स्वयं चल दूंगा क्योंकि अभी मैंने क्रम शुरू किया है और बाई रोड पूरे प्रदेश का दौरा कर रहा हूं। 17 जिलों का कर चुका हूं और बाकी जिलों में भी मैं बाईरोड जा रहा हूं और जाकर जिला मुख्यालय में गृह विभाग और पी.डब्ल्यू.डी. की बैठक ले रहा हूं। मैं 17 जिले का दौरा पूरा कर चुका हूं और अगला दौरा जशपुर से शुरू करके नीचे आते तक करूंगा। मैं हर जिला मुख्यालय खुद जा रहा हूं और बाईरोड ही जा रहा हूं और माननीय चंदेल जी ने जो कहा, बीच में कल एक बात आई थी, सौरभ जी की और आदरणीय धर्मजीत सिंह जी ने कहा मैं निश्चित रूप से उसमें देखने जरूर जाऊंगा और जो जरूरी होगा वह जरूर किया जायेगा।

अशोधित/प्रकाशन के लिये नहीं

श्री केशव प्रसाद चन्द्रा :- माननीय अध्यक्ष महोदय, इसी में मेरा एक प्रश्न है।

अध्यक्ष महोदय :- माननीय मंत्री जी, सुनिए, जब आप दौरे में जाएं तो चन्द्रा जी को भी साथ ले जाएं, सौरभ सिंह जी भी रहेंगे और श्री नारायण चंदेल जी रहेंगे।

श्री ताम्रध्वज साहू :- माननीय अध्यक्ष महोदय, बिल्कुल। पर अध्यक्ष जी, धर्मजीत सिंह जी कहते हैं कि हेलीकॉप्टर से ले चलो, पर वह मेरा संभव नहीं है।

श्री धर्मजीत सिंह :- हेलीकॉप्टर को तो अभी आप लोग ऑटोरिक्शा टाईप चला रहे हैं, मुझे भी ले जाने के लिए आसंदी से आदेश कर दीजिए साहब, मैं नहीं जाऊंगा उनके साथ।

श्री रामकुमार यादव :- अध्यक्ष महोदय, दो मिनट। रोड वाला मामला है तेखरे खातिर हे। मोर रोड लगे हुए हे और गंभीर रूप से खराब हे।

अध्यक्ष महोदय :- भैय्या, ये सड़क रायगढ़ जाती है, चन्द्रपुर नहीं जाती है।

श्री रामकुमार यादव :- अध्यक्ष महोदय, मोरे इहां जतका कंपनी लगे हे उहां से सीमेंट लानथन, जतका ठन कंपनी खोल दे ह, जतका ठन धुरिहा, माटी मोरे क्षेत्र में उड़ियावथे। जतका डी.बी., एथेना हे मोरे क्षेत्र में खोल दे ह, अंबुजा सीमेंट मोरे इहां ले आवथे, रात के आदमी रेंगत नहीं हे, गाड़ी के लाईट में उकासी कस लगे हे। मोर आपसे निवेदन हे जतका सदन में मंत्रीमन बईठे हे ओमन से कि मोर रोड ल बढ़िया जोड़ा, भई।

उद्योगों में दुर्घटना से श्रमिकों की मृत्यु

4. (*क्र. 436) श्री रजनीश कुमार सिंह: क्या नगरीय प्रशासन मंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि (क) बिलासपुर रायपुर व रायगढ़ जिले में 01 जनवरी, से 30 अक्टूबर, 2019 के मध्य विभिन्न उद्योगों में दुर्घटनाओं में कुल कितने श्रमिकों की मृत्यु हुई है व कितने घायल हुए हैं? (ख) प्रश्नांश (क) अनुसार कितने मामलों में श्रमिकों/श्रमिकों के परिजनों को मुआवजा, आर्थिक सहायता, पेंशन व अनुकम्पा नियुक्ति प्रदान की गई है व कितने प्रकरण लंबित है? औद्योगिक इकाईवार जानकारी देवें? उद्योगों में श्रमिकों की मृत्यु होने या घायल होने के क्या-क्या कारण थे व सुरक्षा मानकों का पालन न करने पर क्या कार्यवाही की गई?

नगरीय प्रशासन मंत्री (डॉ. शिवकुमार डहरिया): (क) बिलासपुर, रायपुर व रायगढ़ जिले में 01 जनवरी से 30 अक्टूबर, 2019 के मध्य विभिन्न उद्योगों में दुर्घटनाओं में कुल-50 श्रमिकों की मृत्यु हुई है व 39 श्रमिक घायल हुए है. (ख) प्रश्नांश (क) अनुसार श्रमिकों एवं श्रमिकों के परिजनों को दी गई सहायता की औद्योगिक इकाईवार जानकारी एवं उद्योगों में श्रमिकों की मृत्यु होने या घायल होने के

अशोधित/प्रकाशन के लिये नहीं

कारण व सुरक्षा मानको का पालन न करने पर कृत कार्यवाही की जानकारी पुस्तकालय में रखे परिशिष्ट अनुसार है.

श्री रजनीश कुमार सिंह :- अध्यक्ष महोदय, मैंने जानकारी चाही थी कि 1 जनवरी, से 30 अक्टूबर, 2019 तक उद्योगों में कितने श्रमिकों की मृत्यु हुई, इसमें जानकारी आई है। मैं माननीय मंत्री महोदय से जानना चाहता हूं कि मृतकों, घायलों को मुआवजा व अनुकंपा नियुक्ति देने के क्या प्रावधान हैं?

डॉ. शिवकुमार डहरिया :- माननीय अध्यक्ष महोदय, माननीय सदस्य ने जो जानकारी मांगी है, इसमें जो श्रमिक के आश्रित होते हैं कारखाना प्रबंधन द्वारा उनको आर्थिक सहायता दी जाती है और इसमें जो 50 श्रमिक मृत हुए हैं उनको 03 करोड़ 86 लाख 91 हजार रूपये की राशि प्रदान की गई है। इसके अलावा अनुकंपा नियुक्ति भी प्रदान की जाती है। इसमें 14 मृत श्रमिकों के आश्रितों को और 02 मृत श्रमिकों के आश्रितों को कर्मचारी क्षतिपूर्ति अधिनियम के तहत न्यायालय द्वारा मुआवजा राशि 16 लाख रूपये प्रदान की गई है। इसके अलावा हमारे ई.एस.आई.सी. द्वारा जो बीमित रहते हैं ऐसे लोगों को बीमा कंपनी द्वारा मुआवजा राशि दी जाती है और उनके आश्रितों को अनुकंपा नियुक्ति भी दी जाती है। इसमें सभी मृत श्रमिकों के आश्रितों को अनुकंपा नियुक्ति हेतु विभाग के द्वारा पत्र प्रेषित किया गया है जिसमें 5 श्रमिकों के आश्रितों की नियुक्ति हो गई है और 38 श्रमिकों के आश्रितों को अनुकंपा नियुक्ति देने हेतु कार्यवाही प्रचलित है । 7 मृत श्रमिकों के आश्रितों द्वारा नौकरी करने हेतु आवेदन प्रस्तुत नहीं किया गया है इसलिए उस पर विचार नहीं किया जा रहा है। जो घायल श्रमिक हैं उनका ईलाज प्रबंधन द्वारा भी कराया जाता है और जो बीमित हैं, उनका बीमा कंपनी द्वारा भी ईलाज कराया जाता है।

श्री रजनीश कुमार सिंह :- माननीय अध्यक्ष महोदय, मेरा स्पेसीफिक प्रश्न था। मृतकों को कितना मुआवजा दिया जाता है। इसमें दिखाया गया है, 20 हजार रूपये से 20 लाख रूपये तक दिया गया है। किसी को 20 हजार दिया गया है और किसी को 20 लाख रूपये तक दिया गया है। उसी प्रकार घायलों को भी किसी को मुआवजा दिया गया है और किसी को सिर्फ ईलाज करके छोड़ दिया गया है। मैं यह जानना चाहता हूं कि इसमें जो मृतक हैं उनके परिवार को कितनी राशि दिये जाने का प्रावधान है ?

डॉ. शिवकुमार डहरिया :- माननीय अध्यक्ष महोदय, जो बीमित व्यक्ति हैं, उनके लिये अलग प्रावधान हैं और जो बीमित नहीं हैं उनके लिये अलग प्रावधान है। जो ठेका श्रमिक होते हैं ऐसे लोगों के लिये अलग प्रावधान हैं। इसका निर्धारण कंपनी वाले भी करते हैं और हमारे विभाग के अधिकारी दोनों मिलकर उसको तय करते हैं।

श्री रजनीश कुमार सिंह :- अध्यक्ष महोदय, इसमें जैसे बोल रहे हैं कि जो बीमित रहते हैं, बीमा वाला उसमें अलग राशि दिया है, उसको जो उद्योग हैं वे दिये हैं, बीमित राशि को छोड़कर, आपका जो जवाब मेरे पास आया है उसमें जो उद्योग हैं वह राशि दिया है, बीमित राशि तो दिये ही हैं, उसको

अशोधित/प्रकाशन के लिये नहीं

छोड़कर कोई दो लाख, पांच लाख, तीन लाख, बीस लाख, बीस हजार से पचास हजार दिये हैं। ऐसे कई प्रकार से बीमित राशि को छोड़कर दिये गये हैं। मैं इसमें यह जानना चाह रहा हूं कि क्या विभाग द्वारा श्रमिकों को ऐसी कोई निश्चित बीमा है या निश्चित रूप से उनको जो मुआवजा है वह दिया जाता है या नहीं दिया जाता है। मैं यह जानना चाह रहा हूं।

डॉ. शिवकुमार डहरिया :- माननीय अध्यक्ष महोदय, जो बीमित हैं उनको दिये जाने का प्रावधान है, कितना दिया जायेगा निश्चित है। जैसे 21 हजार रूपये तक वेतन पाने वाले कर्मचारी को ई.एस.आई.सी द्वारा बीमित होते हैं, उनको मुआवजा दिये जाने का प्रावधान अलग है। जो बीमित नहीं हैं, जो ठेका द्वारा श्रमिक वहां काम करते हैं उनकी कहीं मृत्यु हो जाती है तो उनके आश्रितों के साथ चर्चा करके प्रबंधन द्वारा और हमारे विभाग के जो अधिकारी हैं उन लोग उनसे मिलकर तय कर लेते हैं कि कितना रूपये दिया जाना चाहिए।

श्री शिवरतन शर्मा :- माननीय अध्यक्ष महोदय, माननीय मंत्री जी ने स्वीकार किया है कि 10 माह के अंदर 50 लोगों की मृत्यु और 39 लोग घायल हुए हैं। मैं माननीय मंत्री जी से जानना चाहता हूं कि ऐसे कितने कारखाने हैं जिसमें इस 10 महीने में एक से ज्यादा बार दुर्घटनाएं घटित हुई है और लोगों की मृत्यु हुई है, पहला तो यह बता दें। दूसरा, लगातार घटनाएं घट रही है, इतनी बड़ी संख्या में मृत्यु हो रही है, सुरक्षा उपाय अगर कारखाना मालिकों ने नहीं किया है तो क्या उनके खिलाफ कोई आपराधिक प्रकरण दर्ज किया गया है और किया गया है तो किन-किन कारखाना मालिकों के खिलाफ आपराधिक प्रकरण दर्ज हैं ?

अध्यक्ष महोदय :- आप पूरे प्रदेश का कैसे पूछ सकते हैं ?

श्री शिवरतन शर्मा :- अध्यक्ष महोदय, मैं सिर्फ प्रश्न है उसी से पूछ रहा हूं। मैंने सिर्फ यह पूछा है कि यह जो प्रश्न वह 50 मृत्यु के सबंध में है। मैंने इस प्रश्न में सिर्फ डिटेल ही पूछा है, आप बता दें। यह 50 लोगों की मृत्यु हुई है उसी कारखाने के बारे में पूछा है। इसमें क्या दो से ज्यादा घटनाएं हुई है ? क्या मालिकों के ऊपर कोई आपराधिक प्रकरण दर्ज किया गया ?

डॉ. शिवकुमार डहरिया :- माननीय अध्यक्ष महोदय, मैंने इसमें स्पष्ट जानकारी दी है कि जो दुर्घटनाएं होती है और जो दर्ज प्रकरण हैं, उसकी भी जानकारी दी है। उसको माननीय सदस्य पढ़ लें। पूरी 50 दुर्घटनाएं जो हुई है उसके क्या कारण है? जो दुर्घटना हुई है उसमें प्रबंधन के खिलाफ क्या कार्यवाही की गई है ? पूरी जानकारी उसमें लिखी हुई है।

श्री शिवरतन शर्मा :- अध्यक्ष महोदय, क्या सुरक्षा के उपाय और आपराधिक प्रकरण दर्ज किये हैं ? सुरक्षा के उपाय की अवहेलना के चलते मैंने यह पूछा है। आपका इसमें उल्लेख नहीं है।

डॉ. शिवकुमार डहरिया :- अध्यक्ष महोदय, सुरक्षा के उपाय के चलते..।

अध्यक्ष महोदय :- श्रीमती रंजना डीपेन्द्र।

अशोधित/प्रकाशन के लिए नहीं

श्री रजनीश कुमार सिंह :- अध्यक्ष महोदय, एक प्रश्न, महत्वपूर्ण प्रश्न है।

अध्यक्ष महोदय :- समय खत्म हो गया, उसको करनी दीजिए।

श्री रजनीश कुमार सिंह :- अध्यक्ष महोदय, एक ही फैक्ट्री में इस 10 महीने में चार मौतें हुई है। उसमें चारों में एक ही जवाब आया है कि सुरक्षा कार्य प्रणाली नहीं अपनाई गई और कार्यों का सही परिवेक्षण नहीं किया गया। ये सभी श्रमिकों के मृत्यु के जो कारण हैं उसमें यह बात दर्शायी गयी है। मैं माननीय मंत्री जी से जानना चाहता हूं कि यदि उद्योग ने सुरक्षित कार्य प्रणाली नहीं अपनाई है या विभाग द्वारा सही परिवेक्षण नहीं किया गया है। क्या आप इसके खिलाफ कोई कार्यवाही किये हैं या नहीं किये हैं, तो क्या कार्यवाही करेंगे ?

डॉ. शिवकुमार डहरिया :- माननीय अध्यक्ष महोदय, निश्चित रूप से, बहुत सारी ऐसी फैक्ट्रियां हैं जो बिना अनुमति के, बिना पंजीयन की शुरू हो जाती है। जैसे जानकारी आती है तो उसका पंजीयन कराते हैं और दुर्घटना रोकने के पूरे उपाय वहां किये जायें , इसकी व्यवस्था सरकार करती है और उनको निर्देश दिये जाते हैं, हम प्रशिक्षण भी कराते हैं, श्रमिकों का भी प्रशिक्षण कराते हैं जो कंपनियां हैं, जो फैक्ट्रियां हैं उनके लोगों को भी निर्देश दिये जाते हैं कि दुर्घटनाएं नहीं होनी चाहिए। इसके अलावा जो हमारे अधिकारीगण हैं, वह इन फैक्ट्रियों का निरीक्षण भी करने जाते हैं इसकी हमारी ऑलरेडी ऑन लाईन पद्धति है कि कोई भी फैक्ट्री जो ऐसी खुली हुई है वहां पर सुरक्षा उपकरण या या अन्य चीजें न हों, उसके लिए हमारे अधिकारी जाकर निरीक्षण भी करते हैं और पूरे निर्देश भी देते हैं ताकि इस तरह की दुर्घटनाएं कभी भविष्य में न हों।

<u>धमतरी विधान सभा क्षेत्र में सड़क मरम्मत हेतु स्वीकृत राशि</u>

5. (*क्र. 452) श्रीमती रंजना डीपेन्द्र साहू : क्या गृह मंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि (क) धमतरी विधानसभा क्षेत्र के अंतर्गत 2015-16, 2016-17, 2017-18, 2018-19, 2019-20 में सड़क मरम्मत हेतु किन-किन सड़कों के लिए कितनी राशि की स्वीकृति हुई? (ख) उक्त स्वीकृत सड़कों के नाम, लंबाई एवं व्यय की गई, राशि की जानकारी देवें ?

गृह मंत्री (श्री ताम्रध्वज साहू) : (क) एवं (ख) जानकारी पुस्तकालय में रखे परिशिष्ट में दी गयी है.

श्रीमती रंजना डीपेन्द्र साहू :- माननीय अध्यक्ष महोदय, मेरे प्रश्न का उत्तर मुझे प्राप्त हुआ है और इसमें माननीय मंत्री जी ने बताया है कि वर्ष 2015-16 से वर्ष 2019-20 तक लगभग 5 वर्षों में इसमें नवीनीकरण, डब्ल्यू.बी.एम. और बी.टी. पेच का कार्य लगभग 20 करोड़ रूपये से ऊपर का कार्य हुआ है और आज यदि हम इन सड़कों की स्थिति देखें तो इसमें कोलियारी करेठा, जो मार्ग है यह

अशोधित/प्रकाशन के लिये नहीं

लगभग 5 वर्ष और प्रतिवर्ष यह सड़क स्वीकृत हो रही है और इनमें से सभी सड़कें प्रत्येक वर्ष या एक-एक वर्ष के अंतराल में डब्ल्यू.बी.एम. और बी.टी. पेच की सभी सड़कें स्वीकृत हो रही हैं। लेकिन आज भी एक भी सड़क चलने के लायक नहीं है और साथ ही साथ मैं दो गांवों का जिक्र करना चाहती हूँ। भोथली से कण्डेल मार्ग, छाती से उड़ेला मार्ग इसमें थोड़ी सी सड़क तो दिख रही है, लेकिन आजू बाजू इनकी पटरी गायब है। इसी प्रकार से कोलियारी खरेंगा दर्री सड़क का यहां पर उल्लेख करना चाहती हूँ जो वर्ष 2015-2016 से वर्ष 2019-2020 तक, प्रत्येक वर्ष यह लगातार इसमें डब्ल्यू.बी.एम. और बी.टी. पेच का कार्य स्वीकृत हुआ है और इसमें दो बार वर्ष 2016-2017 में और अभी वर्ष 2019-2020 में फिर से नवीनीकरण का कार्य स्वीकृत हुआ है। माननीय महोदय जी प्रत्येक वर्ष यहां पर यदि डब्ल्यू.बी.एम. और बी.टी. पेच के कार्य स्वीकृत हो रहे हैं, नवीनीकरण का कार्य स्वीकृत हुआ है, लेकिन ऐसी क्या बात है कि यह सड़क पूरे गड्ढों से अभी भी पटा हुआ है, इसमें चलने के लायक नहीं है।

श्री ताम्रध्वज साहू :- माननीय अध्यक्ष महोदय, सदस्य जी ने जो कहा उस पर क्या कहूं, उन्होंने जानकारी मांगी थी कि वर्ष 2015-2016, वर्ष 2016-2017 और वर्ष 2017-2018 में कितनी राशि स्वीकृत हुई? मैंने वह जानकारी दी। काम करने वालों ने कैसा किया कि अभी भी गड्ढे का गड्ढा है अब उसको हम लोग भरने का क्रम शुरू कर रहे हैं और अब इस तरफ जो काम होगा, वह कोशिश करेंगे कि अच्छा हो, उसकी क्वालिटी ठीक हो, गुणवत्तायुक्त हो, यह कोशिश की जाएगी।

श्रीमती रंजना डीपेन्द्र साहू :- माननीय अध्यक्ष महोदय, मैं मंत्री जी के इन जवाबों से संतुष्ट नहीं हूँ क्योंकि इनकी जिम्मेदारी है इनका विभाग है तो इनको जिम्मेदारी लेनी पड़ेगी कि यदि प्रत्येक वर्ष ये कार्य स्वीकृत हो रहे हैं तो गड्ढे अभी भी क्यों नहीं भरे जा रहे हैं? पिछले महीने माननीय मंत्री जी की शिरकत मेरे धमतरी विधान सभा में हुआ था और इनका सार्वजनिक तौर पर ये बयान आया था कि 15 वर्षों में भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने जो गड्ढे किये हैं, हम उन्हें भरने का काम कर रहे हैं तो मैं यह जानना चाहती हूँ कि एक साल में इन्होंने कितने गड्ढों को भरा है?

श्री रामकुमार यादव :- वही तो भरत हन।

श्री अजीत जोगी :- बहुत बढ़िया।

श्री ताम्रध्वज साहू :- माननीय अध्यक्ष महोदय, एक साल में कितने गडढे भरे हैं, वह जानकारी तो अभी नहीं है पर 15 दिसम्बर तक पूरे प्रदेश के समस्त सड़कों के गड्ढा भराई का काम हमारा चालू हो जाएगा। चारों तरफ एजेंसी लगी हुई है और पूरे भा.ज.पा. के गड्ढे भरने का काम हम कर रहे हैं।

श्री शिवरतन शर्मा :- माननीय अध्यक्ष महोदय, लेकिन ये किसने किये, यह बता दीजिए?

श्री कुलदीप सिंह जुनेजा :- इन 15 सालों के गड्ढे हैं मंत्री जी ने भरवाएं हैं।

श्री कुंवरसिंह निषाद :- आप लोग बता दीजिए कि कितने किये हैं, वह भरने का काम माननीय मंत्री जी कर देंगे।

श्री कुलदीप सिंह जुनेजा :- रायपुर शहर में जो 15 सालों के गड्ढे हैं मंत्री जी ने भरवाएं हैं।

श्री कुंवरसिंह निषाद :- आपके जितने किये हुए गड्ढे हैं वह माननीय मंत्री जी भरने का काम कर रहे हैं। आप एक साल का समय दीजिए।

श्री रामकुमार यादव :- वही बूता बस चलत हे।

श्री अजीत जोगी :- 15 सालों का गड्ढा एक साल में नहीं भर पाओगे ?

श्रीमती रश्मि आशिष सिंह :- खुद प्रश्नकर्त्ता स्वीकार कर रही है कि हर वर्ष आदेश निकलता है तो इसी वर्ष को छोड़कर, हर वर्ष आते ही थे। हर वर्ष का आरोप आपने खुद ही लगाया है।

श्रीमती रंजना डीपेन्द्र साहू :- माननीय अध्यक्ष महोदय, मैंने जिस गांव का जिक्र किया है कोलियारी खरेंगा दर्री मार्ग ये बहु प्रतिक्षित मांग है इस सड़क में 11 से अधिक दुर्घटनाओं में महिला एवं पुरूषों की मौत हुई है। यहां पर इसी सड़क पर एक प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र है और 25 से 3 गांव जो धमतरी जिला मुख्यालय को जोड़ते हैं यह एक ही सड़क है और यहां पर अनेक हाई और हायर सेकेण्डरी स्कूल है और एक प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र है और अनके यहां पर रेत घाट भी इसी सड़क में है और हाईवा जो चलती है उस कारण से इस सड़क में दबाव बना है मैं इस बात स्पष्ट करती हूँ और क्यों इस सड़क को नहीं बनाया जा रहा है। प्रत्येक वर्ष इस सड़क की मांग हो रही है, मैंने स्वयं माननीय मुख्यमंत्री जी को पत्र लिखकर इस विषय में अवगत कराया है, मैंने माननीय मंत्री जी से भी मुलाकात करके उन्हें इस रोड के विषय में जानकारी दी। लेकिन एक वर्ष हो गये, इस रोड के लिए कहीं भी कोई भी बातों को संज्ञान में नहीं लिया गया। अभी फिर से इसे नवीनीकरण के लिए लिया गया है। क्या नवीनीकरण कराने से यह रोड अच्छी बन जायेगी? फिर से वही स्थिति आयेगी, फिर से वही हाईवा चलेंगे, क्या इस रोड को बनाने के लिए सीधे रोड का चौडीकरण और बड़ी रोड की स्वीकृति नहीं कर सकते और यदि करेंगे तो कब तक करेंगे, मुझे इसका जवाब चाहिए।

श्री अजीत जोगी :- बहुत अच्छा।

श्री ताम्रध्वज साहू :- माननीय अध्यक्ष जी, मरम्मत कार्य का पूछा गया था, मैंने जानकारी दे दी है। सड़क की जो बात कर रही हैं, मैं दिखवा लेता हूं कि कितनी चौड़ी है, कितनी हाईवा चलती हैं, तो कितनी गुणवत्तायुक्त सड़क बनानी पड़ेगी, दूरी कितनी है, क्या सीमेन्ट सड़क बनानी पड़ेगी, तब हाईवा चलेगा, खराब नहीं होगा। किस प्रकार से करना पड़ेगा, मैं दिखवा लेता हूं।

श्रीमती रंजना डीपेन्द्र साहू :- माननीय महोदय, आप बता दीजिए कि हाईवा नहीं चलेगी, उस रोड का नवीनीकरण चल जायेगा।

श्री अजय चन्द्राकर :- कहॉ दिखवा लेंगे?

अशोधित/प्रकाशन के लिए नहीं

श्री ताम्रध्वज साहू :- सड़क में जाकर। या तो अजय चन्द्राकर जी अपने घर में बुलवाकर दिखवा लें, मैं वहां जाकर देख लूंगा। मैं तैयार हूं, क्योकि धमतरी जाने के लिए कुरूद तो क्रास करना ही पड़ेगा। पर आप नंबर एक के कंजूस हो, कभी रूकने के लिए बोलते नही हो।

नगरीय प्रशासन मंत्री (डॉ. शिवकुमार डहरिया) :- 15 साल के गढ्ढा ला भरे बर थोड़ा टाइम तो लागही।

श्री केशव चन्द्रा :- कंजूसी के कारण नहीं, दल के कारण रूकने के लिए नहीं बोलते हैं।

श्री अजीत जोगी :- एक साल मा नई भरय।

श्री ताम्रध्वज साहू :- सम्माननीय अध्यक्ष महोदय, गढ्ढा भराई पी.डब्ल्यू.डी. का एक नियमित सिस्टम है, 3 प्रकार के काम विभाग करता है।

श्री बृजमोहन अग्रवाल :- माननीय अध्यक्ष महोदय, छठवें नंबर पर मेरा प्रश्न है।

श्री कुवर सिंह निषाद :- हम लोगों का भी प्रश्न है।

अध्यक्ष महोदय :- महिला सदस्य हैं, इसलिए उनको समय दिया है।

डॉ. शिवकुमार डहरिया :- रंजना जी, आप एकाध प्रश्न और कर लीजिए।

श्रीमती रंजना डीपेन्द्र साहू :- मेरा प्रश्न कल है।

अध्यक्ष महोदय :- चलिये, बृजमोहन अग्रवाल जी।

श्री बृजमोहन अग्रवाल :- माननीय अध्यक्ष महोदय, मेरा प्रश्न है।

श्री ताम्रध्वज साहू :- माननीय अध्यक्ष महोदय, मैं उत्तर दे लूं।

श्री बृजमोहन अग्रवाल :- नहीं, उत्तर हो गया। (हंसी)

श्री अजय चन्द्राकर :- माननीय सदस्या, आपके उत्तर से संतुष्ट हैं।

श्री ताम्रध्वज साहू :- अध्यक्ष महोदय, मैं प्रश्न का उत्तर तो दे लूं, उत्तर तो देना पड़ेगा।

अध्यक्ष महोदय :- आप उत्तर दीजिए।

श्री बृजमोहन अग्रवाल :- [XX][3]

अध्यक्ष महोदय :- आपको अभी नहीं बुलाया है।

श्री बृजमोहन अग्रवाल :- अध्यक्ष महोदय, मुझे आपने आवाज दिया है।

डॉ. शिवकुमार डहरिया :- माननीय मंत्री जी का उत्तर तो आ जाने दीजिए।

श्री बृजमोहन अग्रवाल :- आपने मुझे प्रश्न पूछने के लिए आवाज दिया है।

अध्यक्ष महोदय :- वह अभी बैठे नहीं हैं, जवाब पूरा नहीं हुआ है, कैसी बात करते हैं ? अभी माननीय मंत्री जी का जवाब नहीं हुआ है।

अशोधित/प्रकाशन के लिये नहीं

[3] [XX] अध्यक्षीय पीठ के आदेशानुसार निकाला गया ।

श्री ताम्रध्वज साहू :- मैं तो अभी बैठा नहीं हूं, मैं तो खड़ा हूं।

श्री बृजमोहन अग्रवाल :- [XX]

श्री ताम्रध्वज साहू :- अध्यक्ष महोदय, मैं बैठा नहीं हूं, मैं पहले से खड़ा हूं।

अध्यक्ष महोदय :- माननीय मंत्री जी आप अपना उत्तर दीजिए। आपने अपना उत्तर समाप्त नहीं किया है।

श्री ताम्रध्वज साहू :- जी।

श्री बृजमोहन अग्रवाल :- [XX]

अध्यक्ष महोदय :- आप मत सुनिये, आपकी मर्जी। (व्यवधान) आप बैठिये, मेरी बात तो सुनिये।

श्री ताम्रध्वज साहू :- उत्तर सुनना पड़ेगा, मैं खड़ा हूं।

अध्यक्ष महोदय :- अभी तक आपका प्रश्न आ गया होता। आप जान बूझकर बैठ रहे हैं। मैं बोल रहा हूं कि उनको एक मिनट के खड़े रहने दीजिए, मैं आपको बुला रहा हूं।

श्री बृजमोहन अग्रवाल :- माननीय अध्यक्ष महोदय, [XX]

अध्यक्ष महोदय :- ठीक है न, मैं आपको बुला रहा हूं न। (व्यवधान)

श्री बृजमोहन अग्रवाल :- [XX]

अध्यक्ष महोदय :- इसलिए मैं आपको बुला रहा था, आप जान-बूझकर नहीं करना चाहते। (व्यवधान)

श्री संतराम नेताम :- [XX]

श्री धरमलाल कौशिक :- [XX] (व्यवधान)

डॉ. लक्ष्मी ध्रुव :- [XX] [4] (व्यवधान)

अध्यक्ष महोदय :- प्रश्नकाल समाप्त ।

(प्रश्नकाल समाप्त)

---

[4] [XX] अध्यक्षीय पीठ के आदेशानुसार निकाला गया ।

अशोधित/प्रकाशन के लिये नहीं

पृच्छा

नगरीय प्रशासन मंत्री (डॉ. शिवकुमार डहरिया) :- [XX] [5]

श्री कुंवर सिंह निषाद :- [XX] (व्यवधान)

श्री चंद्रदेव प्रसाद राय :- [XX] (व्यवधान)

डॉ. रमन सिंह :- माननीय अध्यक्ष महोदय, इस महत्वपूर्ण विषय पर चर्चा हो सकती है । आप इसको स्पष्ट रूप से कल के लिये ले लें, आधे घंटे की चर्चा ले लें ताकि इतना महत्वपूर्ण विषय जिस पर माननीय बृजमोहन अग्रवाल जी उत्तेजित हो रहे हैं निश्चित रूप से वह पूरे प्रदेश की समस्या है इसलिये इस चर्चा को या तो आप कल ले लें या आधे घंटे की चर्चा ले लें ।

अध्यक्ष महोदय :- उसके लिये अलग से मुझसे निवेदन करेंगे तो मैं सुन लूंगा। उसमें मैं कहां बोल रहा हूं ? (व्यवधान)

डॉ. शिवकुमार डहरिया :- [XX] (व्यवधान)

श्री शिवरतन शर्मा :- [XX] (व्यवधान)

डॉ. शिवकुमार डहरिया :- [XX] (व्यवधान)

श्री सौरभ सिंह :- [XX] (व्यवधान)

अध्यक्ष महोदय :- चलिये, प्रश्न-उत्तर के अतिरिक्त जो भी बातें हुईं मैं उनको विलोपित करता हूं ।

अध्यक्षीय व्यवस्था

अध्यक्ष महोदय :- माननीय सदस्यगण की भावना एवं लोकमहत्व के अधिक से अधिक विषयों पर चर्चा हो सके इस दृष्टि से मैंने 4 ध्यानाकर्षण लिये हैं और लिये जाने का निर्णय लिया है अत: मेरा माननीय सदस्यों से अनुरोध है कि जिस सदस्य का नाम ध्यानाकर्षण सूचना में है वह नियम 138 (2) का पालन करते हुए एक अनुपूरक प्रश्न पूछें । माननीय सदस्यों से यह अपेक्षित है ताकि लोकमहत्व के अधिक से अधिक विषय सदन में आएं । जीरो ऑवर्स ।

डॉ. शिवकुमार डहरिया :- माननीय अध्यक्ष महोदय, प्रश्नकाल के दौरान माननीय अजय चंद्राकर जी ने...।

अध्यक्ष महोदय :- पहले मेरी बात सुन लीजिए । पूर्व से कुछ नियम-कानून बने हैं उसका पालन करना पड़ेगा । डॉ. शिवकुमार डहरिया ।

[5] [XX] अध्यक्षीय पीठ के आदेशानुसार निकाला गया ।

अशोधित/प्रकाशन के लिये नहीं

समय :
12:03 बजे

अध्यादेश का पटल पर रखा जाना

(i) छत्तीसगढ़ नगरपालिक निगम (संशोधन) अध्यादेश, 2019 (क्रमांक 2 सन् 2019) तथा
(ii) छत्तीसगढ़ नगरपालिका (संशोधन) अध्यादेश, 2019 (क्रमांक 3 सन् 2019)

नगरीय प्रशासन मंत्री (डॉ. शिवकुमार डहरिया) :- माननीय अध्यक्ष महोदय, मैं भारत के संविधान के अनुच्छेद 213 की अपेक्षानुसार :-

(i) छत्तीसगढ़ नगरपालिक निगम (संशोधन) अध्यादेश, 2019 (क्रमांक 2 सन् 2019) तथा

(ii) छत्तीसगढ़ नगरपालिका (संशोधन) अध्यादेश, 2019 (क्रमांक 3 सन् 2019) पटल पर रखता हूं ।

समय :
12:03 बजे

पत्रों का पटल पर रखा जाना

(1) (i) छत्तीसगढ़ राज्य सहकारी बैंक मर्यादित (अपेक्स बैंक) का अंकेक्षित वित्तीय पत्रक (ऑडिट रिपोर्ट) वर्ष 2018-19 तथा
(ii) छत्तीसगढ़ राज्य सहकारी विपणन संघ मर्यादित का अंकेक्षण प्रतिवेदन वित्तीय वर्ष 2018-19

सहकारिता मंत्री (डॉ. प्रेमसाय सिंह टेकाम) :- माननीय अध्यक्ष महोदय, मैं छत्तीसगढ़ सहकारी सोसाइटी अधिनियम, 1960 (क्रमांक 17 सन् 1961) की धारा 58 की उपधारा (7) की अपेक्षानुसार :-

(i) छत्तीसगढ़ राज्य सहकारी बैंक मर्यादित (अपेक्स बैंक) का अंकेक्षित वित्तीय पत्रक (ऑडिट रिपोर्ट) वर्ष 2018-19 तथा

(ii) छत्तीसगढ़ राज्य सहकारी विपणन संघ मर्यादित का अंकेक्षण प्रतिवेदन वित्तीय वर्ष 2018-19 पटल पर रखता हूं ।

(2) भू-संपदा (विनियमन एवं विकास) अधिनियम, 2016 (क्रमांक 16 सन् 2016)

आवास एवं पर्यावरण मंत्री (श्री मोहम्मद अकबर) :- माननीय अध्यक्ष महोदय, मैं भू-संपदा (विनियमन एवं विकास) अधिनियम, 2016 (क्रमांक 16 सन् 2016) की धारा 86 की उपधारा (2) की अपेक्षानुसार अधिसूचना क्रमांक एफ 7-13/2017/32, दिनांक 27 जुलाई, 2019 पटल पर रखता हूं ।

अशोधित/प्रकाशन के लिये नहीं

श्री शिवरतन शर्मा :- माननीय अध्यक्ष महोदय, मैं जीरो आवर्स में हमने श्री अजय चंद्राकर जी वाला मुद्दा उठाया था ।

अध्यक्ष महोदय :- उस पर वक्तव्य आ रहा है, आप लोग एक सेकेंड के लिये इंतजार नहीं करना चाहते । माननीय मंत्री जी, माननीय चंद्राकर जी के संबंध में आपका वक्तव्य आ गया हो तो अपना वक्तव्य पढ़ें ।

अध्यक्ष महोदय :- माननीय मंत्री जी, माननीय चंद्राकर जी के संबंध में आपका वक्तव्य आ गया हो तो वक्तव्य पढ़ें ।

श्री अजीत जोगी :- ज़ीरो आवर नहीं होगा अध्यक्ष जी ?

समय :
12:05 बजे

वक्तव्य

माननीय सदस्य के साथ फोन पर किया गया अभद्र व्यवहार

गृहमंत्री (श्री ताम्रध्वज साहू) :- माननीय अध्यक्ष महोदय, कल की घटना के विषय में यहां जो चर्चा की गई । उसके संबंध में मेरा वक्तव्य इस प्रकार से है -

प्राप्त जानकारी के अनुसार कल दिनांक 26.11.2019 को सायंकाल मोबाइल नम्बर 83508 60373 से एक अज्ञात व्यक्ति द्वारा माननीय विधायक श्री अजय चन्द्राकर जी के मोबाइल नम्बर 9893633000 पर कॉल करके अभद्र व्यवहार किया गया । माननीय विधायक द्वारा प्रदेश के पुलिस महानिदेशक को फोन द्वारा तत्काल उक्त घटना की सूचना दी गई । सूचना मिलते ही पुलिस महानिदेशक के निर्देश पर इंटेलीजेंस शाखा द्वारा उक्त मोबाइल नम्बर कॉलर की पहचान की गई । पुलिस की कई टीमें तत्काल बनाई गईं और उक्त व्यक्ति को गिरफ्तार करने के निर्देश पुलिस महानिदेशक के द्वारा दिये गये । रात्रि में ही दुर्ग पुलिस द्वारा उक्त कॉलर को हिरासत में ले लिया गया । उक्त कॉलर का नाम जसपाल सिंह रंधावा, निवासी दुर्ग है । आरोपी ने पूछताछ पर पुलिस को बताया कि उसका रेत खदान का व्यवसाय है एवं थाना मगरलोड जिला धमतरी के ग्राम देवरी, बिलौदा, हथबंद एवं अमलीडीह में रेत का काम है । पड़ोसी ग्राम हथबंद में नवीन चन्द्राकर एवं नागू चन्द्राकर का रेत का काम चल रहा है, परंतु जसपाल सिंह रंधावा का रेत का कार्य बंद करा दिया गया है । इससे जसपाल सिंह परेशान था । कल गांव वालों ने जसपाल सिंह को 9893633000 नम्बर दिया एवं बताया कि यह माननीय विधायक के पी.ए. का नम्बर है, इस पर बात कर लीजिए । आरोपी रंधावा ने उक्त मोबाइल नम्बर पर बात कर माननीय विधायक जी से अभद्र व्यवहार किया । जसपाल सिंह रंधावा के विरूद्ध शांति भंग की आशंका पर धारा 151 दंड प्रक्रिया संहिता के अंतर्गत गिरफ्तार कर उन्हें सक्षम न्यायालय के समक्ष प्रस्तुत किया जा रहा है । माननीय विधायक द्वारा एफ.आई.आर. करने से मना

अशोधित/प्रकाशन के लिये नहीं

किया गया है । परंतु माननीय विधायक चाहेंगे तो तत्काल एफ.आई.आर. कर यथोचित विधिसम्मत कार्यवाही की जाएगी । रात्रि में ही माननीय विधायक जी को अतिरिक्त सुरक्षा अधिकारी उपलब्ध कराए गए थे । जिन्हें स्वयं विधायक जी के अनुरोध पर आज वापस किया जा रहा है । प्रदेश की सरकार एवं पुलिस माननीय विधायकों एवं सभी जनप्रतिनिधियों की सुरक्षा के लिए दृढ़संकल्पित है, धन्यवाद ।

नेता प्रतिपक्ष (श्री धरमलाल कौशिक) :- माननीय अध्यक्ष महोदय, अभी तक हमने बिहार और उत्तर प्रदेश में रेत माफियाओं के द्वारा जिस प्रकार से जनप्रतिनिधियों और अधिकारियों के साथ व्यवहार किया जाता है, यह सुना था । लेकिन अब बिहार और उत्तरप्रदेश की तर्ज पर रेत माफियाओं के द्वारा इस प्रकार के जो कुत्सित प्रयास किये जा रहे हैं, निश्चित रूप से यह गंभीर विषय है कि जनप्रतिनिधि अपनी बातों को न उठा सकें । बात यह आ रही है उसकी गिरफ्तारी हो जाए, उसका चालान हो जाए । बात एक व्यक्ति की गिरफ्तारी की नहीं है । एक व्यक्ति के चालान की बात नहीं है । आखिर उसके पीछे साजिश करने वाले कौन लोग हैं, उसके पीछे खड़े होने वाले कौन लोग हैं ? रेत माफियाओं का हौसला इतना कैसे बढ़ा हुआ है ? इनको किनका-किनका संरक्षण प्राप्त है ?

समय :
12:09 बजे **(सभापति महोदय (श्री सत्यनारायण शर्मा) पीठासीन हुए)**

ऐसे समय में यदि सरकार के द्वारा विधायक जी से पूछे या जनप्रतिनिधि से कहे कि यदि आप रिपोर्ट करना चाहें । अरे, इतनी बड़ी घटना के बाद उस पर एफ.आई.आर. दर्ज करने के लिए आपको पूछने की आवश्यकता है । क्या पुलिस स्वयं संज्ञान में नहीं ले सकती ? आप चाहते हैं कि वे नामज़द रिपोर्ट दर्ज कराए ? सभापति महोदय, जिस दिशा में यह प्रदेश जा रहा है, यह बहुत चिंता का विषय है । आज ही रेत का मामला उठाने की बात हमने की, कल रात को इस प्रकार की घटना हुई । यह तो एक सदस्य के साथ हुआ । दूसरे सदस्य धान का मुद्दा न उठा पाए, दारू का मुद्दा न उठा पाए । यहां इस तरह का माफिया राज कायम हो जाए और प्रदेश की शांति व्यवस्था चौपट हो जाए, प्रदेश के ऐसे हालात बनाने का जो प्रयास चल रहा है, निश्चित रूप से सरकार को इसमें विचार करने की आवश्यकता है और यदि ऐसी ही स्थिति रहेगी तो कल यदि हम धान का मुद्दा उठायेंगे तो धान में बोलने नहीं दिया जायेगा। परसों यदि हम दारू का मुद्दा उठायेंगे तो यहां दारू का संरक्षण जिसको प्राप्त है, वह माफिया यहां पर किसी भी जनप्रतिनिधि को धमकाने का, जान से मारने की धमकी दे। आखिर उसकी यह हिम्मत कैसे हो गई कि वह एक जनप्रतिनिधि को जान से मारने की धमकी दे। कम से कम छत्तीसगढ़ बनने के बाद यह स्थिति आज तक निर्मित नहीं हुई है। मध्यप्रदेश से यह चला आ रहा है परंतु इतनी अराजकता की स्थिति आज तक निर्मित नहीं हुई है, लेकिन यह जो स्थिति निर्मित हुई है, इसके लिए मैं केवल गृहमंत्री को नहीं कहना चाहता। यह मुख्यमंत्री जी से लेकर के इस सरकार को सोचने की आवश्यकता है कि क्या

अशोधित/प्रकाशन के लिए नहीं

हम इस प्रदेश को माफियाओं के हाथ में देना चाहते हैं ? उन गुण्डों को सौंपना चाहते हैं और हम ऐसे लोगों को देना चाहते हैं जो प्रदेश को बिहार और उत्तरप्रदेश बनाने के तैयारी करे। क्या हम प्रदेश को सौंप दे ? इसके लिए आपको ही विचार करना पड़ेगा और जहां तक इसमें संपूर्ण जांच की आवश्यकता है, उसमें केवल एक ही व्यक्ति के ऊपर एफ.आई.आर. करने की नहीं है। आखिर इसके पीछे कौन खड़े हुए हैं। आखिर उसका मनोबल इतना क्यों बढ़ा हुआ है और उसे किसका संरक्षण प्राप्त है और इसलिए इसमें संपूर्ण जांच होना चाहिए।

श्री अजय चन्द्राकर :- माननीय सभापति महोदय, यह मेरे से जुड़ा हुआ विषय है। मुझे रात में अतिरिक्त सुरक्षा मुहैय्या कराई गई । अभी 4 गनमैन हैं, वे पर्याप्त हैं करके मैंने मना कर दिया। महत्वपूर्ण बात यह है कि जिन रेत खदानों का आपने उल्लेख किया वे चारों मेरी विधान सभा का नहीं है। मेरे विधान सभा के नहीं हैं। जिन दो लोगों के बीच में विवाद होना बताया गया, उससे मेरा कोई संबंध नहीं है। वे मुझसे यह बात क्यों कर रहे हैं? आदमी दुर्ग जिले का है। वह माइनिंग के लिए धमतरी जिला कैसे पहुंचा? मैं चारों गांवों में आरोप नहीं लगाना चाहता। जहां माइनिंग हो रही है, वे चारों गांव नगरीय विधान सभा में आयेंगे। जो भी अवैध माइनिंग कर रहा है। जिन चन्द्राकरों के नाम आये हैं, वे भी अगर वहां जाकर कर रहे हैं तो अवैध माइनिंग किसके कहने से कब तक चल रही है? उसमें प्रशासन ने क्यों कार्रवाई नहीं की? आज जब पूरे तथ्य आ गये तो उसमें तो कार्रवाई होनी चाहिए। माफियाओं को रोकना चाहिए और मेरा एक विनम्र आग्रह है कि मैं अपने विषय में एफ.आई.आर. करे और सुरक्षा दे, यह मैं नहीं कहूंगा। यह तो मैंने रात में माननीय अध्यक्ष जी और आपके ऊपर छोड़ दिया था कि आप क्या करेंगे? मैंने डी.जी.पी. साहब को भी बता दिया था कि आप क्या करेंगे? महत्वपूर्ण बात यह है कि मैं सार्वजनिक जीवन जीता हूं। जो भी मेरा हश्र होगा, वह होगा। मैं इस विषय पर लड़ूंगा और मैं चाहता हूं कि जब नाम आपके सामने आ गये हैं, वह नगरीय विधान सभा के गांव हैं तो आप आगे अवैध माइनिंग के लिए क्या करते हैं, यह सदन देखना चाहेगा। यह प्रदेश देखना चाहेगा।

श्री बृजमोहन अग्रवाल :- माननीय सभापति जी..।

सभापति महोदय :- इस पर चर्चा हो गई है।

श्री बृजमोहन अग्रवाल :- नहीं हम चर्चा नहीं कर रहे हैं। एक गंभीर मामला है कि सदन के प्रारंभ होने के बाद जब सदन चल रहा है, उस समय किसी सदस्य को टेलीफोन पर गाली-गलौच की जाए, दुर्व्यवहार किया जाए, धमकी दी जाए तो मैं यह सोचता हूं कि इससे गंभीर मामला और कोई दूसरा नहीं हो सकता और ऐसे गंभीर मामले में सदस्य को कुछ कहने की आवश्यकता नहीं है। सदस्य को एफ.आई.आर. करने की भी आवश्यकता नहीं है। ऐसे मामले में तो सदन को स्वयं संज्ञान में लेकर लगर विधान सभा चल रही है और विधान सभा के चलते समय इतने बड़े हाउस में ये सब बातें आ गई हैं। पूरा मंत्रिमंडल बैठा है। पूरे सदस्य बैठे हैं। आज एक सदस्य के साथ ऐसा हुआ है।

अशोधित/प्रकाशन के लिए नहीं

सभापति महोदय :- चलिए, माननीय जोगी जी। आपकी बात आ गई।

श्री बृजमोहन अग्रवाल :- आप सुनिए, यह एक गंभीर मामला है।

सभापति महोदय :- मैं आपकी बात सुन रहा हूं। यह बार-बार रिपीटेशन हो रहा है। इसका कोई मतलब नहीं है।

श्री बृजमोहन अग्रवाल :- चूंकि मध्यप्रदेश की विधान सभा में भी ऐसे मामले आये हैं और ऐसे गंभीर मामलों के ऊपर में पूरा सदन एकमत होकर कि किसी भी सदस्य के साथ में इस प्रकार की कोई घटना न हो। आपने नाम बता दिया कि किसने फोन किया? आखिर उसकी हिम्मत कैसे हुई ? क्या वह इस सदन के सदस्यों को धमकी देने की हिम्मत कर सकता है? इस सदन से कोई बड़ा सदन है? इस बात के ऊपर हमें विचार करने की जरूरत है और हम सब चाहेंगे। माननीय सभापति जी, आप अभी बैठे हैं। माननीय अध्यक्ष जी से आप बातचीत करके, चर्चा करके यह सदन स्वयं संज्ञान ले।

सभापति महोदय :- ठीक है। माननीय अध्यक्ष जी से चर्चा कर ली जायेगी। माननीय जोगी जी।

श्री बृजमोहन अग्रवाल :- और स्वयं संज्ञान लेकर भविष्य में कार्रवाई करे कि भविष्य में कोई भी ऐसा गुण्डागर्दी के बर्ताव, इस सदन के किसी सदस्य के साथ और धमकी दे, इस प्रकार की कोई गतिविधि करने की कोई हिम्मत न करे। हम इस बात की आपसे आग्रह करते हैं।

सभापति महोदय :- ठीक है, धन्यवाद। मैंने अध्यक्ष जी से निवेदन किया कि इस विषय मे माननीय अध्यक्ष जी के कक्ष में चर्चा कर ली जायेगी। आदरणीय जोगी जी।

श्री अजीत जोगी (मरवाही) :- आदरणीय सभापति जी, बहुत गंभीर मामला है। एक सदस्य को जान से मारने की धमकी फोन पर दी गई। मैं केवल एक टिप्पणी करना चाहता हूँ। माननीय मंत्री जी ने उत्तर दिया है कि हमारे माननीय सदस्य एफ0आई0आर0 दर्ज कराने के लिए तैयार नहीं हैं। मैं माननीय मंत्री जी को बताना चाहूंगा कि Code of Criminal Procedure में एफ0आई0 आर0 का मतलब होता है First Information Report. मतलब कोई भी ऐसी रिपोर्ट जो First In point of time हो। अर्थात् अगर अजय चन्द्राकर जी ने डी0जी0पी0 को फोन पर बताया है तो जो फोन पर बताया है, वही एफ0आई0आर0 है। अब एफ0आई0आर0 लिखायेंगे तो उसका महत्व नहीं है। जो पहली Information पुलिस को फोन पर दी गई, वही एफ0आई0आर0 है। अलग से एफ0आई0आर0 दर्ज करने की जरूरत नहीं है। जो डी0जी0पी0 को फोन किया गया, उस पर एफ0आई0आर0 दर्ज करके उस व्यक्ति के खिलाफ जान से मारने की धमकी अर्थात् 506-बी Indiann penal Code जो कि ऐसा अपराध है, जिसमें जमानत मुश्किल से मिलेगी, वह दर्ज किया जाना चाहिए। मैं मंत्री जी से अनुरोध करता हूँ कि अजय चन्द्राकर जी के फोन पर दी गई रिपोर्ट को एफ0आई0आर0 मानकर सख्त से सख्त कार्रवाई इस रेत माफिया के खिलाफ होना चाहिए।

गृह मंत्री (श्री ताम्रध्वज साहू) :- माननीय सभापति जी, मैंने यह जो वक्तव्य पढ़ा, उसमें जो बयान दिया, उसके अनुसार है। परन्तु माननीय अजय चन्द्राकर जी सदस्य हैं, विधान सभा का सत्र चल

अशोधित/प्रकाशन के लिए नहीं

रहा है। अगर सत्र चलते इस प्रकार की कोई घटना हो, तो वे रिपोर्ट करे, ना करे, शासन की जो जिम्मेदारी है, उसको हम पूरा करेंगे। उस आदमी के खिलाफ जिस धारा के तहत, जो कानून के तहत होगा, वह सब हम करेंगे। इसके लिए कहीं पर कुछ नहीं, पूरी कार्रवाई की जायेगी, माननीय सभापति महोदय।

सभापति महोदय :- ठीक है। धन्यवाद। अब मैं ध्यानाकर्षण सूचना लूंगा।

श्री शिवरतन शर्मा :- माननीय सभापति जी, अभ्रद व्यवहार की बात की गई है।

श्री धर्मजीत सिंह :- माननीय सभापति महोदय, सुन लीजिये। एक मिनट सुन तो लीजिये।

सभापति महोदय :- बैठिये, आप बैठिये। व्यक्त पर माननीय नेता प्रतिपक्ष जी की प्रतिक्रिया आ गई है। सभी सदस्यों को बोलने की अनुमति नहीं दी जा सकती है। इसलिए मैं ध्यानाकर्षण की सूचना लूंगा।

श्री धर्मजीत सिंह :- नहीं-नहीं, आप सुनिये तो। सभापति जी, आपको सुनना पड़ेगा।

सभापति महोदय :- नहीं-नहीं।

श्री धर्मजीत सिंह :- सुन तो लीजिये। सबकी पीड़ा है। वह ध्यानाकर्षण कहां आगे जा रहा है। सुन लीजिये।

सभापति महोदय :- डॉ0 रमन सिंह जी।

श्री धर्मजीत सिंह :- डॉ0 रमन सिंह जी की समस्या है, हमारी है, हमारे बहुत से लोगों की है। आप सबको दो-दो मिनट सुन लीजिये। आप नहीं सुनेंगे तो कौन सुनेगा ?

डॉ0 रमन सिंह (राजनांदगांव) :- सभापति महोदय, मैं बहुत ही संक्षिप्त में कहना चाहूंगा। विधान सभा चल रहा है। अध्यक्ष महोदय, विधान सभा के सभी विधायकों के सरंक्षक होते हैं। आज तक इतने लंबे राजनीतिक जीवन में मैंने पहली बार देखा कि कोई विधायक अपने काम में लगा है, ड्यूटी में लगा है। रात को 9 बजे धमकी दी जाती है, उसकी मानसिक स्थिति क्या है। यदि इस प्रकार का जवाब आता है, एफ0आई0आर0 के लिए विधायक वहां जायेगा, यह शर्मनाक है। इसको संज्ञान में लेकर अध्यक्ष महोदय को कठोर से कठोर, जान से मारने की धमकी दी है।

सभापति महोदय :- अभी माननीय मंत्री जी ने बताया कि संज्ञान में लेकर कार्रवाई करेंगे।

डॉ0 रमन सिंह :- गाली-गलौजी नहीं किया है। जान से मारने की धमकी दी है। उसके खिलाफ यह प्रकरण दर्ज होना चाहिए और कठोर कार्रवाई होनी चाहिए।

सभापति महोदय :- माननीय मंत्री जी ने अभी आश्वास्त किया है कि वे कार्रवाई करेंगे। शून्यकाल की सूचना। लेकिन इस विषय पर नहीं।

श्री धर्मजीत सिंह (लोरमी) :- माननीय सभापति जी, प्रश्न यह नहीं है कि सदन के चलते किसी विधायक को धमकी दी गई।

अशोधित/प्रकाशन के लिये नहीं

सभापति महोदय :- नहीं, उस विषय का पटाक्षेप हो गया है।

श्री धर्मजीत सिंह :- मैं आपसे निवेदन कर रहा हूँ, एक मिनट सुन तो लीजिये। विधायकों की सुरक्षा का सवाल है। इसलिए आपके माध्यम से बोल रहे हैं। अगर आप चाहते हैं कि इनको धमकी मिलते रहे तो मैं नहीं बोलूंगा। सभापति महोदय, आप ही तो सुनेंगे न। आज रेत के बारे में हमारा यहां स्थगन प्रस्तुत है। कल रात को एक फोन आता है। जब नियम बना है कि जिस जिले का रहने वाला है, वहीं का आदमी लेगा, यह नियम सरकार ने बनाया है तो इधर-उधर का आदमी फोन क्यों करेगा ? मैं तो पहले ही बोला हूं कि रेत में गैंगवार शुरू होगा। उसकी शुरूआत अजय चन्द्राकर से हो चुकी है। यहां शहर में 30 एम0एल0ए0 कहां रहते हैं, सभापति जी, अगर आप से ही पूछ लूंगा तो आपको नहीं मालूम कि इस शहर में 30 विधायक कहां-कहां रहते हैं, अपने-अपने घर में रहते हैं। तो पुलिस के पास पूरी जानकारी होनी चाहिए। आप भिजवाईये कि कौन विधायक कहां रहता है। इस रेत के धंधे में पुलिस को भी शामिल करिये ताकि सिर्फ खनिज विभाग वालों की दादागिरी मत चले। उनके ऊपर पुलिस का खौफ पैदा करने के लिए पुलिस को अनुमति दीजिये कि इस तरीके से गुण्डे-मवाली रेत के नाम से माफियागिरी करेंगे, उनको कुचलने का काम पुलिस को दीजिये। जब पुलिस रहेगा, तब डरेंगे, नहीं तो खनिज माफिया और रेत माफिया मिलकर इसी तरह से जनप्रतिनिधियों को जान से मारने की धमकी देते रहेंगे और ये गैंगवार 15 दिन के बाद शुरू होगा, यह मैं आपको बता रहा हूं और इस सदन में इसी प्रकार की गैंगवार की घटना सुनते रहेंगे ।

श्री शिवरतन शर्मा (भाटापारा) :- माननीय सभापति महोदय, रेत खदान के मुद्दे पर बहुत से लोगों का स्थगन प्रस्ताव प्रस्तुत हुआ है । रेत खदान के मुद्दे पर माननीय मुख्यमंत्री जी ने सदन में यह घोषणा की थी कि अब रेत खदान का संचालन पंचायत नहीं, सी.एम.डी.सी. के माध्यम से करायी जाएगी और शासन ने घोषणा भी की थी..।

सभापति महोदय :- आपने क्या दिया है ?

श्री शिवरतन शर्मा :- मैंने माननीय मुख्यमंत्री के विरूद्ध विशेषाधिकार हनन का प्रस्ताव दिया है ।

सभापति महोदय :- ठीक है, आपकी बात रिकार्ड में आ गई ।

श्री शिवरतन शर्मा :- मैंने माननीय मुख्यमंत्री के विरूद्ध विशेषाधिकार हनन का प्रस्ताव है । उन्होंने रेत खदान पर सदन की घोषणा के विपरीत जाकर कार्य किया है इसलिए मुख्यमंत्री के विरूद्ध मेरा विशेषाधिकार हनन का प्रस्ताव है ।

सभापति महोदय :- आपकी बात रिकार्ड में आ गई । अजय चन्द्राकर जी ।

श्री बृजमोहन अग्रवाल (रायपुर दक्षिण) :- माननीय सभापति जी, अभी धर्मजीत जी ने एक बात उठाई । शायद इस सदन में माननीय सचिव महोदय के सचिवालय के अलावा किसी को भी नहीं मालूम

अशोधित/प्रकाशन के लिये नहीं

है कि 90 विधायक कहां-कहां रहते हैं । शायद थाने वालों को भी नहीं मालूम है, डी.जी.पी. को भी नहीं मालूम है, पुलिस वालों को भी नहीं मालूम है । इसलिए जिस थाने क्षेत्र में जो विधायक रहते हैं, उनकी सुरक्षा की चिन्ता हमको करने की आवश्यकता है और यह पुलिस प्रशासन के पास में पूरी जानकारी होनी चाहिए, उनको सुरक्षा मिले, विधान सभा का सत्र चल रहा है ।

सभापति महोदय :- माननीय चन्द्राकर जी, आपकी बात आ गई है।

श्री बृजमोहन अग्रवाल :- सभापति महोदय, आपकी तरफ से निर्देश जारी होना चाहिए कि रायपुर शहर में रहने वाले विधायक, ग्रामीण क्षेत्रों में जहां से विधायक हैं, वहां की भी जानकारी है, रायपुर शहर में क्योंकि हमारी एक व्यवस्था कि विधायक विश्राम गृह नहीं बनी है, सब अलग-अलग जगह दूर-दराज क्षेत्रों में रहते हैं तो उनको पर्याप्त सुरक्षा व्यवस्था मिले, इसकी व्यवस्था शासन की ओर से होना चाहिए और सभापति जी, इस संबंध में निर्देश दें ।

सभापति महोदय :- माननीय चन्द्रा जी, बहुत देर से कह रहे हैं । शून्यकाल की सूचना में बोलिए ।

श्री केशव प्रसाद चन्द्रा (जैजेपुर) :- माननीय सभापति महोदय, रेत के कारण पूरे प्रदेश में भयावह स्थिति है ।

सभापति महोदय :- आपकी सूचना क्या थी ?

श्री केशव प्रसाद चन्द्रा :- मैंने स्थगन की सूचना दी है ।

सभापति महोदय :- हां तो ठीक है, स्थगन में आपकी बात आ गई है। इस संबंध में मंत्री जी का वकतव्य आ गया है । माननीय चंदेल जी ।

श्री केशव प्रसाद चन्द्रा :- माननीय सभापति जी, मैं यही निवेदन कर रहा हूं कि यह गंभीर समस्या है और इसी समस्या के कारण एक माननीय सदस्य को धमकी दी गई है । पूरे प्रदेश में अराजकता की स्थिति निर्मित हो गई है । आप स्थगन को ग्राहय करके चर्चा कराएं ।

सभापति महोदय :- देखिए, और भी बिजनेश हैं, आपकी बात आ गई।

श्री नारायण चंदेल :- माननीय सभापति महोदय, पूरे प्रदेश में रेत माफियाओं के द्वारा अवैध उत्खनन किया जा रहा है ।

सभापति महोदय :- देखिए, ये इस पर कोई चर्चा नहीं हो रही है । आप शून्यकाल की सूचना में क्या कहना चाह रहे हैं ?

नेता प्रतिपक्ष (श्री धरम लाल कौशिक) :- सभापति महोदय, हमने स्थगन दिया है तो उस स्थगन को आपको स्वीकार करना चाहिए और स्थगन में आप चर्चा कराईए और समय निर्धारित करके चर्चा कराईए । इसलिए तो आपको शून्यकाल में सूचना ही दी जाती है । आप शून्यकाल में बोल रहे हैं कि

अशोधित/प्रकाशन के लिए नहीं

चर्चा क्या करेंगे । हमने स्थगन दिया है, आप सदन में हमारा समय तय कर दीजिए, हम चर्चा करने के लिए तैयार हैं ।(व्यवधान)

श्री नारायण चंदेल :- माननीय सभापति महोदय, हम चर्चा थोड़ी कर रहे हैं, हम स्थगन प्रस्ताव लिये जाने के संबंध में अपनी बात उठा रहे हैं(व्यवधान)

सभापति महोदय :- आप कृपा करके बैठिए । आप इस विधान सभा के अध्यक्ष रह चुके हैं । मैं आपसे निवेदन करता हूं कि कृपा करके आप बैठिए ।

श्री धरम लाल कौशिक :- मैं बैठ जाता हूं ।

श्री नारायण चंदेल :- माननीय सभापति महोदय, पूरे छत्तीसगढ़ प्रदेश में रेत माफियाओं के द्वारा रेत का अवैध उत्खनन किया जा रहा है और यह पूरा गैंगवार चल रहा है । 15 हजार, 20 हजार, 25 हजार, 30 हजार रूपये में रेत के ट्रक बिक रहे हैं और आसपास के पूरे सीमावर्ती प्रदेश में छत्तीसगढ़ से रेत जा रहा है ।

सभापति महोदय :- चर्चा प्रारंभ नहीं हुई है, आपने विषय बता दिया ।

श्री नारायण चंदेल :- माननीय सभापति महोदय, रोज ट्रक के ट्रक जा रही है । हम तो आपके ध्यान में ला रहे हैं और इस संबंध में हम लोगों ने स्थगन दिया है ।

सभापति महोदय :- आपकी बात रिकार्ड में आ गई, अब मैं शून्यकाल ले रहा हूं ।(व्यवधान)

श्री नारायण चंदेल :- सभापति महोदय, हमने स्थगन दिया है और इस संबंध में हम आपसे आग्रह करते हैं कि स्थगन प्रस्ताव को स्वीकार करके आप चर्चा कराएं ।

श्री धर्मजीत सिंह :- सभापति महोदय, आप प्रक्रिया का पालन करिए न, नियम का पालन करिए न, हम अपनी बात रख सकते हैं, आप उसे स्वीकार करें या न करें, हमको अपनी बात रखने का अधिकार है । (व्यवधान)

श्री नारायण चंदेल :- हमने रेत माफियाओं पर स्थगन दिया है, आप सदन की कार्यवाही रोककर स्थगन पर चर्चा कराईए। (व्यवधान)

सभापति महोदय :- आप बैठिए, चंदेल जी, आप भी बैठिए । मैं आपसे निवेदन कर रहा हूं, आप बैठिए । आपके द्वारा प्रस्तुत स्थगन प्रस्ताव की सूचना मेरे विचाराधीन है और मैं इस पर किसी न किसी रूप में चर्चा कराऊंगा। अब ध्यानाकर्षण की सूचना लूंगा । (व्यवधान)

श्री बृजमोहन अग्रवाल :- हमने इस संबंध में स्थगन दिया है, आप उस पर चर्चा कराईए । (व्यवधान)

श्री नारायण चंदेल :- माननीय सभापति महोदय, हमने स्थगन की सूचना दी है, उसको ग्राह्य कर चर्चा कराईए । यह बहुत महत्वपूर्ण मुद्दा है, विधायकों को जान की धमकी मिल रही है । (व्यवधान)

अशोधित/प्रकाशन के लिये नहीं

श्री शिवरतन शर्मा :- सभापति जी, यह ठीक नहीं है । (व्यवधान)

श्री धरम लाल कौशिक :- अवैध उत्खनन रोकने के लिए विधायकों को जाना पड़ रहा है (व्यवधान)

श्री शिवरतन शर्मा :- यह ठीक नहीं हो रहा है । यह अवैध उत्खनन का मामला है, आप सदन की कार्यवाही रोककर चर्चा कराई जाए (व्यवधान)

श्री अजय चन्द्राकर :- सभापति महोदय, हम लोगों की शून्यकाल की सूचना तो सुन लीजिए ।

सभापति महोदय :- सुन तो रहे हैं, और क्या करें ।

श्री अजय चन्द्राकर :- आप कहां सुन रहे हैं ?

सभापति महोदय :- आप बार-बार व्यवधान डालेंगे तो क्या होगा?

श्री अजय चन्द्राकर :- मैं कहां व्यवधान डाल रहा हूं ।

सभापति महोदय :- आप मेहरबानी करके बैठिये ।

श्री अजीत जोगी :- मेरा शून्यकाल का विषय है ।

नेता प्रतिपक्ष (श्री धरमलाल कौशिक) :- माननीय सभापति महोदय, जो सूचना दी जाती है और हमारा आग्रह रहता है । प्रदेश में जो रेत उत्खनन हो रहा है, पूरे प्रदेश में इसे लेकर जो अफरा-तफरी मचा हुआ है, हम केवल आरोप नहीं लगा रहे हैं । आज सत्तापक्ष के जनप्रतिनिधि, विधायक भी मजबूर हैं और उनको वहां पर जाकर अधिकारियों को बुलाकर गाड़ी पकड़नी पड़ रही है । मेंरे यहां बिलासपुर में अवैध रेत उत्खनन में इतना अधिक गड्ढा खोद दिया गया है कि एक बच्चे की भी मृत्यु हो गयी है, हमारे विधायक श्री शैलेष जी भी वहां पर जाकर हस्तक्षेप किये । आज पूरे प्रदेश में, खासकर बालोद में, रेत उत्खनन में सरकार के संरक्षण में जिस प्रकार से दादागिरी हो रही है, एक दूसरे के ऊपर गोलियां चलाने को तैयार हो गये हैं, ऐसे विषय में हम लोगों ने स्थगन दिया है । इस स्थगन को आप स्वीकार करेंगे । हम इस पर लम्बी चर्चा करेंगे । सभापति महोदय, आपसे आग्रह है कि आप इसको स्वीकार करें ।

सभापति महोदय :- जी, जी । मैंने निवेदन किया । आपकी बात आ गई ।

श्री नारायण चंदेल :- इस पर सदन की कार्यवाही रोक कर चर्चा कराई जाये । बहुत महत्वपूर्ण विषय है । रेत माफिया द्वारा किसी भी विधायक को जान से मारने की धमकी दी जाती है । इससे और कौन सा बड़ा विषय है ?

सभापति महोदय :- माननीय अजय चन्द्राकर जी । मैंने आपकी बात सुन लिया है ।

श्री अजय चन्द्राकर :- माननीय सभापति महोदय, मैंने माननीय मंत्री, श्री अमरजीत भगत जी खिलाफ और माननीय मुख्यमंत्री जी के खिलाफ विशेषाधिकार भंग की सूचना दी है । माननीय सभापति

अशोधित/प्रकाशन के लिये नहीं

महोदय, आप मेरी विशेषाधिकार भंग की सूचनाओं को देख लीजिए । मैंने प्रमाण सहित आपको प्रस्तुत किये हैं । मैं चाहता हूँ कि आज विशेषाधिकार भंग में चर्चा कराई जाये ।

सभापति महोदय :- आपकी सूचना विचाराधीन है ।

श्री शिवरतन शर्मा :- माननीय सभापति महोदय ...।

सभापति महोदय :- शिवरतन जी, आप दो बार बोल चुके हैं ।

श्री शिवरतन शर्मा :- कहां, बोलने का मौका ही नहीं मिला है । आप तो पहले शुरू हो जाते हैं ।

सभापति महोदय :- ऐसा नहीं है । ऐसा मत करिये । जोगी जी ।

श्री अजय चन्द्राकर :- सभापति महोदय, शून्यकाल में ऐसा नहीं होता है । (व्यवधान)

सभापति महोदय :- यह ठीक नहीं है । मैं रोज देख रहा हूँ, ऐसा करते हैं। (व्यवधान)

श्री शिवरतन शर्मा :- हम अपना विषय नहीं रख पा रहे हैं । (व्यवधान)

श्री अजय चन्द्राकर :- हर बात में सभापति जी खड़े हो जायेंगे, हम बैठे रहेंगे ।

श्री धरमलाल कौशिक :- माननीय शून्यकाल तो हमारा है । (व्यवधान)

सभापति महोदय :- उस पर शून्यकाल में चर्चा नहीं की जा सकती । (व्यवधान)

श्री धरमलाल कौशिक :- दो-दो मिनट बोलने का अधिकार सभी सदस्यों का है । (व्यवधान)

सभापति महोदय :- पांच मिनट के लिए सभा की कार्यवाही स्थगित करता हूॅ।

(12.27 से 12.51 बजे तक कार्यवाही स्थगित रही)

समय :
12:51 बजे **(सभापति महोदय (श्री सत्यनारायण शर्मा) पीठासीन हुए।)**

श्री शिवरतन शर्मा (भाटापारा) :- माननीय सभापति महोदय, मैंने माननीय मुख्यमंत्री जी के विरूद्ध विशेषाधिकार भंग की सूचना दी है। माननीय मुख्यमंत्री जी ने सदन में आदरणीय सदस्य बृहस्पत सिंह जी के ध्यानाकर्षण के जवाब में ये घोषणा की थी कि रेत खदानों का संचालन अब सी.एम.डी.सी. द्वारा किया जायेगा। बाद में शासन ने रेत नीति में परिवर्तन किया और सी.एम.डी.सी. के बजाय अब रेत खदान का संचालन खनिज विभाग द्वारा किया जा रहा है। सरकार सदन की घोषणा के विपरीत जाकर काम कर रही है।

सभापति महोदय :- आपकी सूचना विचाराधीन है।

श्री अजीत जोगी (मरवाही) :- आदरणीय सभापति महोदय, देश में एक ऐतिहासिक घटना घटित हुई, पूरे देश ने उसको सराहा, दलों की सीमाओं से ऊपर उठकर उसको सराहा। मैंने माननीय अध्यक्ष महोदय को एक प्रस्ताव दिया है कि कश्मीर से अनुच्छेद 370 और 35(ए) हटाने के कार्य के लिए हमारे आदरणीय प्रधानमंत्री जी और पूरी संसद को धन्यवाद दिया जाए। मैं चाहता हूं कि उस प्रस्ताव पर

अशोधित/प्रकाशन के लिए नहीं

अवश्य चर्चा हो और नरेंद्र मोदी जी, अमित शाह जी, इस सरकार और पूरी संसद को दल की भावना से ऊपर उठकर इस ऐतिहासिक फैसले के लिए धन्यवाद दिया जाए।

श्री बृजमोहन अग्रवाल (रायपुर दक्षिण) :- माननीय सभापति महोदय, माननीय जोगी जी ने जो विषय उठाया है, यह एक अच्छा विषय है, पूरे देश में इससे एक अच्छा संदेश जायेगा कि छत्तीसगढ़ की विधानसभा ने एक अच्छा प्रस्ताव पारित किया है। हम चाहेंगे कि आप उसको स्वीकार करें और स्वीकार करके उसके ऊपर चर्चा करायें।

सभापति महोदय - वह नोटिस में है।

श्री नारायण चंदेल (जांजगीर-चांपा) :- जोगी जी ने जो भी विषय उठाया है, उसका हम समर्थन करते हैं।

संसदीय कार्य मंत्री (श्री रविन्द्र चौबे) :- माननीय बृजमोहन जी, वह किस रूप में दिया गया है, कैसा प्रस्ताव है?

नेता प्रतिपक्ष (श्री धरमलाल कौशिक) :- माननीय सभापति महोदय, सभापति जी की अनुमति से दिया गया है, अब आपको पारित करना है।

श्री अजय चन्द्राकर :- माननीय सभापति महोदय, माननीय अमरजीत भगत मंत्री जी ने संस्कृति विभाग के होर्डिंग जो असंवैधानिक पदों में विराजमान हैं उसके लिए लगाये हैं जो कि संचित निधि के व्यय के निर्देशों के खिलाफ है। मैंने उसका प्रमाण दिया है, मैं आग्रह करूंगा कि उस पर चर्चा कराई जाए।

माननीय सभापति महोदय, मैंने माननीय मुख्यमंत्री भूपेश बघेल जी के विरूद्ध विशेषाधिकार हनन की सूचना दी है। राज्य सरकार ने विधानसभा आहूत होने के नोटिफिकेशन होने के बाद नीति विषयक घोषणाएं सदन के बाहर की हैं जिसका मैंने प्रमाण भी दिया है। मैं चाहता हूं कि उसको ग्राहय करके उस पर चर्चा कराई जाए।

सभापति महोदय :- आपकी चर्चा विचाराधीन है।

श्री केशव प्रसाद चंद्रा (जैजेपुर) :- माननीय सभापति महोदय, मैं तो बोल चुका हूं। रेत का स्थगन दिया हूं। उसको ग्राहय करके चर्चा करायें, गंभीर स्थिति निर्मित हुई है। अभी आप सुन भी रहे थे, सभी सदस्यों ने चिंता व्यक्त की है। आने वाले दिन में और गंभीर स्थिति निर्मित होने वाली है जितने शराब के माफिया उत्तरप्रदेश, बिहार के हैं, आज वे रेत में आकर सम्मिलित हो गये हैं।

सभापति महोदय :- अभी विचाराधीन है।

श्री रामकुमार यादव (चन्द्रपुर) :- माननीय सभापति महोदय, मैं आपके माध्यम से मैं पूरा सदन से निवेदन करना चाहथो कि हमर चंद्रपुर विधानसभा में येखर पहली वादा करे रिहिन, बड़े-बड़े कंपनी ला नेवता नयिहर दे के नेऊत के ले गिन। अऊ बड़े-बड़े फैक्ट्री ला खोल दीन, ओमन खोले के पहली वादा

अशोधित/प्रकाशन के लिये नहीं

करे रिहिन कि हमन इहां बंबई, कलकत्ता कस रोड ला बनाबो, सपना दिखा दिस। सभापति महोदय, थोड़ा ध्यान आकर्षित चाहथो।

सभापति महोदय :- माननीय यादव जी, आपकी कोई सूचना नहीं है।

श्री धर्मजीत सिंह (लोरमी) :- आदरणीय सभापति महोदय, पूरे छत्तीसगढ़ प्रदेश में नशीली दवाओं को बेचने का व्यापार सरकारी संरक्षण में खुले आम हो रहा है। हजारों पेटियां अवैध नशीली प्रतिबंधित दवाईयां शहरों में बिक रही है और उसके कारण कई मौतें हो रही है। मैंने उसके विषय में ध्यानाकर्षण लगाया है। आपसे विनम्र आग्रह है कि प्रदेश के हित में यहां के युवाओं के हित में ध्यानाकर्षण को स्वीकार करें ताकि उस चर्चा के माध्यम से नशीली दवाओं के व्यापार करने वालों के ऊपर रोक लगाई जा सके।

श्री नारायण चंदेल (जांजगीर-चापा) :- माननीय सभापति महोदय, पूरे प्रदेश के गौठानों में गौ माताओं की मृत्यु हो रही है। गायों की मौत हो रही है। हमने इसमें ध्यानाकर्षण और स्थगन दिया है। आपसे निवेदन है कि यह बहुत संवेदनशील मामला है। गौठान का निर्माण किया है वहां पर कोई व्यवस्था नहीं है। गायों की मौत हो रही है, कोई डॉक्टर की व्यवस्था नहीं है, छांय की व्यवस्था नहीं है, चारे की व्यवस्था नहीं है। इस पर हमने ध्यानाकर्षण स्थगन दिया है। कृपया उस पर चर्चा करायें।

सभापति महोदय :- आपकी बात आ गयी, ठीक है।

श्री दलेश्वर साहू (डोंगरगांव) :- सभापति महोदय, राजनांदगांव में अवैध रजिस्ट्री के प्रकरण के लिये मैंने ध्यानाकर्षण लगाया है। इसको स्वीकार करने की कृपा करें।

समय :
12:53 बजे

ध्यानाकर्षण सूचना

अध्यक्ष महोदय :- सदस्यों की ओर से अभी तक प्राप्त ध्यानाकर्षण की सूचनाओं में दर्शाये गये विषयों की अविलंबनीयता तथा महत्व के साथ ही माननीय सदस्यों के विशेष आग्रह को देखते हुए सदन की अनुमति की प्रत्याशा में नियम 138 (3) को शिथिल करके मैंने आज की कार्यसूची में चार ध्यानाकर्षण सूचनाएं शामिल किये जाने की अनुज्ञा प्रदान की है।

मैं समझता हूं कि सदन इससे सहमत है।

(सदन द्वारा सहमति प्रदान की गई।)

श्री अजय चंद्राकर :- माननीय सभापति महोदय, मेरा एक व्यवस्था का प्रश्न है।

सभापति महोदय :- पहले आप ध्यानाकर्षण पढ़ें।

श्री अजय चंद्राकर :- सभापति महोदय, व्यवस्था का प्रश्न तो सुन लीजिए।

अशोधित/प्रकाशन के लिये नहीं

सभापति महोदय :- जी।

श्री अजय चंद्राकर :- माननीय भारसाधक मंत्री यहां पर अनुपस्थित हैं और मुझे यह जानकारी नहीं है कि कौन मंत्री इसको ले रहे हैं। मैं इस ध्यानाकर्षण को पढ़ूं या नहीं पढ़ूं, इस विषय में सरकार की ओर से कोई सूचना मुझे प्राप्त नहीं है। इस विषय में मैं आपसे व्यवस्था चाहता हूं।

सभापति महोदय :- आप अपनी ध्यानाकर्षण सूचना पढ़ें।

श्री बृजमोहन अग्रवाल :- सभापति महोदय, आपकी व्यवस्था तो आनी चाहिए।

सभापति महोदय :- मैंने व्यवस्था दे दी है। आप ध्यानाकर्षण सूचना पढ़ें। माननीय मंत्री जी का वक्तव्य आयेगा। आप अपनी ध्यानाकर्षण सूचना पढ़ें।

श्री बृजमोहन अग्रवाल :- स्वास्थ्य मंत्री जी उपस्थित नहीं हैं, उनके स्थान पर विधानसभा को सूचना दी गयी है। इनके द्वारा जवाब दिया जायेगा। यह विधानसभा ने अनुमति दी है। इस पर आपकी व्यवस्था आनी चाहिए।

सभापति महोदय :- माननीय संसदीय कार्य मंत्री जी इसका जवाब देंगे।

श्री बृजमोहन अग्रवाल :- क्यों देंगे ?

सभापति महोदय :- देंगे, क्या क्यों देंगे ? चलिये अजय जी।

(1) प्रदेश में स्टेरायड्स इंजेक्शन (शक्तिवर्धक) की अवैध बिक्री की जाना ।

श्री अजय चंद्राकर (कुरूद) :- अध्यक्ष महोदय, मेरी ध्यान आकर्षण सचूना का विषय इस प्रकार है :-

छत्तीसगढ़ की राजधानी रायपुर में दिनांक 9.11.2019 को स्टेरायड्स इंजेक्शन (शक्तिवर्धक) जैसे नशीली दवाई के सेवन के कारण श्री संदीप सिंह ठाकुर, समता कालोनी रायपुर, जो स्वयं एक जिम संचालक है, आज जिंदगी और मौत से लड़ रहा है। इन्होंने मुंबई के निवासी फिटनेस ट्रेनर श्री निलेश परमार और सुमित राय चौधरी द्वारा बिना शारीरिक जांच एवं गलत अनुपात में शक्तिवर्धक दवाई का सेवन की सलाह देकर उन्हीं से खरीद कर सेवन करने लगा, जिससे उनका स्वास्थ्य बहुत ज्यादा खराब हो गया और वर्तमान में रामकृष्ण केयर हास्पिटल में जिंदगी और मौत से लड़ रहा है।

राज्य सरकार की लापरवाही के कारण स्टेरायडस इंजेक्शन (शक्तिवर्धक) जैसी खतरनाक अखाद्य दवाईयों के सप्लायर धड़ल्ले से पूरे प्रदेश में नेटवर्क फैला चुके हैं और अखाद्य दवाईयों का अवैध कारोबार तेजी से अग्रसर है। सरकार के पास अभी तक ना तो जिम सेंटरों का सही आकड़ा है और ना ही जिम ट्रेनरों की जांच की गई है, यहां तक प्रदेश में संचालित जिमों एवं ट्रेनरों की संख्या तक पता रनहीं

अशोधित/प्रकाशन के लिए नहीं

है और ना तो ट्रेनरों की शैक्षणिक योग्यता तय की गई है ना ही संचालन नियमित करने का कोई तरीका बनाया गया है। इससे प्रदेश की जनता में राज्य सरकार के प्रति काफी रोष एवं आक्रोश व्याप्त है।

सभापति महोदय :- माननीय मंत्री जी।

संसदीय कार्यमंत्री (श्री रविन्द्र चौबे) :- मैं पढ़ दूं। आप प्रश्न कर रहे थे।

श्री अजय चन्द्राकर :- आपकी व्यवस्था आ गई है, लेकिन व्यवस्था के प्रश्न में व्यवस्था आ गई है। अब आप पढ़िये।

समय :
1:01 बजे **(अध्यक्ष महोदय (डॉ. चरणदास महंत) पीठासीन हुए)**

श्री रविन्द्र चौबे :- मुझे उत्तर भर देना है बाकी आपको बाद में पढ़ना है। (हंसी)

माननीय अध्यक्ष महोदय, यह कथन सत्य नहीं है कि छत्तीसगढ़ की राजधानी रायपुर में दिनांक 09.11.2019 को स्टेरायड्स इंजेक्शन (शक्तिवर्धक) जैसी नशीली दवाई के सेवन के कारण श्री संदीप सिंह ठाकुर, समता कालोनी रायपुर, जो स्वयं एक जिम संचालक है, जो आज जिंदगी और मौत से लड़ रहा है। अपितु सत्य यह है कि रामकृष्ण केयर हॉस्पिटल, रायपुर से प्राप्त रिपोर्ट के अनुसार श्री संदीप सिंह ठाकुर जो स्वयं जिम संचालक था एवं बॉडी बिल्डिंग का काम करता था, रामकृष्ण केयर हॉस्पिटल रायपुर के इमरजेंसी विभाग में दिनांक 12.11.2019 को रात्रि 12.30 बजे बेहोशी की हालात में गंभीर अवस्था में अन्य अस्पताल में रिफर किया गया था। अन्य अस्पताल में उन्हें काफी आक्रामक होने के कारण शामक औषधि दी गई थी। उन्हें हॉस्पिटल में गहन चिकित्सकीय देख-रेख में रखा गया था। 17 नवंबर 2019 को उनके स्वास्थ्य में सुधार हुआ था, किन्तु 25 नवंबर, 2019 को उनकी हालत पुन: बिगड़ने लगी, उनको झटके आने लगे एवं रात्रि 8:10 बजे उनकी हृदयगति रूक गई। चिकित्सकीय प्रयासों के बावजूद उन्हें नहीं बचाया जा सका तथा 25 नवंबर को रात्रि 09.04 बजे चिकित्सकों द्वारा संदीप सिंह ठाकुर को मृत घोषित कर दिया गया। उनकी इस असामयिक मृत्यु पर मैं उनके परिवार के प्रति अपनी संवेदना व्यक्त करता हूँ। यह कथन अंशत: सत्य है कि इन्होंने मुंबई के निवासी फिटनेस ट्रेनर श्री निलेश परमार और सुमित राय चौधरी निवासी रायपुर द्वारा बिना शारीरिक जांच एवं गलत अनुपात में शक्तिवर्धक दवाई के सेवन की सलाह लेकर श्री निलेश परमार, मुम्बई (महाराष्ट्र) से खरीद कर सेवन करने लगा, जिससे उनका स्वास्थ्य बहुत ज्यादा खराब हो गया।

यह कहना गलत है कि राज्य सरकार की लापरवाही के कारण स्टेरायड्स इंजेक्शन (शक्तिवर्धक) जैसी खतरनाक दवाईयों के सप्लायर धड़ल्ले से पूरे प्रदेश में नेटवर्क फैला चुके हैं और अखाद्य दवाईयों का अवैध कारोबार तेजी से अग्रसर है। अपितु सत्य यह है कि दवाईयां के निरीक्षण के लिए विभाग में लगातार दवाई दुकानों एवं प्रतिष्ठानों की जांच की जा रही है। विभाग द्वारा वर्ष 2018-2019 में कुल

अशोधित/प्रकाशन के लिये नहीं

9850 दवा कारोबारकर्त्ताओं का निरीक्षण किया गया है, निरीक्षण में पाई गई अनियमितताओं पर 638 औषधि अनुज्ञप्ति निलंबन एवं 241 औषधि अनुज्ञप्ति की निरस्तीकरण की कार्यवाही की गई है। इसी प्रकार वर्ष 2019-2020 में कुल 6215 दवा कारोबारकर्त्ताओं का निरीक्षण किया गया है, निरीक्षण में पाई गई अनियमितताओं पर 357 औषधि अनुज्ञप्ति निलंबन एवं 80 औषधि अनुज्ञप्ति की निरस्तीकरण की कार्यवाही की गई है।

शासन द्वारा प्रदेश में जिम का विनियमन नहीं किया जाता है, वर्तमान में जिम के विनियमन के संबंध में कोई केन्द्रीय या राज्य के अधिनियम या नियम नहीं बनाये गये हैं। किंतु जिन जिम सेंटरों द्वारा प्रोटीन पाउडर एवं अन्य न्यूट्रिशनल सप्लीमेंट्स का विक्रय किया जाता है, उनके द्वारा ही खाद्य एवं औषधि प्रशासन से खाद्य लाईसेंस/पंजीयन प्राप्त किया जाता है। प्रदेश में संचालित ऐसे जिम सेंटर जिनके द्वारा प्रोटीन पाउडर एवं अन्य न्यूट्रिशनल सप्लीमेंट्स का विक्रय किया जाता है, ऐसे कुल 09 सेंटरों को उनके ऑनलाईन आवेदन पर खाद्य एवं औषधि प्रशासन के द्वारा खाद्य पंजीयन प्रदान किया गया है।

वर्ष 2019 में प्रदेश में संचालित कुल 105 जिम सेंटरों का खाद्य एवं औषधि प्रशासन के औषधि निरीक्षक एवं खाद्य सुरक्षा अधिकारी द्वारा संयुक्त निरीक्षण किया गया है एवं खाद्य सुरक्षा एवं मानक अधिनियम 2006 के प्रावधानों के तहत जिम सेंटरों से खाद्य पदार्थ के 02 विधिक नमूनें जांच हेतु संकलित किए गए हैं। राज्य खाद्य परीक्षण प्रयोगशाला से परीक्षण प्रतिवेदन प्राप्त होने पर खाद्य सुरक्षा एवं मानक अधिनियम 2006 के तहत् आवश्यक कार्यवाही की जाती है। 105 जिम में निरीक्षण के दौरान किसी भी प्रकार की स्टेरायड्स या अन्य औषधि नहीं पाई गई है। इसके अतिरिक्त छत्तीसगढ़ पुलिस, थाना आजाद चौक, रायपुर द्वारा दिनांक 09.11.2019 को आरोपी क्रमांक-1 श्री सुमित राय चौधरी, रायपुर एवं आरोपी क्रमांक 2- श्री निलेश परमार, मुंबई के विरूद्ध भारतीय दंड संहिता 1860 की धारा 308, 326 एव 34 के तहत एफ.आई.आर. दर्ज किया जा चुका है। प्रथम सूचना प्रतिवेदन अनुसार भी स्व. श्री संदीप सिंह को इंजेक्शन मुंबई निवासी निलेश परमार द्वारा मुंबई से भेजा जाता था। यह कथन सही है कि जिम संचालन के संबंध में अभी तक केन्द्रीय या राज्य अधिनियम या नियम नहीं होने से जिम सेंटरों के संचालन का तरीका निर्धारित नहीं किया गया है। यह कहना गलत है कि विभाग द्वारा जिम सेंटरों की जांच नहीं की गई है, बल्कि सत्य यह है कि खाद्य एवं औषधि प्रशासन द्वारा 105 जिम सेंटरों की जांच की गई है तथा औषधि निरीक्षकों एवं खाद्य सुरक्षा अधिकारी द्वारा संयुक्त निरीक्षण लगातार की जा रही है। विभाग द्वारा की जा रही सतत निगरानी एवं कड़ी कार्यवाही से सभी वर्गों में विश्वास का माहौल है इससे प्रदेश की जनता में राज्य सरकार के प्रति किसी प्रकार का रोष एवं आक्रोश व्याप्त नहीं है।

अशोधित/प्रकाशन के लिये नहीं

श्री अजय चन्द्राकर :- माननीय अध्यक्ष महोदय, आपकी व्यवस्था के सामने हम नतमस्तक हैं, इस ध्यानाकर्षण को खेल विभाग के लिए लगाया था, वह स्वास्थ्य विभाग में स्थानांतरित हो गया।

श्री रविन्द्र चौबे :- माननीय अध्यक्ष जी, अच्छा लगा, आपने खेल विभाग में लगाया था लेकिन स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण विभाग लिखा गया था। उत्तर खेल विभाग से ही आना था। इसीलिए बाजू में उमेश जी बैठते हैं, अभी हम दोनों मिलकर अभी उत्तर देंगे।

श्री अजय चन्द्राकर :- मैं तो जो लिखा हूं, देख लीजियेगा। मेरी मूल नोटिस देख लीजिए।

अध्यक्ष महोदय :- माननीय सदस्य जी, आपने स्टेरायड्स इंजेक्शन को खेल समझकर लगाया था, वह वास्तविक रूप से स्वास्थ्य विभाग के अंतर्गत आना चाहिए। (हंसी)

श्री अजय चन्द्राकर :- माननीय अध्यक्ष महोदय, उत्तर में जो आया है, एक कथन है कि यह कथन अंशत: सत्य है कि इन्होंने मुंबई के निवासी फिटनेस ट्रेनर श्री निलेश परमार और सुमीत राय चौधरी रायपुर द्वारा बिना शारीरिक जांच एवं गलत अनुपात में शक्तिवर्धक दवाई की सेवन की सलाह लेकर श्री निलेश परमार मुंबई (महाराष्ट्र) से खरीद कर सेवन करने लगा, जिससे उसका स्वास्थ्य बहुत ज्यादा खराब हो गया। मेरा प्रश्न इसमें यह है, ध्यानाकर्षण में ऐसे उत्तर आते नहीं हैं। अंशत: सत्य है तो मुझको इसमें ये बताईये कि पूरा सत्य क्या है या पूरा असत्य क्या है? निलेश परमार ने स्टेरायड्स दिया, वह सही है या नहीं है, प्रतिबंधित स्टेरायड्स को दिया, सही अनुपात में स्टेरायड्स दिया, कितना दिया, कौन से स्टेरायड्स को दिया, अंशत:, पूर्णत: ये क्या है?

श्री रविन्द्र चौबे :- माननीय अध्यक्ष जी, इनके प्रश्न में ही इनका उत्तर है, अब कितना दिया, क्या दिया, अगर ये जानकारी रहती तो पूर्णत: सत्य दे देते, इसीलिए उसको अंशत: सत्य लिखा गया है।

श्री अजय चन्द्राकर :- माननीय अध्यक्ष महोदय, यह मजाक का विषय नहीं है।

श्री रविन्द्र चौबे :- यह मजाक नहीं है, आप सच्चाई देखिये।

श्री अजय चन्द्राकर :- माननीय अध्यक्ष महोदय, एक आदमी की मृत्यु हुई, जब मैं ध्यानाकर्षण को पढ़ रहा था, उस समय उसकी मृत्यु नहीं हुई।

श्री रविन्द्र चौबे :- माननीय अध्यक्ष महोदय, जब ध्यानाकर्षण लगाया गया, आपका भी कथन सत्य है कि उस समय उसकी मृत्यु नहीं हुई थी, लेकिन आज उत्तर देने के समय ये उत्तर देना पड़ा कि उसकी मृत्यु हो चुकी है, तारीख भी बता दिया।

श्री अजय चन्द्राकर :- माननीय अध्यक्ष महोदय, मैं अंशत: सत्य को इसलिए स्पेशली ट्रेस कर रहा हूं कि आज समाचार पत्रों में छपा है कि उसको घोड़े वाला स्टेरायड्स दिया गया और यदि वह सत्य है तो ये और चिंता जनक है। माननीय अध्यक्ष महोदय, अंशत: सत्य है, मैं इसमें यह जानना चाहता हूं कि निलेश परमार द्वारा बिना शारीरिक जांच के कौन सा स्टेरायड्स दिया गया, कब से दिया गया? आपके विभाग ने जांच की है, वह स्टेरायड्स लगने के बाद 20 दिन तक जीवित रहा, किस तरह के

अशोधित/प्रकाशन के लिए नहीं

स्टेरायड्स लगे, वह प्रतिबंधित थे या नहीं प्रतिबंधित थे? जांच की गई तो उचित मात्रा में दिया गया या अनुचित मात्रा में दिया गया, यह पूछ रहा हूं। आपने अंशत: कहा तो उसको पूर्णत: बताईये।

श्री रविन्द्र चौबे :- माननीय अध्यक्ष जी, ये जांच का विषय है, किस तरीके से वह दवाई लिया, कौन सा स्टेरायड्स लिया था, विभाग पोस्टमार्टम रिपोर्ट आने के बाद इसमें बहुत स्पष्ट कथन कर पायेगा।

अध्यक्ष महोदय :- मैं कह देता हूं। मैं माननीय मंत्री जी से अनुरोध कर रहा हूं कि इसकी विस्तृत जांच करायें। आप अपने सदस्यों से, मुख्यमंत्री जी से, पूरे मंत्रिमंडल से ये बात कहें कि आने वाले समय में जिम सेन्टरों के लिए कोई नियम-कानून बनना चाहिए। यह मेरा कहना है।

श्री रविन्द्र चौबे :- माननीय अध्यक्ष जी, ठीक है।

श्री अजय चंद्राकर :- ठीक है । माननीय अध्यक्ष महोदय, आगे बढ़ते हैं, अब कुछ नहीं पूछना है । व्यवस्था आ गयी ।

श्री बृजमोहन अग्रवाल :- माननीय अध्यक्ष महोदय, आपने एक अच्छा निर्देश दिया है परंतु इस निर्देश के साथ में हम आपको धन्यवाद देते हैं कि पूरे देश में और पूरे प्रदेश में जो नौजवान हैं । आजकल नौजवान अपने शरीर को पतला करने के लिया या फिटनेस के लिये....।

श्री रविन्द्र चौबे :- पतले के नहीं, सिक्सपैक । (हंसी)

श्री बृजमोहन अग्रवाल :- माननीय अध्यक्ष महोदय, यह इतना गंभीर मामला है कि आजकल वह सप्लीमेंट्स ले रहे हैं और उस सप्लीमेंट्स के बारे में किसी को जानकारी नहीं है जो सप्लीमेंट्स है उस सप्लीमेंट्स के ऊपर नियंत्रण किसका है क्या खाद्य विभाग का है या ड्रग्स कंट्रोल विभाग का है ?

अध्यक्ष महोदय :- माननीय अग्रवाल जी, मुझे इस बात की चिंता होने के कारण ही मैंने उनको निर्देश दिये हैं कि सही जांच करायें ।

श्री बृजमोहन अग्रवाल :- माननीय अध्यक्ष महोदय, इसके लिये आपको धन्यवाद ।

अध्यक्ष महोदय :- अब वह घोड़े का लगा है या हाथी का लगा है यह तो बाद में पता लगेगा लेकिन स्टराईट का उपयोग गलत है और जो लोग गलत कर रहे हैं उनको सजा मिलनी चाहिए ।

श्री बृजमोहन अग्रवाल :- माननीय अध्यक्ष महोदय, केवल स्टराईट नहीं है । उसमें जो सप्लीमेंट्स हैं उस सप्लीमेंट्स में धातुएं मिली हुई होती हैं और वह धातुएं शरीर को नुकसान करती हैं और वह सप्लीमेंट्स ज्यादा लेने के कारण वह बॉडी को नुकसान करता है और अभी तक वह सप्लीमेंट्स खाद्य विभाग के अंतर्गत आयेगा या औषधि विभाग के अंतर्गत आयेगा यह भी नियम नहीं है ।

अध्यक्ष महोदय :- ठीक है, पूरी जांच होगी ।

श्री बृजमोहन अग्रवाल :- माननीय अध्यक्ष महोदय, हमारी जो आने वाली पीढ़ी है वह पीढ़ी इससे बर्बाद हो रही है और वे सप्लीमेंट्स ले-लेकर, खाना बंद करके उनका पूरा शरीर बर्बाद हो रहा है । इसके

अशोधित/प्रकाशन के लिये नहीं

बारे में हमको गंभीरता से अगर हम यहां से कुछ तय करेंगे तो मुझे लगता है कि सेंट्रल गवर्नमेंट को भी निर्णय लेने के लिये बाध्य होना पड़ेगा । माननीय अध्यक्ष महोदय, आपने जो निर्देश दिया उसके लिये आपको धन्यवाद ।

श्री रविन्द्र चौबे :- माननीय अध्यक्ष महोदय, आपने निर्देश कर दिया । सरकार इसके लिये गंभीर है ।

श्री शिवरतन शर्मा :- माननीय अध्यक्ष महोदय, आपके निर्देश का पूरा सदन स्वागत कर रहा है । मैं आपके माध्यम से एक निवेदन और कर लेता हूं, इसमें खाली एक विषय आया, वास्तव में पूरे छत्तीसगढ़ में नशे के नाम से मेडिकल स्टोर में सस्ता नशा करने के लिये कोरएक्स जैसी दवाईयां बिक रही हैं, मैं निवेदन करना चाहता हूं कि इसको भी पूरी तरह से प्रतिबंधित करें तो पूरे देश का भला होगा ।

(2) अचानकमार वन अभ्यारण्य (टाईगर रिजर्व) में वन्य प्राणियों का अवैध शिकार किया जाना ।

श्री सौरभ सिंह (अकलतरा) :- माननीय अध्यक्ष महोदय, मेरी ध्यानाकर्षण सूचना का विषय इस प्रकार है :-

प्रदेश में स्थित अचानकमार वन अभ्यारण्य (टाईगर रिजर्व) में आये दिन तेंदूआ व बाघ का अवैध शिकार किया जा रहा है । वहीं वनों की अवैध कटाई लगातार जारी है । दिनांक 21.10.2019 को अचानकमार टाईगर रिजर्व वन परिक्षेत्र अंतर्गत लोरमी बफर के कक्ष क्रमांक 404 आर.एफ. में तेंदूए का शिकार किया गया । इसके पूर्व फरवरी 2019 में भी वन अभ्यारण्य की सीमा में बाघ का अवैध शिकार किया गया । कुंभीपानी में भी एक तेंदूए का अवैध शिकार किया गया । विगत वर्षों में चार से पांच तेंदूए व बाघ का अवैध शिकार किया गया है । वन्य प्राणियों के अवैध शिकार के प्रति वन अमला पूर्णत: उदासीन है तथा वन अधिकारियों की मिलीभगत से अवैध शिकार किया जा रहा है । इस दौरान वन अभ्यारण्य क्षेत्र में इमारती लकड़ियों की अवैध कटाई बदस्तूर जारी है, किंतु वन अमले द्वारा कोई कार्यवाही नहीं की जाती है । वन्य प्राणियों का अवैध शिकार करने वालों तथा इमारती लकड़ी की अवैध कटाई करने वालों के विरूद्ध कोई कार्यवाही नहीं किए जाने से आम जनता में रोष व्याप्त है ।

वन मंत्री (श्री मोहम्मद अकबर) :- यह कहना सही नहीं है कि अचानकमार अभ्यारण्य (टाईगर रिज़र्व) में आये दिन तेंदुआ व बाघ का अवैध शिकार किया जा रहा है ।

सत्य यह है कि अचानकमार टाईगर रिज़र्व के गठन के उपरांत से माह सितम्बर 2019 तक वन्य प्राणी तेंदुआ के अवैध शिकार का 01 प्रकरण दर्ज किया गया है । अचानकमार टाईगर रिज़र्व अंतर्गत बाघ के शिकार की कोई घटना नहीं हुई है ।

अशोधित/प्रकाशन के लिये नहीं

मुंगेली ज़िले के अचानकमार टाईगर रिज़र्व अंतर्गत वर्ष 2019 में (01 जनवरी 2019 से 25 नवम्बर 2019 तक अवैध कटाई के 02 प्रकरण तथा अवैध परिवहन के 01 प्रकरण दर्ज किये गये हैं । समस्त प्रकरणों में अवैध काटे गये वनोपज को जप्त कर अभियुक्तों के विरूद्ध वन अपराध प्रकरण दर्ज कर कार्यवाही की गयी है ।

दिनांक 21.10.2019 को लोरमी बफर क्षेत्र के कक्ष क्रमांक 404 आर.एफ. में मध्यप्रदेश एवं छत्तीसगढ़ सीमा के समीप वन्य प्राणी तेंदुआ का शव गश्ती दल के द्वारा देखा गया । इस संबंध में तत्काल डॉग स्क्वायड प्रभारी तथा उड़नदस्ता अचानकमार टाईगर रिज़र्व एवं सहायक संचालक, परिक्षेत्र अधिकारी एवं समस्त स्टाफ ने घटना स्थल की ओर कूच किया । घटना का वन अपराध प्रकरण क्रमांक 12714/16, दिनांक 22.10.2019 दर्ज किया गया । तत्काल डॉग स्क्वायड के द्वारा मध्यप्रदेश के ग्रामों का निरीक्षण कर शिकारियों का पता लगाया । अवैध शिकार में संलग्न ग्राम गोपालपुर, भंगाटोला एवं चकमी मध्यप्रदेश के 16 अभियुक्तों को पूछताछ के लिए पकड़ा गया । उपरोक्त अभियुक्तों को गिरफ्तार कर दिनांक 24.10.2019 की शाम को माननीय न्यायाधीश लोरमी के समक्ष पेश किया गया । जिन्हें न्यायालय ने न्यायिक रिमांड पर जिला जेल मुंगेली भेज दिया ।

यह कथन सत्य नहीं है कि फरवरी 2019 में वन अभ्यारण्य की सीमा में बाघ का अवैध शिकार किया गया । सत्य यह है कि दिनांक 21.02.2019 को मध्यप्रदेश राज्य के डिंडौरी जिले के अंतर्गत करंजिया परिक्षेत्र के चौरादादर ग्राम में वन्यप्राणी बाघ का शिकार किया गया । इस प्रकरण में मध्यप्रदेश अंतर्गत डिंडौरी वन मंडल के अधिकारी द्वारा कार्यवाही की गई ।(अचानकमार टाईगर रिज़र्व से संबंधित नहीं है)

यह सत्य नहीं है कि कुंभीपानी में भी एक तेंदुए का अवैध शिकार किया गया। अचानकमार टाईगर रिज़र्व में एक ही तेंदुआ का शिकार हुआ है जिसका उल्लेख ऊपर किया जा चुका है ।

यह भी सत्य नहीं है कि विगत वर्षों में चार से पांच तेंदुए व बाघ का अवैध शिकार किया गया । अपितु सत्य यह है कि बाघ के शिकार की कोई घटना अचानकमार टाईगर रिज़र्व में प्रकाश में नहीं आई है ।

यह सत्य नहीं है कि अचाकमार टाईगर रिज़र्व में वन्यप्राणियों के अवेध शिकार के प्रति वन अमला पूर्णत: उदासीन है तथा वन अधिकारियों की मिलीभगत से अवैध शिकार किया जा रहा है । सत्य यह है कि अचानकमार टाईगर रिज़र्व में पदस्थ अधिकारी, कर्मचारी एवं सुरक्षा श्रमिकों द्वारा नियमित पेट्रोलिंग की जाती है, साथ ही बेरियरों पर सख्त चेकिंग की जाती है । 5 वॉच टावर से पदस्थ कर्मचारियों द्वारा सतत् निगरानी की जाती है । एन्टीपोचिंग स्क्वायड वन क्षेत्रों में फैले 24 कैम्पों में रहते हैं । वे तत्काल अवैध शिकार की रोकथाम हेतु कार्यवाही करते हैं । साथ ही स्नीफर डॉग की भी समय-समय पर मदद की जाती है । साथ ही एनटीसीए की गाईडलाईन के अनुसार प्रतिदिन पेट्रोलिंग की

अशोधित/प्रकाशन के लिए नहीं

जाती है और कर्मचारियों के द्वारा M-STrIPES APP के माध्यम से प्रतिदिन पैदल गश्ती का कार्य किया जाता है । वन क्षेत्रों में स्थापित वायरलेस सेटों के माध्यम से प्रतिदिन बीट खैरियत रिपोर्ट एवं अन्य गतिविधियों की सूचना आदान-प्रदान की जाती है ।

यह कहना सत्य नहीं है कि वन अभ्यारण्य क्षेत्र में इमारती लकड़ियों की अवैध कटाई बदस्तूर जारी है किंतु वन अमले द्वारा कोई कार्यवाही नहीं की जाती है। अचानकमार टाईगर रिज़र्व में पदस्थ अधिकारियों एवं क्षेत्रीय कर्मचारियों तथा कार्यरत सुरक्षा श्रमिकों के द्वारा नियमित रूप से पेट्रोलिंग की जाती है । अचानकमार टाईगर रिजर्व में पदस्थ समस्त परिक्षेत्र सहायक/परिसर रक्षकों को प्रतिदिन मॉनिटरिंग कार्य हेतु लेनोवो स्मार्ट फोन प्रदाय किया गया है । कर्मचारियों के द्वारा M-STrIPES APP

के माध्यम से प्रतिदिन पैदल गश्ती का कार्य किया जाता है । माह सितम्बर 2019 में पैदल कश्ती 2027.47 किलोमीटर तथा मोटर सायकल गश्ती 414.137 किलोमीटर गश्त की गयी ।

अत: यह कहना सही नहीं है कि आम जनता में रोष व्याप्त है । सत्य यह है कि जनता में कोई रोष व्याप्त नहीं है ।

श्री सौरभ सिंह :- माननीय अध्यक्ष महोदय, माननीय मंत्री जी ने अपने जवाब में स्वीकार किया है कि एक तेंदुए का शिकार हुआ है और यह भी स्वीकारा कि दो लकड़ी के प्रकरण दर्ज हुए । माननीय अध्यक्ष महोदय, यह वन्य जीव प्राणी में देखा जाता है कि तेंदुआ यहां से वहां जाएगा तो मध्यप्रदेश और छत्तीसगढ़ की सरहद को तेंदुआ और शेर नहीं पहचानता । वह यहां से वहां जाएगा और उधर से इधर आएगा, कहीं न कहीं जाएगा, शिकार हुआ है । बॉर्डर में यह शिकार हो रहा है, यह उन्होंने स्वीकार किया और पेड़ की कटाई भी टाईगर रिज़र्व में, जहां पर एक पेड़ भी नहीं काटा जा सकता, पेड़ काटना प्रतिबंधित है, जंगल से एक लकड़ी भी बाहर नहीं ले जा सकते । इस परिस्थिति में यह हुआ है । माननीय मंत्री जी से निवेदन करना चाहूंगा कि कार्रवाई छोटे कर्मचारियों पर होती है । छोटे कर्मचारी कठिन परिस्थितियों में वहां पर काम करते हैं । वहां पर जो बड़े कर्मचारी पदस्थ हैं, वहां दो सहायक संचालक प्रभार में हैं । एक संजय लाथूर जी हैं, एसडीओ हैं, वहां सहायक संचालक के रूप में पदस्थ हैं और मानस राय हैं वे भी सहायक संचालक हैं । इन मौतों की और पेड़ कटाई की कार्रवाई इन सहायक संचालकों पर की जाए । इनका निलंबन किया जाए, इनका ट्रांसफर किया जाए और इनके ऊपर इंक्वायरी की जाए। नीचे के अधिकारियों और छोटे अमले के जो कर्मचारी हैं, उन पर आधिकारिक कार्रवाई न की जाए, मैं माननीय मंत्री जी से निवेदन करूंगा।

श्री मोहम्मद अकबर :- माननीय अध्यक्ष महोदय, अचानकमार टाइगर रिजर्व गठन के उपरांत से माह सितंबर- 2019 यह विभाग के द्वारा स्वीकार किया गया है कि एक प्रकरण अवैध शिकार का दर्ज किया गया। वन्य प्राणी तेंदुआ। अवैध पेड़ कटाई के बारे में भी प्रकरण दर्ज किया गया है, जिसकी विस्तृत जानकारी आपको दी गई है। बाघ के बारे में जो यहां जानकारी दी गई है, उसके हिसाब से जो

अशोधित/प्रकाशन के लिए नहीं

वन्य अभ्यारण्य की सीमा जोकि मध्यप्रदेश से लगी हुई है तो मध्यप्रदेश की सीमा में बाघ के अवैध शिकार के लिए कार्रवाई हुई है, लेकिन फिर भी अचानकमार टाइगर रिजर्व में पेड़ कटाई का काम हुआ है, जिसे विभाग ने स्वीकार भी किया है और एक प्रकरण अवैध शिकार का भी दर्ज किया गया है। मामला तो बहुत गंभीर है। टाइगर रिजर्व में इस प्रकार की घटनाएं नहीं होनी चाहिए। आपने जिन अधिकारियों के बारे में बात की है..।

श्री अजय चन्द्राकर :- पेड़ के साथ-साथ आपकी प्रतिष्ठा के भी यह खिलाफ है, जिस काम के लिए आप जाने जाते होंगे।

श्री मोहम्मद अकबर :- विभाग की प्रतिष्ठा बनाये रखना जरूरी है और लोगों में अधिकारियों और कर्मचारियों में भय होना चाहिए, इस प्रकार के कार्य को अंजाम देने के लिए या सहायता करने के लिए। इसलिए सीतानदी टाइगर रिजर्व में जो सहायक संचालक हैं संजय लूथर और एन.के. राय, जिसके बारे में आपने मांग की है, मैं दोनों को निलंबित करने की घोषणा करता हूं। (मेजों की थपथपाहट)

श्री सौरभ सिंह :- एक छोटी सी चीज। धन्यवाद, आपने इतनी बड़ी कार्रवाई की, लेकिन एक निवेदन करता हूं कि अचानकमार टाइगर रिजर्व और अन्य जितने टाइगर रिजर्व व एलीफेंट रिजर्व हैं, इन सारे रिजर्वों में नीचे के वन गार्ड, बीट गार्ड और उसके ऊपर के जो कर्मचारी हैं, उनकी बहुत सारी संख्या खाली है। वहां पर पदस्थ नहीं हुए हैं। मेरा आपसे विनम्र निवेदन है कि चूंकि सुरक्षा की दृष्टिकोण से सबसे जरूरी क्षेत्र हमारे वन क्षेत्र में वही क्षेत्र हैं तो प्रायरिटी के हिसाब से नीचे के जो पदस्थ एक्चूअल फूट गार्ड हैं, जोकि वहां पर गार्ड करते हैं, उन्हें कृपापूर्वक आप वहां पदस्थ कर दें, यह मेरा निवेदन है।

श्री मोहम्मद अकबर :- मैं कार्यवाही करूंगा।

अध्यक्ष महोदय :- धर्मजीत जी।

श्री धर्मजीत सिंह :- अध्यक्ष महोदय, यह मामला गंभीर इसलिए है कि अचानकमार टाइगर रिजर्व में दिल्ली की सरकार ने यह बताया है कि शेर की भी संख्या कम हो गई है। शायद सरकार के पास उसकी जानकारी होगी। 12 साल में 12 बाघ गायब हैं। सन् 2006 की गणना में 19 बाघ थे। फिर सन् 2010 में यह संख्या 12 हो गई। फिर सन् 2014 में यह संख्या घटकर 11 हो गई। सन् 2011 की गणना में संख्या 07 तक पहुंच गई है और सन् 2018 के आंकड़े अभी अधिकृत नहीं हैं, लेकिन बताया जाता है कि सिर्फ 2 शेर बचे हैं। माननीय मंत्री जी, जंगल के जो अधिकारी है, वे वहां पर रहते नहीं हैं। सी.सी.एफ. जो ए.टी.आर. के हैं, वे बिलासपुर में रहते हैं। जो डिप्टी डायरेक्टर हैं, वे भी बिलासपुर में रहती हैं। जो एस.सी.एफ. या एस.डी.ओ. जो भी भाषा हो, हम लोग एस.डी.ओ. समझते हैं, वे लोग भी बिलासपुर में रहते हैं। अधिकांश रेंजर भी बिलासपुर में रहते हैं। फॉरेस्ट गार्ड, बीट गार्ड जोकि बहुत कम संख्या में हैं, उनके भरोसे में जंगल है। अब सबसे बड़ी दिक्कत वहां यह आ गई है कि जो वहां के स्थानीय निवासी पैदल गार्ड में, बेरियर गार्ड के पद में भरे गये थे, उन्हें धीरे-धीरे इन अधिकारियों ने हटा

अशोधित/प्रकाशन के लिए नहीं

दिया। धीरे-धीरे सभी स्थानीय लोग हट गये। आदिवासी बच्चे या वहां के स्थानीय निवासी हटा दिये गये और बाहर से जिस तरीके से भी उपकृत होकर के या उपकृत करने के लिए वे बाहर के शहरी लड़कों को लाकर वहां पर बीट गार्ड और बेरियर गार्ड बना दिया गया। इससे होता क्या है कि जो स्थानीय बच्चा था, वह जानता है कि मंडला तरफ का है, डिंडोरी तरफ का है, गोरखपुर, औरापानी से गोरखपुर। मेरे विधान सभा क्षेत्र का औरापानी गांव और डिंडोरी विधान सभा का गोरखपुर गांव मुश्किल से 8-10 किलोमीटर है। वहां से शिकारी आते हैं। सतना से आते हैं। रीवा से आते हैं। कई हादसों में हमने देखा है तो उसे पहचान नहीं पाते हैं। क्योंकि मान लीजिए रायपुर का कोई लड़का अगर वहां अचानकमार में बीट गार्ड बनेगा या पैदल गार्ड बनेगा तो वह पहचानेगा नहीं क्योंकि वह तो सिर्फ नौकरी कर रहा है। औपचारिकता करता है। अब जैसा आपने कहा कि 500 किलोमीटर सितंबर में चले। सितंबर में बारिश होती है। वहां पर पक्की सड़क ही 50-60 किलोमीटर का है तो उस पक्की सड़क में घूमने से तो जंगल की रक्षा हो नहीं सकती तो मेरा आपसे विनम्र आग्रह यह है कि मुख्यालय में जो भी अधिकारी हों उनको मुख्यालय में रहने के लिए बोलें और बीट गार्ड, बेरियर गार्ड या पैदल गार्ड वहां के स्थानीय युवकों को रखें। ये सब टेम्पोरेरी हैं। दो-दो साल से तनख्वाह भी नहीं मिला है। तो ऐसे अधिकारियों को तो आपने तत्काल हटाने का आदेश कर दिया, लेकिन वन्य प्राणी की सुरक्षा के लिए कृपा करके कुछ करिये।

अध्यक्ष महोदय, दूसरी समस्या यह आती है कि वहां के जो अधिकारी हैं, उनका ध्यान जंगल की रक्षा और वन्य प्राणियों की रक्षा में कम रहता है। वहां तो टेण्डर-टेण्डर का खेल हो रहा है। जंगल में पोकलेन मशीन जायेगा, बड़ा-बड़ा डोजर जायेगा। एक पंचायत भवन बनाने के लिए फारेस्ट कन्जर्वेशन एक्ट का उल्लंघन होता है तो बड़े-बड़े डोजर जंगल के अंदर भो-भो कर एक महीने तक जंगल में तालाब खोदता है, तो आखिर उससे जानवर कैसे सुरक्षित रहेगा ? तो मेरा मतलब टेण्डरसे है। अध्यक्ष जी, दो मिनट सुन लीजिये न, जब बोल रहा हूं तो पूरी बात कर ही दूं। मंत्री जी की जानकारी में आ जाये। अध्यक्ष जी, टेण्डर में भी क्या होता है कि एक तालाब खोदना है या कुछ पचरी बनना है, या कोई रिटर्निंग वॉल बनना है, तो टेण्डर में शर्त रखी जाती है कि जिसके पास रेत का खदान होगा, वही रेत के ठेके के लिए टेण्डर डाल सकता है। जिसके पास सीमेन्ट की फैक्ट्री होगी या उसका कोई एजेंट होगा, वही सीमेन्ट का टेण्डर डाल सकता है। जिसके पास लोहे का कारखाना होगा, वही लोहे का टेण्डर डाल सकता है। आप बताईये अगर छोटे-छोटे कामों में स्थानीय बेरोजगारों को रोजगार नहीं मिलेगा, तो कैसे होगा। ये जंगल विभाग के बड़े अधिकारी हैं, ये बड़े-बड़े ठेकेदारों, सप्लायरों से मिलीभगत करके अगर इस तरीके से टेण्डर का कंडीशन बनायेंगे तो काम भी नहीं होगा, पूरी गुणवत्ता भी नहीं आयेगी। बड़े स्तर पर बड़ा खेल वर्षों से चल रहा है, अचानकमार टाइगर रिज़र्व में तो चल ही रहा है, मैं इसमें एक बात का ध्यान आकृष्ट करता हूँ। एक सी0सी0टी0 व्ही0 कैमरे में जो लगाते हैं, ट्रेप कैमरे में शेर तो ट्रेप नहीं हुआ, दो शांभर को मारकर काटते हुए ट्रेप हुआ है, यह मैं आपको बता रहा हूं। कौन-कौन सी तारीख को कहां-कहां

अशोधित/प्रकाशन के लिये नहीं

जानवर पकड़े हैं, मैं यह भी बताता। चूंकि ..।

अध्यक्ष महोदय :- आप लिखकर दे दीजियेगा।

श्री धर्मजीत सिंह :- माननीय मंत्री जी ने जड़ से समस्या का निराकरण कर दिया, मैं उनको धन्यवाद देता हूँ। उनकी संजीदगी के लिए भी धन्यवाद देता हूँ। आपसे विनती करता हूँ कि आप वहां थोड़ा संवेदनशील अफसर रखिये। क्योंकि वहां के वन्य प्राणियों और वहां के आदिवासियों से जुड़ा मसला है। सारे नियम कायदे जंगल में जिन्दा रहने वाले आदिवासियों के लिए है और इनकी लापरवाही से वन्य प्राणी भी मरते हैं। तो ऐसा कुछ बैलेन्स करिये कि उनको भी रोजी-रोटी की समस्या न हो। मैं यहां पर चुनौती दे रहा हूँ, एक चुनौती है। अगर मुझे ही भेज देंगे और कहे कि अचानकमार में 25 रूपया दिन में कमाकर आ जाऊं तो मुझे खाना मिलेगा तो मैं कह सकता हूँ कि मुझे 15 दिन तक खाना नहीं मिल सकता है। क्योंकि वहां 25 रूपया भी कमाने का कोई अवसर नहीं है। तो आपसे मेरी विनती है कि आपके फारेस्ट विभाग में इतना पैसा है, जिससे आप छोटी-छोटी सड़क बनवा दीजिये, तालाब बनवा दीजिये, गांव के लोग पानी पीयेंगे और जानवर भी पीयेगा। वहां पर छोटी-छोटी मूलभूत की आवश्यकता के लिए काम कराईये, उनको रोजगार दीजिये, ऐसा मेरा मतलब है। वे लोग जब तक वहां से विस्थापित नहीं हो रहे हैं, तब तक आप उन्हें जीने का हक, जीने का अवसर प्रदान करिये, हाथ जोड़कर यही विनती है। हमारा दूसरा कोई झगड़ा नहीं है। आप ए0टी0आर0 में जितनी व्यवस्था कर सकते हैं, करिये। किसी अधिकारी के प्रति मेरी कोई व्यक्तिगत रंजिश नहीं है। लेकिन मैं यह कहना चाहता हूं कि गुस्सा तब आता है, जब वहां रहने वाले गरीब आदिवासियों को उनके मूलभूत अधिकारों से वंचित किया जाता है। पीने के पानी की भी व्यवस्था करना चाहिए। आप इस पर संवेदना से विचार करियेगा। मुझे मालूम है कि आप बहुत दृढ़ निश्चय से निर्णय लेते हैं। इस पर निर्णय करेंगे वहां पर अच्छे अधिकारी की पोस्टिंग करके लोगों को रक्षा देने का काम करेंगे।

श्री अजीत जोगी :- माननीय अध्यक्ष जी।

अध्यक्ष महोदय :- आपको सुन लेते हैं, फिर दोनों का उत्तर एक साथ दे देंगे।

श्री अजीत जोगी (मरवाही) :- माननीय अध्यक्ष महोदय, मैं इसी से जोड़कर बोल रहा हूँ। अध्यक्ष जी, मेरा सौभाग्य या दुर्भाग्य समझिये कि मेरे गांव से नजदीक होने के कारण पूरे अचानकमार क्षेत्र के चप्पे-चप्पे में घूमकर बचपन में बहुत शिकार किया। वहां जगह-जगह वन्य पशु बहुत-बहुतायत में थे, लेकिन आज वहां देखने को नहीं मिलता है। इससे दु:ख होता है। इसलिए मैं एक-दो बातें कहना चाहता हूँ।

माननीय अध्यक्ष महोदय, 2014 की जनगणना में 49 शेर पाये गये। आपने, मेरे एक प्रश्न के उत्तर में कहा। सन् 2018 में 49 शेर से घटकर 19 हो गए। इस बीच टाईगर के लिए कितना पैसा खर्च

अशोधित/प्रकाशन के लिए नहीं

हुआ, केवल टाईगर के लिए ? टाईगर को बचाने के लिए 49 करोड़ रूपया खर्च होने के बाद उनकी संख्या 46 से घटकर 19 हो गई।

अध्यक्ष महोदय :- एक मिनट । आज की कार्यसूची के पद क्रमांक 4 के मद (4) तक कार्य पूर्ण होने तक भोजनावकाश के समय में वृद्धि की जाती है। मैं समझता हूं कि सभा सहमत है ।

(सदन द्वारा सहमति प्रदान की गई)

श्री अजीत जोगी :- जी धन्यवाद । मैं माननीय मंत्री जी से यह कहना चाहता हूं कि 2-3 बातें जरूर कर दीजिए । पहली बात यह कहना चाहता हूं कि आपने वहां बड़े उच्चाधिकारी पदस्थ किये हैं, मैं नाम लेकर नहीं कहना चाहता । आपके वन विभाग में ही ऐसे बहुत से अधिकारी हैं, जिनको वन पशुओं के बारे में अच्छी जानकारी है, अच्छी रूचि है, उनकी फोटोग्राफी करते हैं । कृपया जो टाईगर के तीन अभ्यारण्य हैं और चौथा आपने अभी घोषित किया है, इन चारों टाईगर रिजर्व में आप ऐसे अधिकारियों को छांटकर पोस्ट करिए, जिनको वन्य प्राणियों में रूचि हो । दूसरी बात, या तो उसके अंदर के जो गांव हैं, उनको आप बाहर बसा दीजिए या फिर जो गांव में रहने वाले लोग हैं, उनको जैसा धर्मजीत जी कह रहे थे कि 49 करोड़ किसमें खर्च हुआ। वहां जो आदिवासी रह रहे हैं, मेरे ख्याल से उन पर एक लाख भी खर्च नहीं हुआ । मेरा आपसे अनुरोध है कि वहां ऐसा काम कराईए कि जो अभ्यारण्य के आसपास या अंदर आदिवासी रह रहे हैं, उनको रोजगार मिले और उन्हीं को वन्यप्राणी की सुरक्षा के लिए लगाईए । बिलासपुर का या रायपुर का रायगढ़ का आदमी वहां बैठा है, उसको वन्य प्राणी के बारे में कोई जानकारी नहीं है, वन्य प्राणी की सुरक्षा नहीं कर सकता, आदिवासियों को ही चाहे उसके लिए नियमों में शिथिलता करनी पड़े, उन्हीं को लगाईए । अब आदिवासी जानवरों को नहीं मारता, उससे प्यार करता है । वहीं के आदिवासियों को लगाईए, उनको जवाबदारी दे दीजिए कि उनकी सुरक्षा करें। धन्यवाद ।

श्री मोहम्मद अकबर :- माननीय अध्यक्ष महोदय, 49 करोड़ खर्च करने की बात हुई है तो 2015-16 से लेकर 18-19 तक 34 करोड़, 36 लाख रूपए व्यय हुए हैं, 2019-20 में कोई राशि खर्च नहीं हुई । मुख्य बात जो संख्या को लेकर आती है, वह सभी के लिए चिन्ता का विषय है कि 2006 में बाघों की संख्या 26, 2010 में 26 बाघ, 2014 में 45 बाघ थे और आपने सही कहा कि 2018 में बाघों की संख्या 19 हो गई है, लेकिन इस विषय में मैं कहना चाहूंगा कि जो 2018 में 19 बाघों की संख्या बतायी गई है, वह एन.टी.सी.ए. के द्वारा अनुमान है, ये लैण्ड स्केपवार, अलग-अलग क्षेत्रवार गणना नहीं है तो इसके कारण ये कमी आई है, लेकिन विभाग इसमें चिंतित है । जो बेहतर होगा, आपने जो सुझाव दिया, वह हम लोग करेंगे ।

(3) प्रदेश में मधुर योजना के अंतर्गत गुड़ सप्ताई के टेंडर में अनियमितता किया जाना.

अशोधित/प्रकाशन के लिए नहीं

नेता प्रतिपक्ष (श्री धरम लाल कौशिक), (डॉ. रमन सिंह), (श्री अजय चन्द्राकर) :- अध्यक्ष महोदय, मेरी ध्यानाकर्षण सूचना का विषय इस प्रकार है:-राज्य में एनीमिया में पीड़ित बस्तर के नागरिकों में रक्त बढ़ाने के लिए मधुर गुड़ योजना चालू की है । 4 अक्टूबर को खाद्य विभाग ने नैफेड के माध्यम से गुड़ खरीदने के लिए एन.ओ.सी. जारी की, जबकि शासन के आदेश में साफ है कि गुड़ का उपार्जन छत्तीसगढ़ राज्य नागरिक आपूर्ति निगम द्वारा किया जाएगा और जो गुड़ राज्य में उत्पादित हो, उसको ही लिया जाएगा। राज्य में 400 गुड़ मिले संचालित हैं, जिनसे खरीदी नहीं की जा रही है । नैफेड के माध्यम से खरीदी करने पर राज्य सरकार को 1.60 करोड़ का नुकसान होगा । खाद्य विभाग ने केवल टेण्डर प्रक्रिया के लिए नैफेड को 60 लाख दे दिए हैं । नैफेड आगे अपने ठेकेदारों के माध्यम से खरीदी करेगा । किन ठेकेदारों से गुड़ खरीदी करना है, उसको भा खाद्य विभाग ने नैफेड को सूचित कर दिया है । नैफेड द्वारा 48.80 रूपये प्रति किलो गुड़ खाद्य विभाग को बेचा जाएगा, जबकि नैफेड के ठेकेदार किसानों से कम से कम दाम में गुड़ खरीदेंगे । राज्य के शक्कर कारखानों का करोड़ों रूपए किसानों को देना है । सिर्फ कबीरधाम जिले में दो चीनी मिल होने के बावजूद इस वर्ष गन्ना का रकबा 5 हजार हेक्टेयर कम हुआ है । शासन की नीति से किसान और स्थानीय गुड़ उत्पादकों का नुकसान होगा और प्रदेश के बाहर से गुड़ आएगा। इससे आम जनता में भारी रोष और आक्रोष व्याप्त है ।

खाद्य एवं नागरिक आपूर्ति मंत्री :- अध्यक्ष महोदय, बस्तर संभाग के निवासियों में एनिमिया को दूर करने के लिए मधुर गुड़ योजना में सार्वजनिक वितरण प्रणाली के अंतर्गत रियायती दर पर गुड़ का वितरण किया जायेगा । सार्वजनिक वितरण प्रणाली के अंतर्गत बस्तर संभाग के 6.58 लाख अंत्योदय, प्राथमिकता, अन्नपूर्णा, एकल, निराश्रित एवं नि:शक्तजन राशनकार्डधारियों को रियायती दर पर उचित मूल्य दुकानों से मधुर गुड़ वितरण किया जाना है । बस्तर संभाग के जिलों में गुड़ वितरण हेतु वर्ष 2019-2020 के लिए गुड़ के उपार्जन की कार्यवाही छत्तीसगढ़ स्टेट सिविल सप्लाईज कार्पोरेशन द्वारा नेफेड राष्ट्रीय सहकारी कृषि विपणन संघ के माध्यम से की जा रही है । इस हेतु गुड़ का क्रय करने के लिए नेफेड राष्ट्रीय सहकारी कृषि विपणन संघ के माध्यम से क्रय किये जाने हेतु भंडार क्रय नियम 2002 का पालन करते हुये दिनांक 14.10.2019 को अनुमति दी गई । राज्य शासन से प्राप्त उक्त अनुमति के अनुसार छत्तीसगढ़ स्टेट सिविल सप्लाईज कार्पोरेशन द्वारा दिनांक 05.11.2019 को नेफेड से अनुबंध निष्पादित किया गया । उक्त अनुबंध में नेफेड द्वारा क्रय किये जाने वाले गुड़ का छत्तीसगढ़ राज्य में उत्पादित गुड़ होना अनिवार्य शर्त रखी गई है । नेफेड द्वारा अपने पत्र दिनांक 20.11.2019 के माध्यम से गुड़ क्रय के लिए आमंत्रित शर्त रखी गई है । नेफेड द्वारा अपने पत्र दिनांक 20.11.2019 के माध्यम से गुड़ क्रय के लिए आमंत्रित निविदाओं में प्राप्त दर के अनुसार एल-1 की दर 4880 रूपये प्रति क्विंटल, प्रापत होने की सूचना छत्तीसगढ़ स्टेट सिविल सप्लाईज कार्पोरेशन को दी गई । नेफेड द्वारा प्रेषित उपरोक्त दर के संबंध में नेफेड का अभिमत छत्तीसगढ़ स्टेट सिविल सप्लाईज कार्पोरेशन द्वारा

अशोधित/प्रकाशन के लिए नहीं

प्राप्त किया गया । नेफेड द्वारा उपरोक्त प्राप्त दर वर्तमान बाजार मूल्य से अधिक होने संबंधी अभिमत दिया गया, जिसके संदर्भ में नागरिक आपूर्ति निगम द्वारा पत्र दिनांक 23.11.2019 के माध्यम से नेफेड को प्राप्त दर के स्थान पर प्रतिस्पर्धी दर प्रेषित करने के लिए सूचित किया गया, जिसके संबंध में नेफेड में कार्यवाही प्रक्रियाधीन है । अत: यह कहना सही नहीं है कि खाद्य विभाग द्वारा नेफेड को गुड़ क्रय करने के लिए एजेंसी के संबंध में सूचित किया गया है । यह भी कहना सही नहीं है कि खाद्य विभाग ने केवल टेंडर प्रक्रिया के लिए नेफेड को 60 लाख दे दिये हैं । जबकि वास्तविकता यह है कि नेफेड को गुड़ क्रय करने की निविदा प्रक्रिया के लिए खाद्य विभाग या छत्तीसगढ़ स्टेट सिविल सप्लाईज कार्पोरेशन द्वारा कोई राशि का भुगतान नहीं किया गया है । अत: मधुर गुड़ योजना के लिए गुड़ क्रय करने के संबंध में जनता में कोई रोष एवं आक्रोश व्याप्त नहीं है ।

अध्यक्ष महोदय :- डॉ.रमन सिंह जी ।

डॉ.रमन सिंह (राजनांदगांव) :- अध्यक्ष महोदय, गुड़ के संबंध में जो माननीय मंत्री जी का जवाब आया, उसमें उन्होंने दो चीज को चिन्हांकित किया है कि स्थानीय उत्पादक से गुड़ लिया जायेगा । यह बात ठीक है । दूसरा विषय उन्होंने कहा कि क्वालिफिकेशन का कोई मापदण्ड, आप कोई क्राईटेरिया रखें । कौन व्यक्ति है जो इसमें क्वालिफाई हो सकता है? कौन स्टैण्डर्ड में भाग ले सकता है, उसके बारे में आपने कोई शर्त रखी है ? क्योंकि छत्तीसगढ़ का कवर्धा जिला मुंगेली जिला, ऐसा जिला है, जिसमें छत्तीसगढ़ का सबसे ज्यादा गुड़ उत्पादन होता है । अध्यक्ष महोदय, 400 से ज्यादा गुड़ उत्पादन की फैक्ट्री कवर्धा जिले में है । यह सारा उत्पादन छत्तीसगढ़ में और देश में गुड़ का रेट यदि तय होता है तो कवर्धा की मण्डी से होता है । पूरे छत्तीसगढ़ में सबसे बेस्ट क्वालिटी का गुड़ यदि कहीं उपलबध है तो वह कवर्धा के अंदर है । जिस भाव में आज कवर्धा में खुले में गुड़ मिल रहा है, बाजार में जो सप्लाई होती है, 400 से ज्यादा उत्पादक हैं जो खाली बैठते हैं । शक्कर कारखाना दो है । उसके बाद भी गुड़ का उत्पादन दिन ब दिन बढ़ते जा रहा है । आज यदि खुले बाजार में 27 रूपये, 30 रूपये प्रति किलो में गुड़ बिक रहा है, थोक भाव में आज 2700 से 3000 रूपये क्विंटल में बिक रहा है तो अजीब बात है कि इनके टेंडर की प्रक्रिया होती है तो 4800 रूपये से ऊपर का रेट जाता है। वहां के गुड़ उत्पादकों का एक संघ है जिसके माध्यम से यह प्रक्रिया कर सकते हैं। जितना गुड़ इनको चाहिए वह मिल सकता है क्योंकि बस्तर के लिए 18500 क्विंटल ही नहीं बल्कि उससे 10 गुना ज्यादा गुड़ का उत्पादन वहां होता है। क्या उनसे बात करके हम करेंगे? जब हम पी.डी.एस. के लिए शक्कर लेने की बात करते हैं तो कवर्धा की शक्कर फैक्ट्री को याद करते हैं कि वहां से ले लिया जाए। ठीक है, वहां से शक्कर लें मगर गुड़ उत्पादन यहीं हो रहा है। गुड़ की एक-एक फैक्ट्री में 40 से 50 लोग काम करते हैं और 400 फैक्ट्रियों में वहां काम करने वाले लोगों का रोजगार उससे जुड़ा हुआ है मगर आज यदि इनके प्रोसेस को देखते हैं तो मोटरसाईकिल बनाने वाला व्यक्ति, मैकेनिकल लाईन में काम करने वाला व्यक्ति यदि गुड़ की सप्लाई

अशोधित/प्रकाशन के लिये नहीं

करेगा तो यह तो अजीब बात है कि छत्तीसगढ़ के सेंटर में जो गुड़ का सबसे बड़ा व्यवसाय होता है वह वंचित होगा। तो मेरा प्रश्न यही है कि क्या जिस व्यापारी को आपने दिया है, जो एल-1 आया है क्या उसको गुड़ के संबंध में कुछ अनुभव है? क्या वह ऑटोमोबाईल का व्यापार करता है? क्या आपको जानकारी है कि बाजार में गुड़ का खुदरा मूल्य क्या है? मैं मंत्री जी से यह जानना चाहता हूं कि कवर्धा का भाव, कवर्धा जो कि रेट खोलता है उसके बारे में आपको जानकारी है?

श्री अमरजीत भगत :- माननीय अध्यक्ष महोदय, हमने NAFAD के माध्यम से खरीदी करने का निश्चय किया है, इसलिए कि आपने अपने पिछले शासनकाल में चना की जो खरीदी की थी, तो आपने भी NAFAD के माध्यम से खरीदी की।

श्री अजय चन्द्राकर :- ध्यानाकर्षण के बाहर यदि उत्तर जाता है, तो ध्यानाकर्षण के बाहर उसी संबंध में हमें भी पूछने की अनुमति मिलनी चाहिए।

अध्यक्ष महोदय:- चलिए, मिलेगी।

श्री अमरजीत भगत :- माननीय अध्यक्ष महोदय, NAFAD के माध्यम से इसलिए हमने खरीदी करना तय किया क्योंकि गुड़ की जो गुणवत्ता है, मापदंड है वह FSSAI के मापदंड के अनुरूप करता है और जहां तक आपने जो चिंता जाहिर की कि प्रदेश में 400 गुड़ फैक्ट्रियां हैं और यहां के किसानों के गुड़ का क्या होगा तो हमने तो निविदा की शर्त में ही यह कह दिया है कि जो गुड़ की आपूर्ति होगी वह प्रदेश के किसानों से होगी और यहीं के जो किसान हैं उनसे गुड़ की आपूर्ति की जायेगी तो उसमें आप निश्चिंत रहें क्योंकि टेंडर किसी को भी मिलेगा वह प्रदेश से बाहर से गुड़ नहीं लायेगा। हम इसी प्रदेश से उसकी आपूर्ति करेंगे और यहीं के किसानों को उसका लाभ देंगे। हम बताना चाहेंगे कि गुड़ के दर के बारे में जो आपने कहा।

अध्यक्ष महोदय :- माननीय डॉ. रमन सिंह जी गुड़ के भाव के बारे में चिंता कर रहे हैं कि आपको वह पता है?

श्री अमरजीत भगत :- माननीय अध्यक्ष महोदय, गुड़ के भाव के बारे में ही कहा कि हमने तो इसमें टेंडर करने के लिए कहा है और रेट अधिक है तो उसमें हमने नेगोशियेशन करने के लिए कहा है और आपने जो कहा कि कौन-कौन सी कंपनी भाग ली थी तो उसमें ढेर सारी कंपनियों ने भाग लिया था और जिनका एल-1, एल-2, एल-3 हुआ उनको बुलाया गया है और उनसे भी नेगोशियेशन करके रेट कम करने के लिए कहा गया है।

डॉ. रमन सिंह :- अध्यक्ष महोदय, बड़ा चमत्कारिक काम है। टेंडर का प्रोसेस हो रहा है, नेगोशियेशन चल रहा है, मगर 50 लाख बैच छप गये। मुख्यमंत्री जी के फोटा छप गये, फुड मिनिस्टर के फोटो छप गये यानि इसका मतलब है कि आप पूर्वानुमान लगा लेते हैं कि किस व्यक्ति को गुड़ सप्लाई का ठेका मिलने वाला है। गांव-गांव में फोटो छप रहे हैं, पेपर में फोटो छप रहा है कि ये मधुर

अशोधित/प्रकाशन के लिये नहीं

गुड़ की सप्लाई बस्तर में की जायेगी। क्या तीन महीने पहले, छः महीने पहले यह तय कर लिया कि इस आदमी को हमको देना है जो ऑटोमोबाईल्स का काम करने वाला है? क्या पहले से सुनिश्चित कर लिया? यह मंत्री जी बतायेंगे कि नाफेड के चेयरमैन को किस ठेकेदार का नाम नॉन के माध्यम से दिया गया था? यह सर्वविदित है कि आपने चिन्हांकित करके पहले से ही ठेकेदार का नाम बता दिया। वह अभी से बैच छपा लिया, अभी से उसको लग रहा है कि मुझे ठेका मिलेगा। पूरा छत्तीसगढ़ जानता है कि किस सप्लायर को ठेका मिलेगा। यदि आप दर की बात करते हैं, नेगोशियेशन की बात करते हैं, एल-1, एल-2, एल-3 को बुलाकर बात करते हैं, आप कवर्धा के दो व्यापारी को बुला लीजिए, सबसे अच्छे सप्लाई में वह दे देगा। पूरे हिन्दुस्तान में सप्लाई वह कर रहा है और आप ऑटोमोबाईल का काम करने वाले को बैठाकर उससे गुड़ खरीद रहे हैं? उसमें डीजल मिलाकर देगा क्या? ये तरीका क्या है? किस प्रकार से टेंडर-टेंडर का खेल बता रहे थे, यहां का गुड़ और वह भी आदिवासियों के लिए गुड़ मिल रहा है, कम से कम उसमें तो पारदर्शिता रखिए। आप नॉफेड को नाम भेजते हैं कि इस आदमी के नाम से टेंडर खोला जाए । NAFED का चेयरमेन बोलता है कि हमें निर्देश सब प्रकार के निर्देश नॉन के माध्यम से छत्तीसगढ़ सरकार से मिला है। क्या इस प्रकार के निर्देश जारी होते हैं ? क्या सरकार में पारदर्शिता नहीं बचेगी ? इस प्रकार की प्रक्रिया पर रोक लगायें और इसी विषय को लेकर मैं आपसे यही कहना चाहता हूं कि क्या आप इस पूरे प्रक्रिया को रद्द करेंगे जिसमें पहले दिन से ही लग रहा है कि मिलीभगत है। आपने पूरे के पूरे बैग बन गये 50 लाख और उसमें मुख्यमंत्री जी के फोटो छप गये हैं। यानी पहले से ही यह तय कर लिया। क्या आप ठेका रद्द करेंगे ?

श्री अमरजीत भगत :- अध्यक्ष महोदय, पहली बात तो माननीय डॉ. रमन सिंह जी, अगर इस बात को मोदी जी सुन लिये तो आपके ऊपर और नाराज होंगे। अभी तो ये हाल है और बुरा हाल करेंगे। इसलिए बोल रहा हूं कि इसमें जो participate करने वाले हैं वे गुजरात से भी हैं और गुजरात की कंपनी...।

श्री सौरभ सिंह :- नहीं, गुजरात की कंपनी से क्या है ? बिल्कुल, गुजरात की कंपनी participate कर सकती है, कहीं का हो, भ्रष्टाचार नहीं होना चाहिए। गुजरात से या भारत के कहीं से भी आदमी हो भ्रष्टाचार नहीं होना चाहिए। (व्यवधान)

श्री अमरजीत भगत :- क्या आप लोगों को मोदी जी से जरा भी डर नहीं है ? आप गुजरात की कंपनी का खिलाफत करेंगे।

श्री सौरभ सिंह :- अध्यक्ष महोदय, आपके संरक्षण में जो भी कंपनी भ्रष्टाचार करेगी उसका हम विरोध करेंगे।

श्री धर्मजीत सिंह :- गुजरात में मोदी जी भर नहीं रहते, वहां अहमद पटेल भी तो रहते हैं।

अशोधित/प्रकाशन हेतु नहीं

श्री अमरजीत भगत :- माननीय, सुन लीजिए, मैं बता देना चाहता हूं कि सुन लीजिए किसने-किसने..। (व्यवधान) हम बता दे रहे हैं न।

श्री शिवरतन शर्मा :- नहीं, वहां भागीदार अहमतद पटेल जी नहीं हैं.....।(व्यवधान)

श्री धर्मजीत सिंह :- इकट्ठे जवाब देना। (व्यवधान)

श्री अमरजीत भगत :- हम बता दे रहे हैं।

श्री शिवरतन शर्मा :- राष्ट्रीय कोषाध्यक्ष नहीं हैं।

श्री धर्मजीत सिंह :- अध्यक्ष महोदय, ये इनको जितने हजार मिट्रिक टन गुड़ चाहिए, कलेक्टर को आर्डर कर दो, रेट भी बता देना उतने में वे भेजवा देंगे। आप जबर्दस्ती क्यों टेंडर कर रहे हो ? कलेक्टर रेट में लो न आपका यह अधिकारी देगा। आपसे एक चौथाई कम में देगा। आप भेज दो।

श्री अमरजीत भगत :- माननीय अध्यक्ष महोदय, माननीय डॉ. रमन सिंह जी ने जो कहा उस संदर्भ में बताना चाहता हूं कि इसमें जिन लोगों ने भागीदारी की है। अध्यक्ष महोदय :- नहीं-नहीं, उन्होंने सिर्फ specific प्रश्न पूछा है कि क्या आप इसे निरस्त कर सकते हैं ? हां या न में जवाब दें।

श्री अमरजीत भगत :- इसमें निरस्त नहीं कर सकते।

अध्यक्ष महोदय :- नहीं कर सकते।

श्री अमरजीत भगत :- भारत सरकार की एजेंसी से हम उससे टेंडर कर रहे हैं और उसके पहले आपने भी उसी से किया है।

अध्यक्ष महोदय :- चलिये ठीक है।

श्री अमरजीत भगत :- चना खरीदी मे तो हमने बहुत कम रेट में किया है। आपने तो 50, 58 रूपये में किये हैं, हमने तो 34 रूपया में किया है। उसी प्रक्रिया में किया है।

डॉ. रमन सिंह :- एक छोटा सा प्रश्न का जवाब दे दीजिए।

श्री अमरजीत भगत :- जी, बताईये।

डॉ. रमन सिंह :- Nafed processing charge कितना प्रतिशत है।

अध्यक्ष महोदय :- आप परीक्षा क्यों ले रहे हैं ? (हंसी)

डॉ. रमन सिंह :- अध्यक्ष महोदय, छोटा सा प्रश्न है, बहुत छोटा प्रश्न है। यह अतिरिक्त प्रश्न क्यों जा रहा है ? आप यहां से स्थानीय स्तर पर नॉन को खरीद सकते हैं, आप Nafed को 2 प्रतिशत, 3 प्रतिशत दिये। इसकी जानकारी तो दे दें।

डॉ. शिवकुमार डहरिया :- डॉ. साहब आपका ही अनुसरण कर रहे हैं। डॉ. साहब आप भी पहले उधर से मंगाते थे। ये उसी का अनुसरण कर रहे हैं।

श्री अमरजीत भगत :- माननीय अध्यक्ष महोदय, मैंने पहले ही कहा कि अगर मोदी जी सुन लेंगे तो पहली बार तो आपके ऊपर बहुत नाराज होंगे।

अशुद्धित/प्रकाशन के लिये नहीं

अध्यक्ष महोदय :- चलिये, आप उनका पीछा छोड़िये। आप मोदी जी की चिंता छोड़िये। आप अपना जवाब दीजिए।

श्री अमरजीत भगत :- दूसरी बात...।

डॉ. रमन सिंह :- अध्यक्ष महोदय, इस विधानसभा परिसर में प्रधानमंत्री जी का नाम लेना क्या शोभा देता है ?

अध्यक्ष महोदय :- नहीं दे रहा है। चलिये।

डॉ. रमन सिंह :- अध्यक्ष महोदय, मंत्री इस प्रकार का जवाब देंगे। मोदी जी प्रभावित होंगे, ऐसा जवाब तो कम से कम प्रश्न की गुणवत्ता को सुधारें। जवाब जो देना है दे दें। मगर कम से कम ऐसा लगे कि उसकी गंभीरता को बनाकर रखना चाहिए। यह विधानसभा के अंदर जवाब दे रहे हैं कोई आमसभा में नहीं हैं।

श्री अजय चंद्राकर :- ज्यादा बोल देंगे तो जातिवाद हो जायेगा।

श्री शिवरतन शर्मा :- माननीय डॉ. साहब, वास्तव में गुजरात से राष्ट्रीय कोषाध्यक्ष का कोई निर्देश तो प्राप्त नहीं हुआ है।

श्री अमरजीत भगत :- क्या-क्या ? (व्यवधान)

श्री शिवरतन शर्मा :- गुजरात के राष्ट्रीय कोषाध्यक्ष का निर्देश तो प्राप्त नहीं हुआ है न यह आप बताओ।

श्री सौरभ सिंह :- बात वह भी है। राष्ट्रीय कोषाध्यक्ष की बात भी है। राष्ट्रीय कोषाध्यक्ष भी गुजरात से हैं। वहां से भी तो कोई निर्देश नहीं आ रहा है।

श्री अमरजीत भगत :- मैंने यह कहा कि गुड़ की सप्लाई इसी प्रदेश से होगी और इसमें किसी भी प्रकार का अभी भुगतान नहीं किया गया है और जो रेट दिखाये हैं उसके लिए Negotiation करने के लिए निर्देशित कर दिया गया है, जो आशंका व्यक्त की जा रही है तो अभी किसी प्रकार से किसी को भुगतान नहीं किया गया है।

अध्यक्ष महोदय :- चलिये, शिशुपाल सोरी।

श्री सौरभ सिंह :- माननीय अध्यक्ष महोदय, हम लोगों की भी सूचना है।

श्री धरमलाल कौशिक :- मेरा है, अजय चंद्राकर का है, शिवरतन का है। हम लोग प्रश्न करेंगे।

अध्यक्ष महोदय :- अजय चंद्राकर।

श्री धरमलाल कौशिक :- नहीं, मेरा पहले है, उसके बाद अजय जी का है।

अध्यक्ष महोदय :- आपने पढ़कर अपनी ....।

श्री धरमलाल कौशिक :- नहीं-नहीं, वह नहीं है।

अध्यक्ष महोदय :- श्री धरमलाल कौशिक।

अशोधित/प्रकाशन के लिये नहीं

श्री धरमलाल कौशिक :- माननीय अध्यक्ष महोदय, माननीय मंत्री जी मैं केवल दो प्रश्न पूछ रहा हूँ कि एक तो आपने जो रेट को कोड किया, उसको आपने किस आधार पर कोड किया। ।

अध्यक्ष महोदय :- आप दो प्रश्न को एक में मिला दीजिए।

श्री धरमलाल कौशिक :- आपने उसको किस आधार पर कोड किया? बाजार की जानकारी आपको है और उसके बाद में उससे डबल रेट में आपने कोड किया। अब सुधारने की बात आ रही है। दूसरी बात जिसको आपने देने का, ये पूरा अब मुझे नहीं दिखाना चाहिए, पूरा सब छप गया है। इसको मिलना है, उसको पहले से जानकारी है तो उसको इसके पहले गुड़ सप्लाई का कोई अनुभव है?

अध्यक्ष महोदय :- पेपर लीक हो गया क्या ?

श्री धरमलाल कौशिक :- आपने बिना अनुभव के आदमी को, तो यह जो सारा मामला आया है। माननीय अध्यक्ष जी के माध्यम से मैं आपसे कहना चाहता हूँ कि रेट को लेकर, डिफरेंस को लेकर और उसके साथ में जो अनुभवहीन ऐसे आदमी को देने से क्या स्थिति बनेगी? ऑटोमोबाईल्स को, जो कभी नहीं हुआ है तो क्या आप इसको रद्द करेंगे और रद्द करने के लिए विचार करेंगे या उसका अनुभव कुछ हो तो वह पहले बता दीजिए और रेट का बता दीजिए।

श्री अमरजीत भगत :- माननीय अध्यक्ष महोदय, पहली बात तो हम जो अनुबंध किये हैं। वह नैफेड से किये हैं भारत सरकार की सहकारी समिति है जिससे आपने...।

श्री धरमलाल कौशिक :- उसको किसने देने का प्रस्ताव किया है? नैफेड डायरेक्ट नहीं है। ये खाद्य नागरिक आपूर्ति निगम है और ये नैफेड का नाम बोल रहे हैं। नैफेड को तो आपने दिया और उसको नाम भी दिया है। इसलिए आपकी जवाबदारी है, आप उसको बतायेंगे?

श्री अमरजीत भगत :- मैं इसीलिए तो बता रहा हूँ। आप सुनेंगे तब तो। आप सुनना ही नहीं चाहते हैं। आप लोगों को जितना ठेकेदार लोग समझा कर भेजे हैं, उसको बोल रहे हैं। इसमें जो पार्टीसिपेट करने वाले लोग हैं।

श्री सौरभ सिंह :- माननीय अध्यक्ष महोदय जी ने बोला कि पेपर लीक हो गया है करके।

श्री अमरजीत भगत :- आप लोगों को जितना ठेकेदार ने समझा दिया, उतना आप लोग बोल दिये, भारत सरकार की सहकारी समिति है, जिससे आप लोगों ने चना खरीदी पहले की है। वर्तमान में ...।

श्री धरमलाल कौशिक :- माननीय अध्यक्ष महोदय, बार-बार ये चने की बात आ रही है। चने और इसमें दोनों में अंतर है।

श्री अमरजीत भगत :- आप सुन तो लीजिए। (व्यवधान)

श्री धरमलाल कौशिक :- गुड़ तो आपका लोकल प्रोडक्शन है चना तो आपको बाहर से मंगवाना पड़ेगा तो चना की मांग करेंगे।

अशोधित/प्रकाशन के लिए नहीं

डॉ. शिवकुमार डहरिया :- भईया, आप चना जिस नियम से खरीदे हो, उसी नियम से वह गुड़ खरीद रहे हैं।

श्री सौरभ सिंह :- माननीय अध्यक्ष महोदय, मंत्री जी बोल रहे हैं कि हमको कोई सीखा कर भेज दिया है। हम सदन में सीख कर थोड़ी आ रहे हैं। जनता की बात को उठाने के लिए आ रहे हैं यहां पर हमको कोई ठेकेदार सीखाकर नहीं भेज रहा है। आपके पास पर्ची बार-बार आ रही है। कोई हमको ठेकेदार सीखाकर नहीं भेजा है। यहां पर जनता की बात को उठाने के लिए आये हैं। किसी ठेकेदार की बात को उठाने के लिए नहीं आये हैं। आप जिन ऑटोमोबाईल वाले को अनुग्रहित कर रहे हैं, उसको भी बतायेंगे?

श्री अमरजीत भगत :- माननीय अध्यक्ष महोदय, कौन क्या छपवाया? कौन पम्पलेट छपवाया? झोला छपवाया, उससे हमको क्या लेना देना है? हमने तो जो सप्लाई करना है उसके लिए नैफेड से अनुबंध किया है, जो भारत सरकार की सहकारी समिति है। जिससे भारत सरकार भी कपास और अभी इस समय सेम उससे सप्लाई करने के लिए पूरा अनुबंध किया हुआ है, उनको पूरे हिन्दुस्तान का ठेका दिया हुआ है। अब हम उस एजेंसी से अगर कर रहे हैं तो हम छत्तीसगढ़ के अंदर फिर नागरिक आपूर्ति निगम में जिस प्रकार का पिछला अनुभव रहा, उसको हम दोहराना नहीं चाहते हैं इसलिए हम भारत सरकार के उस सहकारी समिति से अनुबंध किया है और उच्च क्वालिटी का गुणवत्तापूर्ण गुड़ की सप्लाई होगी और इसमें आप लोगों की शंका व्यर्थ है। अभी किसी प्रकार का कोई भुगतान किसी को नहीं किया गया है।

अध्यक्ष महोदय :- आप नहीं पूछ रहे हैं। आप छोड़ दीजिए। उनको पूछने दीजिए।

डॉ. शिवकुमार डहरिया:- डॉ. साहब भारत सरकार की कंपनी पर आप तो आशंका जता रहे हो?

श्री अजय चन्द्राकर :- माननीय अध्यक्ष महोदय, यदि डॉ. रमन सिंह जी की सरकार ने यदि चना खरीदी, ये बार-बार जो आ रहा है तो नैफेड चना खरीदी में सब्सीडी देती थी, गुड़ में नैफैड की कोई सब्सीडी नहीं है पहली बात, ये बता देता हूँ।

अध्यक्ष महोदय :- देखिए, सामान्य तौर पर गुड़...।

श्री अजय चन्द्राकर :- माननीय अध्यक्ष महोदय, मैं पूछ रहा हूँ। उन्होंने विषय से बाहर जाकर नैफेड कहा।

अध्यक्ष महोदय :- एक मिनट। आप तो एकदम नाराज हो जाते हैं।

श्री अजय चन्द्राकर :- माननीय अध्यक्ष महोदय, नहीं साहब, नाराज नहीं।

अध्यक्ष महोदय :- सामान्य रूप से बातचीत में गुड़ चना एक साथ आता है इसलिए चना फिसल गया होगा। क्यों आप बात कर रहे हैं?

श्री अजय चन्द्राकर :- माननीय अध्यक्ष महोदय, मैं वह बताया।

श्री रामकुमार यादव :- चना बिना गुड़ अधूरा अउ गुड़ बिना चना अधूरा हे।

अशासकीय/प्रकाशन के लिये नहीं

श्री बृजमोहन अग्रवाल :- चखने में दोनों उपयोग होता है।

श्री अजय चन्द्राकर :- माननीय अध्यक्ष महोदय, मेरा प्रश्न है ..।

डॉ. शिवकुमार डहरिया :- अजय चन्द्राकर जी को भी थोड़ा चना गुड़ उपलब्ध करवा दिया जाये।

श्री रामकुमार यादव :- चना गुड़ बिना, दोनों अधूरा होथे।

श्री अजय चन्द्राकर :- माननीय अध्यक्ष महोदय, नहीं। मैंने बता दिया कि आपके विषय में कोई टिप्पणी नहीं करूंगा।

अध्यक्ष महोदय :- चलिये, चन्द्राकर जी को चना ज्यादा खाने की आदत है। आप परेशान मत होईये।

श्री अजय चन्द्राकर :- माननीय अध्यक्ष महोदय, नैफेड ने जो रेट कोड किया है। किस स्पेसिफिकेशन का गुड़ जारी हुआ? हमारे गन्ना कारखाने में, गन्ना में ये गन्ना की क्वालिटी है, इसमें इतना प्रतिशत शूगरकेन पाया जाता है ऐसा सबके नार्म्स तय रहते हैं। कुपोषण से लड़ाई के लिए किस संस्था ने, किस प्रकार के गुड़ की अनुशंसा की है, उसमें किस तरह के खाद्य होने चाहिए? और उसका मार्केट में दर क्या है और उसी प्रकार के गुड़ का ..।

श्री रामकुमार यादव :- माननीय चन्द्राकर जी, पहली तुमन नून देवत रहेव ते घूरत नइ रिहिसे हावय।

श्री अजय चन्द्राकर :- माननीय अध्यक्ष महोदय, उसी प्रकार के गुड़ का खुले बाजार में दर क्या है पहला प्रश्न ? मेरा दूसरा प्रश्न यह है कि नाफेड के एम.डी. का एक बयान छपा कि सरकार ने मुझे ठेकेदार का नाम पहले से दिया, अध्यक्ष महोदय, यदि अनुमति देंगे तो मैं पटल में उस समाचार पत्र को रख दूंगा।

अध्यक्ष महोदय :- समाचार पत्र नहीं रखे जाते।

श्री अजय चन्द्राकर :- अध्यक्ष महोदय, आप जैसी व्यवस्था देंगे, मैं उसको मान लूंगा। यदि वह बयान गलत है तो क्या सरकार की छवि खराब करने के लिए नाफेड के एम.डी. के खिलाफ ये सरकार कार्यवाही करेगी?

श्री अमरजीत भगत :- माननीय अध्यक्ष महोदय, वह भारत सरकार की सहकारी समिति है, उनके खिलाफ हम कैसे कार्यवाही करेंगे ? हमने तो अनुबंध किया है कि छत्तीसगढ़ का किसानों से गुड़ की यहां पर आपूर्ति करेंगे और अगर रेट अधिक आया है तो उसमें निगोशिएशन के लिए हमने कहा है।

श्री अजय चन्द्राकर :- माननीय अध्यक्ष महोदय, मेरा प्रश्न स्पेसीफिक है।

श्री अमरजीत भगत :- इसमें वह जो सप्लाई करते हैं, उसमें गुणवत्ता का जो मापदंड है, वह भारत सरकार की जो एजेन्सी है, वह तय करती है, उसके अनुसार हम उसको सप्लाई करते हैं। इसमें किसी के खिलाफ कार्यवाही करने का कोई प्रश्न उद्भूत नहीं होता है।

अशोधित/प्रकाशन के लिए नहीं

श्री अजय चन्द्राकर :- माननीय अध्यक्ष महोदय, मैं अपना प्रश्न फिर से दोहरा देता हूं। मैं नया प्रश्न बिल्कुल नहीं करूंगा। 6.8 लाख परिवार को कुपोषण दूर करने के लिए जो आप गुड़ देना चाहते हैं, कौन से प्रकार का गुड़ देने के लिए किस आदमी ने अनुशंसा की कि उसका मापदंड क्या होना चाहिए ? मेरा दूसरा प्रश्न यह है कि उस मापदंड का गुड़ का रेट नाफेड ने कितना कोड किया और उस मापदंड के गुड़ की खुले बाजार में कितनी दर है ? दुनिया की कोई भी एजेन्सी हो, एंडरसन के खिलाफ यदि कार्यवाही हो सकती है तो नाफेड का जो एम.डी. है, हमारी सरकार है, यदि हमारी सरकार की इमेज खराब करता है तो उसके खिलाफ कार्यवाही होनी चाहिए। यदि उन्होंने बयान दिया है कि सरकार ने मुझे ठेकेदार का नाम पहले से दे दिया था। मैं उसको पटल पर रख देता हूं, क्या उसमें सरकार कार्यवाही करेगी ? भारत सरकार के नार्म्स हैं तो भारत सरकार ने क्या नार्म्स तय किये ?

श्री रामकुमार यादव :- माननीय अध्यक्ष जी, एक पहली सरकार रहिस हे, चना, गुड़ देत रहिस हे, हम गुड़ देत हन, आदिवासी भाई मन ला गुड़ देत हन, पूर्व मंत्री जी, मंत्री महोदय ला कम से कम धन्यवाद तो दें।

अध्यक्ष महोदय :- यादव जी, मैं धन्यवाद देता हूं, आप बैठ जाईए।

श्री अजय चन्द्राकर :- अध्यक्ष महोदय, इसका उत्तर दिलवा दीजिए। मेरा साधारण सा प्रश्न है।

अध्यक्ष महोदय :- मैं पूछ लेता हूं। माननीय मंत्री जी क्या आपको मापदंड पता है ? किस मापदंड का गुड़ आयेगा, यदि है तो बता दीजिए, नहीं तो इनको दिलवा दीजिये।

श्री अमरजीत भगत :- माननीय अध्यक्ष महोदय, इन्होंने दो प्रश्न पूछा है, मैं इनको दोनों का जवाब देता हूं। पहली चीज तो नेफेड के एम.डी. की तरफ से इस प्रकार का कोई बयान जारी नहीं किया गया है, जो एथेंटिक हो।

श्री अजय चन्द्राकर :- माननीय अध्यक्ष महोदय, आप अनुमति देंगे तो मैं इसका पटल पर रखता हूं।

अध्यक्ष महोदय :- वह आप नहीं रख सकते।

श्री अमरजीत भगत :- आपको बीमारी है, आप सुनते नहीं हो, खाली अपनी बात बोलते हो, पहले हमारी बात सुन लो। मैं खड़ा हूं, पहले आप थोड़ा सा बैठिये।

अध्यक्ष महोदय :- आप उनसे नाराज मत होईये।

श्री विनोद सेवनलाल चन्द्राकर :- अजय भैया, आपके कार्यकाल में ठेकेदारों को कैसे ठेका दिया जाता था। हर मामले में चिन्हाकिंत किया जाता था कि फलाना ठेकेदार को पी.एच.ई. में ठेका देना है, फलाना ठेकेदार को दवाई, रासायनिक खाद का ठेका देना है, फलाना रोड का ठेका इसको देना है, आप लोग पहले से नामनित करके रखते थे, आपके हिसाब से ठेका मिलता था।

अशोधित/प्रकाशन के लिए नहीं

अध्यक्ष महोदय :- आप बोलिये न।

श्री अमरजीत भगत :- माननीय अध्यक्ष महोदय, उन्होंने गुड़ की गुणवत्ता के बारे में कहा है।

अध्यक्ष महोदय :- अगर गुड़ की गुणवत्ता पता है तो बता दीजिए, नहीं तो उनको जानकारी भिजवा दीजिए।

श्री अमरजीत भगत :- माननीय अध्यक्ष महोदय, उसमें एन.एफ.एस.आई. के मापदंड के अनुरूप सप्लाई करने का निर्देश है ।

श्री अजय चन्द्राकर :- माननीय अध्यक्ष महोदय, मेरा स्पेसीफिक प्रश्न है एनीमिया या कुपोषण की लड़ाई के खिलाफ किस प्रकार के गुड़ देने की अनुशंसा किसने की और उस तरह के गुड़ के रेट मार्कफेड में कितना कोड किया और उसी तरह के गुड़ की खुले बाजार में क्या दर है ? जब खुले बाजार की दर मालूम रहेगी तभी वह निगोशिएशन करवायेंगे, जो बार-बार निगोशिएशन की बात कर रहे हैं। पहले तो आप किस क्वालिटी का किसकी अनुशंसा पर खरीदे हैं और उसकी खुले बाजार में दर कितनी है? मार्कफेड से जब निगोशिएशन करवायेंगे, दर मालूम रहेगी, तभी करवायेंगे, तभी टेन्डर निरस्त होगा या स्वीकृत होगा। तभी निगोशिएशन होगा।

श्री रामकुमार यादव :- चन्द्राकर जी चिंन्ता मत करिये। हमर प्रदेश में..।

श्री अजय चन्द्राकर :- इनको मंत्री बना दो, उधर ही आ जाईए। माननीय अध्यक्ष महोदय, इसका उत्तर नहीं आया है। गुड़ से कुपोषण देने करने के लिए किसने अनुशंसा की थी, गुड़ में कौन सा कन्टेन्ट होता है जिससे कुपोषण, एनीमिया दूर होती है।

अध्यक्ष महोदय :- मैं तो बोल रहा हूं न कि जो गुड़ के लिए गुणवत्ता निर्धारित की गई है, वह विभाग अलग है, किसने अनुशंसा की है, वह विभाग अलग है और खरीददारी करने वाले, टेन्डर निकालने वाले अधिकारी गण हैं, माननीय मंत्री जी को अभी जानकारी नहीं है, आपको उपलब्ध करा दिया जायेगा।

श्री बृजमोहन अग्रवाल :- माननीय अध्यक्ष महोदय, मेरा केवल एक प्रश्न है कि बाजार में वर्तमान में किस दर में गुड़ उपलब्ध है और आपका जो टेंडर आया वह किस रेट में आया है ? अगर बाजार में जो दर उपलब्ध है उससे ज्यादा रेट में सप्लॉयर सप्लाई करेगा तो क्या आप इस टेंडर को निरस्त करेंगे ? माननीय अध्यक्ष महोदय, केवल इस प्रश्न का उत्तर आ जाये और अगर इसका उत्तर नहीं आता है तो आप प्रश्न को आगे बढ़ा दीजिये, वे जानकारी लेकर दे देंगे ।

श्री अमरजीत भगत :- माननीय अध्यक्ष महोदय, कोई मनगढंत बातें करें और कोई बोले कि इस प्रक्रिया को निरस्त करो, इसको ऐसा करो तो ऐसा नहीं होगा । हमने कहा कि हमने नेफेड से अनुबंध किया है और गुणवत्तापूर्ण यहां के छत्तीसगढ़ के किसानों से...(व्यवधान)

अशोधित/प्रकाशन के लिए नहीं

नेता प्रतिपक्ष (श्री धरमलाल कौशिक) :- माननीय अध्यक्ष महोदय, आपके निर्देश के बाद भी मंत्री जी के द्वारा उसी-उसी बात को दोहराया जा रहा है । जब बाजार में हो रहा है । (व्यवधान) इसका मतलब यह है कि इसमें पूरा भ्रष्टाचार कर रहे हैं, जवाब से बचना चाहते हैं । (व्यवधान) हम उनके जवाब से असंतुष्ट हैं, ऐसा नहीं चलेगा । (व्यवधान) आपके जवाब से असंतुष्ट होकर हम सदन से बहिर्गमन करते हैं । (व्यवधान)

समय :
2.01 बजे

बहिर्गमन

भारतीय जनता पार्टी के सदस्यों द्वारा शासन के उत्तर के विरोध में

(नेता प्रतिपक्ष, श्री धरमलाल कौशिक के नेतृत्व में भारतीय जनता पार्टी के सदस्यों द्वारा शासन के उत्तर के विरोध में सदन से बहिर्गमन किया गया।)

(4) प्रदेश की शासकीय शालाओं में स्थानीय स्तर पर परीक्षा आयोजित करने की व्यवस्था को परिवर्तित किया जाना ।

सर्वश्री शिशुपाल सोरी (कांकेर), संतराम नेताम :- माननीय अध्यक्ष महोदय, मेरी ध्यानाकर्षण सूचना का विषय इस प्रकार है - छत्तीसगढ़ शासन के द्वारा शैक्षणिक सत्र के दौरान कक्षा 09वीं से 12वीं तक क्रमश: त्रैमासिक, अर्धवार्षिक तथा वार्षिक/प्री बोर्ड की परीक्षा आयोजित करने की व्यवस्था है, जिसमें 10वीं, 12वीं की वार्षिक परीक्षा छ.ग.मा.शि.म. द्वारा आयोजित की जाती है तथा शेष कक्षाओं की परीक्षा स्थानीय स्तर पर आयोजित की जाती है । शासन के द्वारा इस व्यवस्था के लिए 150 रूपये प्रति छात्र परीक्षा शुल्क का भी निर्धारण किया गया है जिससे प्रत्येक छात्र की दर से प्रति परीक्षा में 50 रूपये व्यय किये जाने की व्यवस्था पूर्व में सुनिश्चित थी । शैक्षणिक सत्र 2019-2020 में शिक्षा विभाग/ छ.ग.मा.शि.म. में इस व्यवस्था को परिवर्तित करने का निर्णय लेते हुए शासकीय शालाओं हेतु कक्षा 09वीं से 12वीं तक की अर्धवार्षिक परीक्षा तथा 09वीं एवं 11वीं की वार्षिक परीक्षा के प्रश्न पत्र मुद्रण कराये जाने हेतु कक्षावार क्रमश: 09वीं के छात्रों से 80 रूपया एवं 11वीं के छात्रों से 100 रूपये इसी तरह 10वीं एवं 12वीं के छात्रों से 50-50 रूपये प्रति छात्र अर्धवार्षिक परीक्षा शुल्क की मांग शाला स्तर पर करने के आदेश से सथानीय स्तर पर संसथा प्रमुखों के समक्ष परीक्षा के आयोजन करने में राशि के अभाव में कठिनाईयां उत्पन्न हो रही हैं क्योंकि अर्धवार्षिक तथा वार्षिक परीक्षा के स्थानीय परीक्षा हेतु उत्तर पुस्तिका सकूल को देना है, उत्तर पुस्तिका की छपाई, अंकसूची का पेड फरईल, परीक्षा फल पंजी, सटेशनरी तथा परीक्षा के आवेदन पर होने वाले अन्य विविध व्यय हेतु संस्था के पास पर्याप्त धन राशि नहीं रह पायेगी । इस व्यवस्था में प्रदेश के सभी शासकीय शालाओं को स्थानीय स्तर पर परीक्षा के

अशोधित/प्रकाशन के लिये नहीं

आयोजन करने में भारी कठिनाईयां भी उत्पन्न होगी । शासन के इस निर्णय व आदेश का शिक्षा जगत में विपरीत प्रभाव दिख रहा है । आज पर्यन्त तक सकारात्मक निर्णय नहीं होने से इस वर्ग में शासन के प्रति नाराजगी एवं आक्रोश व्याप्त है ।

स्कूल शिक्षा मंत्री (डॉ. प्रेमसाय सिंह टेकाम) :- माननीय अध्यक्ष महोदय, यह सही है कि पूर्व व्यवस्था में शैक्षणिक सत्र अनुसार शैक्षणिक सत्र के दौरान कक्षा 9वीं से 12वीं तक स्थानीय परीक्षा आयोजित करने की व्यवस्था थी । 10वीं, 12वीं की वार्षिक परीक्षा छत्तीसगढ़ माध्यमिक शिक्षा मंडल द्वारा आयोजित की जाती है । वर्तमान में राज्य स्तरीय आंकलन के प्राप्त निष्कर्षों के अनुसार कक्षा 9वीं से 12वीं तक अर्धवार्षिक तथा 9वीं एवं 11वीं वार्षिक परीक्षाओं का आयोजन केन्द्रीकृत स्तर पर छत्तीसगढ़ माध्यमिक शिक्षा मंडल के माध्यम से करने का निर्णय लिया गया है। राज्य शासन द्वारा राज्य स्तरीय आंकलन के माध्यम से पहली से आठवीं तक के प्रत्येक छात्र की शैक्षणिक स्तर के आंकलन को राष्ट्रीय स्तर पर सराहा गया है, तदक्रम में प्रदेश में हाईस्कूल एवं हायर सेकण्डरी स्तर पर भी छात्रों के गुणवत्ता स्तर के उन्नयन हेतु उपरोक्त व्यवस्था लागू की गई है । इसके अंतर्गत विद्यालयों को राज्य स्तर से एक समान प्रश्नपत्र उपलब्ध होंगे । जिससे कि उनके शैक्षणिक स्तर का आंकलन कर प्रत्येक छात्र के लिए आवश्यक उपचारात्मक शिक्षण की व्यवस्था की जा सकेगी । उक्त क्रम में यह व्यवस्था वर्तमान परिस्थितियों में उत्तम साबित होगी । अत: यह कहना सही नहीं है कि शासन के इस निर्णय से शिक्षकों एवं छात्रों में असंतोष एवं आक्रोश व्याप्त है ।

श्री शिशुपाल सोरी :- माननीय अध्यक्ष महोदय, स्थानीय स्तर पर पहले जो परीक्षाएं आयोजित हो रही थीं । इसमें प्रश्नपत्र की छपाई पर केवल 13 रूपए से 19 रूपए तक का खर्च आता था । माध्यमिक शिक्षा मंडल अब केवल प्रश्नपत्र छपाई कराकर भेजेगा बाकी स्थानीय स्तर पर उत्तर पुस्तिकाओं की छपाई एवं अन्य स्टेशनरी की व्यवस्था करना होता है । जबकि 50, 80, 100 रूपए की राशि माध्यमिक शिक्षा मंडल को देना पड़ रहा है । जो राशि बचेगी उसमें से सारी व्यवस्था करनी होगी । अभी ऐसा होगा, या तो वे करा नहीं पाएंगे या फिर पालकों से अतिरिक्त शुल्क लेंगे । चिंता इसी बात की है और निर्धारण हो जाए कि जितना छपाई में खर्च होता है, उतनी ही राशि ले लें ।

अध्यक्ष महोदय :- मंत्री जी बताइए, क्या आप पालकों से शुल्क लेंगे ?

डॉ. प्रेमसाय सिंह टेकाम :- अध्यक्ष महोदय, स्थानीय परीक्षाओं हेतु शासन 2015 से 9वीं, 10वीं, 11वीं, 12वीं के लिए 150 रूपए प्रति बालक के हिसाब से परीक्षा शुल्क होता है । माध्यमिक शिक्षा मंडल जो जारी करेगा उसमें कक्षा 9वीं और 11वी की तिमाही परीक्षा, जो अभी हो गई । 10वीं, 12वीं की तिमाही परीक्षा और प्री-बोर्ड परीक्षा वह स्थानीय स्तर पर ली जाएंगी । माध्यमिक शिक्षा मंडल के द्वारा 9वीं एवं 11वीं की छिमाही परीक्षा ली जाएगी और 10वीं और 12वीं की छिमाही परीक्षा और वार्षिक परीक्षा ली जाएगी । उसमें 150 रूपए का परीक्षा शुल्क जो प्रति छात्र लिया गया है, उसमें 9वीं में जैसा

अशोधित/प्रकाशन के लिए नहीं

कि बता रहे हैं, उसमें 80 रूपए मंडल को दिया जाएगा और 70 रूपए स्थानीय संस्थाओं के पास रहेंगे । 10वीं में 100 रूपया लिया जाएगा, 50 रूपए संस्थाओं के पास रहेगा । 10वीं और 12वीं में 100 रूपया लिया जाएगा और 50 रूपए संस्थाओं के पास रहेगा । इस तरह उनके पास पर्याप्त राशि रहेगी । जो स्थानीय स्तर पर, चाहे प्रश्नपत्र मुद्रण का हो, उत्तर पुस्तिका का व्यय हो । इसमें किसी प्रकार की दिक्कत नहीं होगी और न ही हमको किसी प्रकार की शिकायत प्राप्त हुई है ।

अध्यक्ष महोदय :- कोई शंका ?

श्री शिशुपाल सोरी :- अध्यक्ष महोदय, मेरा इतना ही निवेदन है कि माध्यमिक शिक्षा मंडल को जो राशि दी जा रही है, उसमें सिर्फ प्रश्नपत्र की छपाई होगी जबकि उत्तर पुस्तिकाओं की छपाई में उससे 10 गुना ज्यादा खर्चा आता है । अन्य व्यवस्थाएं भी स्थानीय स्तर पर होगी । इन दोनों के बीच का बटवारा थोड़ा ठीकठाक हो जाए, केवल इतना ही निवेदन है ।

अध्यक्ष महोदय :- चलिए, ध्यान रखिएगा माननीय मंत्री जी ।

डॉ. प्रेमसाय सिंह टेकाम :- अध्यक्ष महोदय, उनके पास पर्याप्त व्यवस्था है ।

अध्यक्ष महोदय :- चलिए, पूरा ध्यान रखिएगा । सदस्य जी को बता दीजिए कि उनको चिंता करने की जरूरत नहीं है, आप ध्यान रखेंगे ।

डॉ. प्रेमसाय सिंह टेकाम :- अध्यक्ष महोदय, न तो पालकों से शुल्क लिया जाएगा और किसी प्रकार का शुल्क नहीं लिया जाएगा । उसी के अंतर्गत ही संस्था के पास जो रहेगा उसी से पूरी व्यवस्था हो जाएगी ।

अध्यक्ष महोदय :- आज की कार्यसूची के पद क्रमांक 6 के पूर्ण होते तक समय में वृद्धि ।

श्री संतराम नेताम (केशकाल) :- अध्यक्ष महोदय, मेरा भी एक प्रश्न है ।

अध्यक्ष महोदय :- इसमें नहीं होता ।

श्री संतराम नेताम :- इसमें मेरा ध्यानाकर्षण है ।

समय :
2:10 बजे

नियम 267 "क" के अधीन शून्यकाल सूचनाएं

अध्यक्ष महोदय :- नियम 267 "क" (2) को शिथिल कर आज दिनांक 27 जुलाई, 2019 को मैंने सदन में 09 सूचनाएं लिये जाने की अनुज्ञा प्रदान की है।

निम्नलिखित सदस्यों की सूचनाएं सदन में पढ़ी हुई मानी जायेंगी तथा इन्हें उत्तर के लिए संबंधित विभागों को भेजा जायेगा :-

1. श्री अजय चन्द्राकर, सदस्य
2. श्री सत्यनारायण शर्मा, सदस्य

अशोधित/प्रकाशन के लिये नहीं

3. श्री सौरभ सिंह, सदस्य
4. श्री धर्मजीत सिंह, सदस्य
5. डॉ. रमन सिंह, सदस्य
6. श्री नारायण चंदेल, सदस्य
7. श्री ननकी राम कंवर, सदस्य
8. श्री अजीत प्रमोद कुमार जोगी, सदस्य
9. श्री केशव प्रसाद चन्द्रा, सदस्य

समय :
2:11 बजे

अनुपस्थिति की अनुज्ञा

निर्वाचन क्षेत्र क्रमांक-67, अहिवारा के विधायक श्री गुरू रूद्र कुमार

अध्यक्ष महोदय :- निर्वाचन क्षेत्र क्रमांक-67, अहिवारा के विधायक श्री गुरू रूद्र कुमार द्वारा नवंबर-दिसंबर, 2019 सत्र में अनुपस्थित रहने की सूचना दी गई है।

इनका आवेदन इस प्रकार है :-

विगत दिनों मेरे गले में ऑपरेशन होने के कारण बातचीत करने में परेशानी हो रही है। साथ ही मेरे दायें हाथ में चोट लगने के कारण कार्य करने में भी असुविधा हो रही है। अत: मुझे नवंबर-दिसंबर, 2019 सत्र के दौरान अनुपस्थित रहने की अनुज्ञा प्रदान करने का कष्ट करें। उनके आवेदन के परिप्रेक्ष्य में क्या सदन की इच्छा है कि निर्वाचन क्षेत्र क्रमांक-67, अहिवारा के सदस्य, श्री गुरू रूद्र कुमार को नवंबर-दिसंबर, 2019 में सभा की बैठकों में अनुपस्थित रहने की अनुज्ञा दी जाये?

मैं समझता हूं कि सदन इससे सहमत है।

(सदन द्वारा सहमति प्रदान की गई)

अध्यक्ष महोदय :- मैं माननीय सदस्य को अनुपस्थिति की अनुज्ञा प्रदान करता हूं।

समय :
2:11 बजे

याचिकाओं की प्रस्तुति

अध्यक्ष महोदय :- आज की कार्यसूची में सम्मिलित निम्नलिखित उपस्थित माननीय सदस्यो की याचिकाएं सभा में पढ़ी हुई मानी जायेंगी :-

1. श्री सौरभ सिंह
2. श्री अजय चन्द्राकर

अशोधित/प्रकाशन के लिये नहीं

समय :

2:12 बजे **नियम 139 के अधीन लोक महत्व के विषय पर चर्चा**

अध्यक्ष महोदय :- नियम 139 की चर्चा कल ली जायेगी।

अध्यक्ष महोदय :- सभा की कार्यवाही गुरूवार, दिनांक 28 नवंबर, 2019 को 11:00 बजे दिन तक के लिए स्थगित।

(दोपहर 02 बजकर 12 मिनट पर विधान सभा की कार्यवाही गुरुवार, दिनांक 28 नवंबर, 2019 (अग्रहायण 7, शक संवत 1941) के पूर्वाह्न 11.00 बजे तक लिये स्थगित की गई)

चन्द्र शेखर गंगराड़े

रायपुर (छत्तीसगढ़) **प्रमुख सचिव**

दिनांक : 27 नवंबर, 2019 **छत्तीसगढ़ विधान सभा**

अशोधित/प्रकाशन के लिये नहीं